ISSN : 0976-0024

अप्रैल-जून 2022

वर्ष 28, अंक : 111

PEER REVIEWED REFREED JOURNAL

महिला
Mahila

विधि भारती
Vidhi Bharati

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिन्दी-अंग्रेजी) शोध पत्रिका

Research (Hindi-English) Quarterly Law Journal

अमृत महोत्सव अंक

Editor-in-Chief : Santosh Khanna

[1][भारत का संविधान, अनुच्छेद 51-ए

नागरिकों के मूल कर्तव्य

51क. **मूल कर्तव्य :** भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह --

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सँजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दया भाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;]

[2][(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।]

---

1. संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 11 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित।
2. संविधान (छियालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, की धारा 4 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंतःस्थापित किया जाएगा।

अप्रैल-जून
January-March

वर्ष 28, अंक : 111

2022

ISSN : 0976-0024

अमृत महोत्सव अंक

महिला
Mahila

विधि भारती
Vidhi Bharati

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) शोध पत्रिका
Research (Hindi-English) Quarterly Law Journal

(केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय के आंशिक अनुदान से प्रकाशित)

ISSN 0976-0024
9 770976 002001

PEER REVIEWED REFREED JOURNAL

प्रधान संपादक
सन्तोष खन्ना
संपादक
डॉ. उषा देव

पत्रिका में व्यक्त विचारों से सम्पादक/परिषद् की सहमति आवश्यक नहीं है।

Indexed at Indian Documentation Service, Gurugram, India
Citation No. MVB-28/2022

विधि भारती परिषद्
बी.एच./48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088 (भारत)
मोबाइल : 09899651872, 09899651272
फ़ोन : 011-45579335
E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com, santoshkhanna25@gmail.com
Website : www.vidhibharatiparishad.in

PEER REVIEWED REFREED JOURNAL

'महिला विधि भारती' पत्रिका (पूर्व यू.जी.सी. की सूची में भी शामिल, क्र. 156, पत्रिका संख्या 48462)

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेज़ी) विधि-शोध त्रैमासिक पत्रिका

E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com

Website : www.vidhibharatiparishad.in

वर्ष 28, अंक : 111, (अप्रैल-जून, 2022)

प्रधान संपादक : सन्तोष खन्ना, **संपादक :** डॉ. उषा देव

बोर्ड ऑफ रेफरीज़ एवं परामर्श मंडल

1. डॉ. के.पी.एस. महलवार : चेयर प्रो., प्रोफेशनल एथिक्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न.दि.
2. डॉ. चंदन बाला : डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास वि.वि., जोधपुर
3. डॉ. राकेश कुमार सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय
4. डॉ. किरण गुप्ता : पूर्व विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय
5. प्रो. (डॉ.) सिद्धनाथ सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
6. प्रो. (डॉ.) गुरजीत सिंह : संस्थापक वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं न्यायिक अकादमी, असम

परिषद् की कार्यकारिणी, संरक्षक : डॉ. राजीव खन्ना

1. डॉ. सुभाष कश्यप (अध्यक्ष)
2. न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद (उपाध्यक्ष)
3. श्रीमती सन्तोष खन्ना (महासचिव)
4. रेनू नूर (कोषाध्यक्ष)
5. श्री अनिल गोयल (सचिव, प्रचार)
6. डॉ. प्रेमलता (सदस्य)
7. डॉ. आशु खन्ना (सदस्य)
8. डॉ. पूरनचंद टंडन (सदस्य)
9. डॉ. उषा टंडन (सदस्य)
10. डॉ. सूरत सिंह (सदस्य)
11. डॉ. के.एस. भाटी (सदस्य)
12. डॉ. शकुंतला कालरा (सदस्य)
13. डॉ. उमाकांत खुबालकर (सदस्य)
14. अनुरागेंद्र निगम (सदस्य)

शुल्क दर

वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए

आजीवन शुल्क 5,000/-- रुपए

संस्थागत वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए

संस्थागत आजीवन शुल्क 20,000/-- रुपए

डाक शुल्क अलग

अंक 111 में

1. उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 / **संपादकीय** -- 107
2. भारत के संविधान निर्माण में डॉ. अंबेडकर का योगदान / **सन्तोष खन्ना** -- 111
3. सेना सेवा विधि-शास्त्र में नवोन्मेष का अग्निपथ / **डॉ. अशोक कुमार अवस्थी** -- 116
4. कल, आज और कल (कहानी) / **नम्रता सरन सोना** -- 119
5. चारों ओर मचा है दुष्कर्म का हाहाकार / **डॉ. गरिमा यादव** -- 120
6. आज़ादी का अमृत महोत्सव और (सुशासन) गुड गवर्नेंस / **डॉ. विदुषी शर्मा** -- 125
7. अपने जीते जी अपनी संपत्ति बच्चों के नाम न करवाना दूरदर्शिता ही होगी / **सीताराम गुप्ता** -- 134
8. गज़ल / **गिरीश पंकज** -- 137
9. लिव इन रिलेशनशिप / **डॉ. अर्चना प्रकाश** -- 138
10. महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में मानव अधिकारों की प्रासंगिकता / **डॉ. मंजू चंद्रा** -- 140
11. वक्फ़ बोर्ड के संबंध में उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फ़ैसला / **डॉ. विदुषी भारद्वाज** -- 146
12. मौन (कविता) / **डॉ. निशा केवलिया शर्मा** -- 149
13. महात्मा गाँधी पर 'ग्रेट ट्रायल केस' और राजद्रोह क़ानून / **संतोष बंसल** -- 150
14. राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका / **सुमन** -- 156
15. मॉब लिंचिंग और क़ानून / -- 159
16. स्वतंत्र भारत में श्रम कल्याणकारी क़ानूनों का विकास / **भूमिका शर्मा** -- 160
17. किसानों का संवैधानिक संघर्ष / **डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल** -- 155
18. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कोविड-19 महामारी के समय में मानव अधिकारों के संरक्षण में सरकार / **नीतेश कुमार चतुर्वेदी एवं प्रो. सुदर्शन वर्मा** -- 171
19. Women Rights in India : A Myth or Reality / **Dr. Jyoti Diwakar** -- 182
20. Clean Chit to Shri Narendra Modi in 2002 riots case (Report) / -- 186
21. Juridical and Constitutional Aspects on Criminalization of Marital Rape in India / **Dr. Madhu Bala and Dr. Raj Kumar Yadav** -- 187

लेखक मंडल

सन्तोष खन्ना : प्रधान संपादक, 'महिला विधि भारती' पत्रिका, शालीमार बाग

डॉ अशोक कुमार अवस्थी : पूर्व अधिष्ठाता विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, सी-819 इंदिरा नगर, लखनऊ 226016, **मोबाइल :** 9415021742

नम्रता सरन सोना : भोपाल, मध्य प्रदेश

डॉ. गरिमा यादव : सिविल न्यायाधीश, पटौदी, जिला गुरूग्राम, हरियाणा

डॉ विदुषी शर्मा : (वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर), अकादमिक काउंसलर, इग्नू शोध निर्देशक, जेजेटीयू विशेषज्ञ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, OSD, (Officer on Special Duty) NIOS, (National Institute of Open Schooling)

सीताराम गुप्ता : ए.डी. 106-सी., पीतमपुरा, दिल्ली-110034

मोबाइल : 9555622323, **E-mail :** srgupta54@yahoo.co.in

डॉ. अर्चना प्रकाश : गोमती नगर लखनऊ।

डॉ. मंजू चंद्रा : असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, चंद्रा विला, करबला, अल्मोड़ा 263601

मोबाइल : 9410309610, **E-mail :** manjuchandra444@gmail.com

डॉ. विदुषी भारद्वाज : सेवा-निवृत्त प्राचार्या, आर.बी.डी. कॉलेज, बिजनौर

डॉ. निशा केवलिया शर्मा : प्रिंसीपल, मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज, खंडवा, मध्य प्रदेश

संतोष बंसल : ए 1/17, मियाँवाली नगर, पश्चिम विहार, दिल्ली-110087

सुमन : शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय

पता : मकान नं-473, गली नं-18, शिव कुंज, संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली-110084

मोबाइल : 7532892661, **ई-मेल :** sumankumari10191@gmail.com

भूमिका शर्मा : सहायक प्रोफेसर, जागरण स्कूल ऑफ लॉ, देहरादून

डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल : 409, मार्वल होम्स, सेक्टर 61, नोएडा-201301

मोबाइल : 9650002565, **ईमेल :** pk_usha@rediffmail.com

नीतेश कुमार चतुर्वेदी : शोध छात्र, विधि विभाग, बी.बी.ए.यू., लखनऊ

प्रो. सुदर्शन वर्मा : पूर्व-विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, पूर्व-संकायाध्यक्ष, विधि अध्ययन विद्यापीठ, बी.बी.ए.यू. लखनऊ

Dr. Jyoti Diwakar : Assistant Professor, Govt. Law College, Shivpuri (M.P)

Dr. Madhu Bala : Assistant Professor, Deptt. of Laws, Maharishi Markandeshwar deemed to be University, Mullana, Ambala, Haryana

Dr. Raj Kumar Yadav : Assistant Professor, Deptt. of Law, Central University of Punjab, Bathinda

उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्ज़िद को लेकर ज़ोरों से एक विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष ने वाराणसी के एक न्यायालय में याचिका दाख़िल की थी कि ज्ञानवापी मस्ज़िद में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएँ हैं। वास्तव में 1991 में वाराणसी में पुजारियों ने न्यायालय में याचिका दाख़िल कर कहा था कि उन्हें ज्ञानवापी स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में उस याचिका पर रोक लगा दी थी जिसमें याचिकाओं में कहा गया था कि भारतीय सर्वेक्षण द्वारा इसका सर्वेक्षण कराया जाए।

कुछ महीने पहले कुछ हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के एक न्यायालय में अर्जी देकर कहा कि उन्हें ज्ञानवापी शृंगार गौरी और अन्य प्रतिमाओं की पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस मामले में अप्रैल, 2022 में वाराणसी न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्ज़िद का वीडियो ग्राफ़िक्स सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। वहाँ 3 दिन तक सर्वेक्षण हुआ और एक सर्वेक्षण के दौरान वहाँ एक शिवलिंग मिलने का समाचार आया। जब न्यायालय को वीडियोग्राफ़ी में वहाँ शिवलिंग मिलने का तथ्य बताया गया तो न्यायालय ने शिवलिंग के स्थल को सुरक्षित रखने का आदेश दिया और मस्ज़िद में केवल 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इज़ाज़त दी।

परंतु इस बीच मामला उच्चतम न्यायालय में पहुँच गया जहाँ मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के अंतर्गत यह सर्वेक्षण ग़ैर-क़ानूनी है। हिंदू पक्ष भी अपना पक्ष रखने के लिए उच्चतम न्यायालय पहुँच गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की कि किसी उपासना स्थल का स्वरूप तय करने केध लिए उपासना स्थल क़ानून लागू नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि वहाँ नमाज पड़ना जारी रखा जाए और शिवलिंग वाले स्थल की सुरक्षा की जाए। उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि ज़िला न्यायालय पहले मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करें।

उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अब यह मामला वाराणसी के ज़िला न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है। इस न्यायालय में ज्ञानवापी परिसर की वीडियो ग्राफ़ी रिपोर्ट जमा की जा चुकी है और उसे संबंद्ध पक्षों को उपलब्ध भी कराया गया था। न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के बारे में सुनवाई कर ली है और अब अगली कार्रवाई जुलाई, 2022 में होगी।

ज़िला न्यायालय ने वीडियो ग्राफी की रिपोर्ट दोनों पक्षों को इस आदेश के साथ उपलब्ध करा दी थी कि इसे किसी भी प्रकार से लीक न किया जाए। हालाँकि यह रिपोर्ट लीक की गई परंतु यह रिपोर्ट किसने लीक की, यह पता नहीं चल सका है। उच्चतम न्यायालय का

एक और महत्त्वपूर्ण आदेश यह था कि वाराणसी ज़िला न्यायाधीश पहले मुस्लिम पक्ष की सुनवाई करें। वाराणसी के ज़िलाधीश ने अब तक मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर दोनों पक्षों की सुनवाई कर ली है उस पर अभी फ़ैसला आना है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के अंतर्गत धार्मिक स्थलों का मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है अब इस पर फ़ैसला वाराणसी के ज़िला न्यायाधीश को करना है और यह फ़ैसला जुलाई 2022 में आएगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 है क्या? यह क़ानून वर्ष 1991 में केंद्र की कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार ने बनाया था। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन की परिस्थितियों को देखते हुए यह क़ानून बनाया गया था और कहा जाता है कि यदि इस क़ानून का विधिवत् रूप से पालन किया जाए तो देश में शांति और क़ानून व्यवस्था बनी रह सकते हैं। इस क़ानून को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है इसमें किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को जिस पूजा स्थल की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता और यदि किसी न्यायालय में किसी पूजा स्थल के बारे में उसके स्वरूप को परिवर्तन करने के बारे में कोई मुकदमा चल रहा होगा तो उसे ख़ारिज समझा जाए ।

जब ज्ञानवापी मामले पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी तो उसके समक्ष मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि उपासना स्थल क़ानून कहता है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले के किसी धर्म स्थल को दूसरे धर्म स्थल के रुप में बदला नहीं जा सकता। इस दलील के समर्थन में मुस्लिम पक्ष ने अयोध्या मामले में फ़ैसला देते हुए उपासना स्थल क़ानून के बारे में की गई उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ''संसद ने इस क़ानून को बनाते समय यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इतिहास और पहले किए गए ग़लत कार्यों को वर्तमान और भविष्य को त्रस्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।''

यह सब होते हुए भी इस बात पर उच्चतम न्यायालय की ओर से एक अहम् टिप्पणी की गई कि इस क़ानून की कोई धारा किसी धर्म स्थल के चरित्र का पता लगाने से रोक नहीं लगाती है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने और भी महत्त्वपूर्ण आदेश दिए थे --

चूँकि यह मामला अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का है, इसे वाराणसी के ज़िलाधीश न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजा जाए; और

2. उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के ज़िला मैजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि वह शिवलिंग वाले स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करें और दूसरा, ज्ञानवापी में सबको नमाज पढ़ना भी सुनिश्चित किया जाए।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार जब क़ानून किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को तय करने पर रोक नहीं लगाता तो सर्वेक्षण को ग़ैर-क़ानूनी नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में यह भी कह सकते हैं, यह मामला किसी धर्म स्थल के संपरिवर्तन का है ही नहीं।

स्पष्ट रुप से ज्ञानवापी पहले मंदिर था और वहाँ शिवलिंग मिलना भी इसी तथ्य को ही इंगित कर रहा है। इस्लामिक क़ानून के अनुसार किसी धर्म स्थल पर मस्ज़िद बनाई ही नहीं जा सकती। इसलिए किसी स्थान पर नमाज पढ़ने से वह मस्ज़िद नहीं बन जाती। यहाँ भी चूँकि हमेशा 'मंदिर' था और अब भी मंदिर है। उसमें अब प्रकट हुआ शिवलिंग पहले से ही था, अब भी मौजूद है।

मस्ज़िद का दर्ज़ा किस संरचना को दिया जा सकता है, इसके बारे में इस्लामिक क़ायदे क़ानून स्पष्ट हैं। इस्लामी क़ानून के अनुसार यदि किसी पूजा स्थल की संरचना को नष्ट कर उस पर मस्ज़िद बनाई जाती है तो कुरान उसे किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराता है। इसके बारे में महात्मा गांधी ने भी 5 फरवरी, 1925 को 'यंग इंडिया' में लिखा था कि किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर उसकी अनुमति के बिना निर्मित मस्ज़िद का प्रश्न बहुत सीधा-साधा है। अगर कोई भूमि किसी व्यक्ति विशेष के कब्ज़े में है और कोई अन्य व्यक्ति उस पर मस्ज़िद का निर्माण करता है उस भूमि के मालिक को उस मस्ज़िद को ढहाने का अधिकार है। किसी निर्माण को मस्ज़िद होने के लिए उसकी प्रतिष्ठा या पवित्रीकरण होना जरूरी है। किसी और की भूमि पर बनाई गई मस्ज़िद केवल डकैती ही मानी जा सकती है। लूटपाट के स्थान पर बनी मस्ज़िद का पवित्रकरण हो ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर बनी मस्ज़िद को स्वयं ढहाने की स्थिति में नहीं है तो उसे उसको हटाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए।

यद्यपि ज्ञानवापी का मामला उपासना क़ानून के अंतर्गत नहीं आता फिर भी बार-बार उस क़ानून का हवाला देकर इस मामले को केवल इस क़ानून की व्याख्या पर ही केंद्रित करने का और इसको सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है जब कि ज्ञानवापी में हिंदुओं की आस्था का प्रश्न जुड़ा है। यह केवल किसी भूमि के टुकड़े पर अधिकार का मामला नहीं है। इस में शिवलिंग के अवतरित होने से यह मामला वास्तव में और संवेदनशील हो गया है क्योंकि यह हिंदुओं का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। इतिहास में दर्ज़ है कि इस मंदिर को अनेक बार तोड़ा गया और हिंदू राजाओं ने कई बार इसका पुनर्निर्माण किया। वास्तव में बाहरी आक्रांताओं ने केवल यही मंदिर ही नहीं तोड़ा, देश में लगभग 3000 से अधिक मंदिरों में तोड़फोड़ की। आक्रांताओं का भारत पर हमला मात्र लूटपाट के लिए नहीं था बल्कि वे इस्लाम धर्म को सभी पर लादने के उद्देश्य से यहाँ आए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को तलवार के बल पर उनका धर्म परिवर्तन किया गया और उनके आस्था के स्थानों को तोड़ा गया।

प्रायः यह कहा जाता है अक्रांता जो भारत आए, वह यहीं के होकर रह गए। इसं संबंध में भारत के पूर्व सांसद और प्रसिद्ध स्तंभकार बलबीर पुंज ने हिंदुस्तान टाइम्स समाचार-पत्र में एक आलेख (23 जून, 2022) में इस बात को रेखांकित करते हुए कहा है कि 'सुल्तान महमूद गजनी के इतिहास' के हवाले से बताया गया है कि जब वह सोमनाथ मंदिर को तोड़ने की योजना बना चुका था तो ब्राह्मणों ने उस से गुज़ारिश की कि यदि वह मंदिर को न तोड़े

तो वे उसका ख़जाना धन से भर देंगे। इस प्रस्ताव पर ब्राह्मणों के इस प्रस्ताव पर महमूद गज़नवी क्या कहते हैं, यह सब को जानना चाहिए। ''अगर मैं मंदिर ना तोड़ कर उसके बदले में धन ले लेता हूँ तो लोग मुझे मूर्तियों के लिए बिकने वाला कहेंगे। अगर मैं मंदिर तोड़ता हूँ तो लोग मुझे मूर्ति भंजक कहेंगे। मूर्तियों को ना तोड़कर उसके बदले धन बटोरने के स्थान पर मैं मूर्ति भंजक कहलाना पसंद करूँगा।'' इससे यह पता चलता है कि आक्रांताओं का उद्देश्य केवल साम्राज्य जीतना नहीं था बल्कि उनका एजेंडा उससे कहीं विस्तृत और ख़तरनाक था उन्होंने भारत में तलवार के बल पर हमारे ही ख़ून के रिश्तों को हमसे छीन लिया। मंदिर तोड़ना ईश्वरीय गुनाह की श्रेणी में आता है पर धर्म परिवर्तन से हमारे ही बेटे-बेटियों, हमारे भाइयों, दादा चाचा मामा जैसे रिश्तेदारों को हमसे अलायदा करना, मानवता के लिए उससे बड़ी त्रासदी कोई और हो नहीं सकती। हमें अपने ही उन भाई-बहिनों पर तरस आता है कि उनको कौन-सी ऐसी सुरा पिला दी गई है कि वह अपनी पहचान ही भूल गए हैं, अपने ख़ूनी रिश्ते भूल गए हैं और अपनी जड़ों को भूल गए हैं। वह जन्म और ख़ून से भारतीय होते हुए भी स्वयं को भारत के साथ नहीं, आक्रांताओं के साथ खुद को जोड़ने में गौरव महसूस करते हैं। हमारी आँखों के सामने वर्ष 1947 में भारत के टुकड़े हो गए और साँझी विरासत होते हुए एक देश के स्थान पर उससे तीन देश बन गए। आक्रांताओं के साथ जुड़ने के कारण पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि पाकिस्तान का उदय सातवीं शताब्दी में मुहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय के साथ हुआ। सांझी विरासत वाले खुद की पाँच हज़ार पुरानी विरासत को भूल आक्रांताओं के साथ जुड़ने से बीच में एक ख़ला पैदा हो गया है।

भारत भिन्न-भिन्न धर्मों का देश है और यह होते हुए भी सब मिल-जुल कर रहते हैं। अगर हम धर्मों के सिद्धांतों को देखें तो कोई विशेष अंतर नज़र नहीं आता। सनातन धर्म भी एकेश्वरवादी है। इस्लाम में भी एक अल्लाह को माना जाता है। इस्लाम में कहा गया है : ''अल्लाह एक और अनुपम, सनातन, सदा से सदा तक जीने वाला है, न उसे किसी ने जना और न ही वो किसी का जनक है एवं उस जैसा कोई और नहीं है।'' इस्लाम पैगंबर को मानता है तो सनातन भी अवतार की बात करता है कि जब धर्म की हानि होने लगती है तो कोई न कोई अवतारी पुरुष मानवता के उद्धार के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता है और ईश्वर एक ही है। चूँकि हिंदू धर्म में सहिष्णुता का भाव प्रबल है इसलिए यहाँ कोई निराकार को मानता है तो कोई साकार को। सनातन में ईश्वर किसी अर्श पर नहीं बैठा, वह कण-कण में विद्यमान है। ईश्वर की इस विद्यमानता के कारण इस धर्म के अनुयाई प्रकृति को भी पूजते हैं साँपों, पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को भी पूजते हैं और मूर्ति पूजा भी करते हैं। पूजा पद्धतियों में अंतर है परंतु सब का निर्माता तो एक ईश्वर है। सबके धर्म परस्पर प्रेम से रहना सिखाते हैं। परोपकार और दया की सीख देते हैं। सत्य एवं ईमानदारी का रास्ता दिखाते हैं। ईश्वर ने सभी को बुद्धि और मनीषा का वरदान दिया है और यदि कहीं कोई मतभेद हो जाए और बुद्धि से और संवेदनशील हो कर समाधान खोजे जा सकते हैं। अच्छे रास्ते पर चल कर ही प्राणिमात्र का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है।

❑

सन्तोष खन्ना

भारत के संविधान निर्माण में डॉ. अंबेडकर का योगदान

डॉ. अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में माना जाता है। उन्हें भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। यद्यपि वह महार की अछूत जाति परिवार में पैदा हुए लेकिन वह अपने परिश्रम के बल पर शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुँचे जिसके लिए उन्होंने अथक संघर्ष किया। उनके जमाने में इस चरम पर पहुँचना कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि अछूतों को शिक्षा पाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें मंदिरों में पूजा करने की अनुमति नहीं थी, उन्हें ऊँची जाति के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोत से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। स्कूल में पढ़ाई करते समय भी उन्होंने इस तरह के सभी भेदभावों का सामना किया था। फिर भी अपनी दृढ़-इच्छाशक्ति के बल पर वह भारत में कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाले अपनी जाति में पहले व्यक्ति बन गए।

संघर्ष की सच्ची भावना के साथ वह आगे के अध्ययन के लिए लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने क़ानून की पढ़ाई के लिए दाख़िला लिया और एक महान वकील बने। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएच.डी की और अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की। इस तरह देखा जा सकता है कि वह एक स्वनिर्मित व्यक्ति का सच्चा उदाहरण थे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं के ख़िलाफ़ इतनी मेहनत कर रहे थे। डॉ. अंबेडकर अर्थशास्त्री, न्यायविद, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ के साथ-साथ एक समाज सुधारक भी थे। वह समाज में पसरी छूआछूत को गुलामी से भी बदतर मानते थे। अतः उन्होंने समाज में अछूतों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया और संविधान में उनके उद्धार के लिए समुचित प्रावधान करवाए। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम क़ानून और न्याय मंत्री बनाए गए। बाद में उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया था।

'डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान के निर्माता है' यह वाक्य इन 75 वर्षों में इतनी बार दोहराया जा चुका है कि भारत जनमानस में यह बात इतनी पैठ चुकी है कि अगर अब यह कहा जाए कि भारत में संसदीय शासन लोकतंत्र अपनाने के पीछे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की मनीषा नहीं बल्कि नेहरू की तानाशाही थी तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उनकी

अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और उसी प्रारुप को संविधान सभा ने पारित कर दिया था। अतः इसी आधार पर कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। परंतु इस प्रारूप में संविधान को क्या रूप दिया जाना है इसका फ़ैसला तो कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस ने क्या बल्कि इसका फ़ैसला पंडित नेहरू ने ही किया था और उन्होंने ही अपनी इच्छा को समूची कांग्रेस पर थोप दिया था। यह सब कैसे हुआ, यह जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को खंगालना पड़ेगा।

इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के पटेल और अन्य कई कद्दावर नेता ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली अपनाएँ जाने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी तक इसके समर्थन में नहीं थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि 'यदि भारत इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली की नकल करेगा तो मेरा यह पक्का विश्वास है वह तबाह हो जाएगा।'[1] यद्यपि जिन्ना भारत के संविधान के निर्माण में सम्मिलित नहीं थे, उन्होंने वर्ष 1939 में ही कह दिया था कि वह संसदीय शासन प्रणाली के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं।[2] और बाद में पाकिस्तान ने इसे नहीं अपनाया।

भारत की संविधान सभा में जब संविधान बनाया जा रहा था तब पटेल और अंबेडकर संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में अपने अपने विचार प्रस्तुत करते रहते थे किंतु उन प्रस्तावों पर या तो ध्यान ही नहीं दिया जाता था या उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता था। भारतीय प्रायः यही विश्वास करते हैं कि संविधान सभा में संसदीय शासन प्रणाली अपनाएँ जाने पर सभी एकमत थे। किंतु इतिहास गवाह है कि न केवल पटेल और अंबेडकर के इस संबंध में अलग ही विचार थे बल्कि कई अन्य कांग्रेसियों के इस बारे में भिन्न-भिन्न विचार थे।

संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का फ़ैसला केवल कांग्रेस पार्टी की समितियों में किया गया था और उसे संविधान सभा ने पारित किया था। कांग्रेस पार्टी ने नेहरू की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसे संविधान सभा के लिए संविधान बनाना था और 15 सदस्यों के इस छोटे से पैनल ने फ़ैसला किया कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाएगी।[3]

वर्ष 1946 में संविधान सभा बनाई गई थी। उसमें कांग्रेस संविधान विशेषज्ञ समिति के फ़ैसलों की संघ संविधान समिति की ओर से मानते हुए उसी आधार पर संविधान बनाने का फ़ैसला किया गया। यद्यपि पटेल की अध्यक्षता में बनी प्रांतीय संविधान समिति की सिफ़ारिशें अलग प्रकार की थी। पटेल की अध्यक्षता में बनी प्रांतीय संविधान समिति की सिफ़ारिशों में कहा गया था कि भारत को एकात्मक अथवा संघीय शासन प्रणाली अपनानी चाहिए और सरकार के प्रमुख को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुना जाना चाहिए। चूँकि नेहरू ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाने के पक्ष में थे जिसमें सरकार के प्रमुख को अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने की व्यवस्था थी इन मतभेदों पर विचार करने के लिए 7 जून, 1947 को दोनों समितियों की एक संयुक्त बैठक की गई और उसमें यह फ़ैसला किया गया कि प्रांतीय गवर्नर को केंद्र द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा बल्कि वह वहाँ की जनता द्वारा चुने जाएंगे और

कार्यपालिका के बारे में संयुक्त समिति ने फ़ैसला किया वह संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप निर्धारित होगी। इस संयुक्त बैठक में एकमत नहीं बन पाया क्योंकि नेहरू ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली अपनाने पर ज़ोर दे रहे थे जबकि पटेल प्रांतीय गवर्नर का प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहते थे। जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और उसमें नेहरू की अध्यक्षता वाली संघ संविधान समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर ब्रिटिश शासन प्रणाली को पारित किया गया उस संयुक्त बैठक में इस बारे में सहमति नहीं बन पाई थी। चूँकि नेहरू ब्रिटिश शासन प्रणाली के पक्ष में थे इसलिए 10-11 जून, 1947 को एक और संयुक्त बैठक की गई। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे और इसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर, के.एम. मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोविंद बल्लभ पंत, जगजीवन राम, ए.के. एंटनी के.एम. पनीकर और जे.बी. कृपलानी जैसे 36 प्रतिष्ठित नेताओं ने भाग लिया था। दो दिन की गरमागरम बहस के बाद इस संयुक्त बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रपति और गवर्नरों का प्रत्यक्ष निर्वाचन कराया जाएगा। इसमें नेहरू से कहा गया कि वह राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करें, परंतु उन्होंने कभी उस पर पुनर्विचार नहीं किया। फिर भी पटेल ने अपने प्रांतीय संविधान को सीधे संविधान सभा में रखा जिसमें कहा गया था कि गवर्नरों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इसके बारे में सदस्यों को इस मतभेद के बारे में सूचना ही नहीं दी गई। उन्होंने पटेल की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया किंतु 31 मई, 1949 को संविधान सभा ने अपने इस फ़ैसले को बदल दिया। संविधान के प्रारूप में संशोधन कर गवर्नर की प्रत्यक्ष नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। किंतु संविधान सभा ने इस फ़ैसले को उलट दिया। संविधान सभा के पूरे इतिहास में केवल इसी फ़ैसले को बदला गया था।

जहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर का संबंध है, वह ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली के पक्ष में ही नहीं थे। उन्होंने 6 मई, 1945 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष पद से अपने संबोधन में कहा था कि 'संसदीय शासन प्रणाली का', 'बहुमत का शासन' जैसे आधारभूत प्रावधान ना तो सिद्धांततः न ही व्यवहार में समर्थनीय (अनटेनेबल) हैं।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनने से केवल 7 महीने पहले संविधान सभा में उन्होंने मौलिक अधिकार समिति को जो अपना प्रारुप प्रस्तुत किया था उसमें 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया' के मौलिक अधिकार कहा गया था अर्थात् वह अमेरिका की राष्ट्रपतिय प्रणाली के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। जब यह प्रस्ताव चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने उस सत्र में उपस्थित न रहने का फ़ैसला किया। ऐसा प्रतीत होता है तब तक वह भी कांग्रेस के फ़ैसले के पक्षधर बन गए थे। जब नेहरू जुलाई, 1947 में संघ संविधान समिति की सिफ़ारिश संविधान सभा में लेकर आए तो उन्होंने सभी सदस्यों को इसका समर्थन करने के लिए कह दिया था। सदस्यों ने अपने दल के कहे अनुसार उस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस स्थिति पर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था चूँकि कांग्रेस के पास 70 प्रतिशत सीटें हैं अतः यह सभा तो कांग्रेस की जेब में ही है। कहने का अभिप्राय यह है कि कांग्रेस के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मतदान

करने का अधिकार नहीं था।

जब नेहरू की संघ संविधान समिति की रिपोर्ट मतदान के लिए संविधान सभा में रखी गई उसे सहज ही समर्थन प्राप्त हो गया। इसमें राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान था यहाँ तक के राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष निर्वाचन संबंधी सभी प्रस्ताव वापस ले लिए गए थे। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि संविधान सभा में कभी इस पर मतदान नहीं हुआ कि क्या भारत को संसदीय शासन प्रणाली अपनानी चाहिए? बाबा साहब अंबेडकर उसी प्रकार के संविधान का प्रारूप बना रहे थे जिसमें ब्रिटिश शासन प्रणाली को भारत के लिए अपनाया जा रहा था क्योंकि वह जानते थे कांग्रेस पार्टी, नेहरू ऐसा ही चाहते थे।

कांग्रेस के एकमात्र सदस्य जिनका नाम राम नारायण सिंह था, ने केवल इसका विरोध किया था। जब संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के प्रारूप को अपनाया जा रहा था तो वह यह कहने से अपने को रोक नहीं पाए कि संसदीय शासन प्रणाली हमें नहीं अपनानी चाहिए। यहाँ के लोग इसके पक्ष में नहीं हैं क्योंकि यह पद्धति पश्चिम में भी असफल सिद्ध हो चुकी है और यह इस देश में भी विनाश लाएगी।[8]

इधर कुछ वर्षों में दलित राजनीति में आई जागरूकता और इस संदर्भ में अंबेडकर की लीगेसी को लेकर राजनीतिक दलों में बढ़ती परस्पर प्रतिस्पर्धा से डॉ. अंबेडकर के संविधान में योगदान के संबंध में हो रहे महिमामंडन से कुछ दल विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी सतर्क हो रही है। कांग्रेस में यह सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि संविधान निर्माण का सारा श्रेय यदि अंबेडकर को दिया जा रहा है तो नेहरू ने क्या किया था? क्या संविधान निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं था? जबकि कांग्रेस का मानना है कि संविधान निर्माण में नेहरू के योगदान के सामने कोई नहीं टिक सकता। सुधींद्र कुलकर्णी के अनुसार कांग्रेस में महात्मा गांधी के बाद सब से बड़ा कद नेहरू का ही था। स्वतंत्रता सेनानियों में वह सबसे अग्रणी थे। वह भारत के प्रधानमंत्री तो थे, वह आधुनिक भारत के निर्माता थे और संविधान निर्माण में भी उनके मुकाबले में कोई नहीं है।

संविधान में नेहरू के योगदान पर सुधींद्र कुलकर्णी का एक आलेख पहले कंविट में प्रकाशित हुआ और बाद में 27 नवंबर, 2017 में नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित हुआ है[10] जिसमें उन्होंने इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है कि इस भ्रम को फैलाया जा रहा है कि डॉ. अंबेडकर ही संविधान का एकमात्र निर्माता था। इस प्रकार डॉ. अंबेडकर की भूमिका को नेहरू के अवदान से बढ़ा चढ़ा कर बताने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी इस प्रकार के भ्रम को फैला रहे हैं।

हम मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के प्रारूपण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए यह कहना कि भारत का संविधान भारत को अंबेडकर की देन है, सच से बहुत दूर की बात है। हम मानते हैं वह सामाजिक न्याय के पैरोकार थे और उन्होंने दलित वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया और संविधान में भी उनके लिए प्रावधान

करने के लिए प्रयास किए थे किंतु संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा की संविधान प्रारूपण समिति अथवा उसके अध्यक्ष को अनन्य अधिकार नहीं थे। उन्हें विभिन्न विषयों की समितियों की सिफ़ारिशों के अनुसार प्रारूप तैयार करना होता था जिसे बाद में संविधान सभा ने पारित किया था। इस प्रक्रिया में नेहरू ने ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि एक तो कांग्रेस में महात्मा गांधी के बाद उनका ही सबसे बड़ा कद था तथा दूसरा सितंबर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के वे प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी ने नेहरू को मंत्रिपरिषद में डॉक्टर अंबेडकर को शामिल करने के लिए कहा था और महात्मा गांधी के सुझाव पर और उनके विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अतः ऐसी स्थिति में यह सोचना सही नहीं है कि संविधान निर्माण में कांग्रेस की कमतर भूमिका थी। हम जानते हैं कि संविधान का प्रीएम्बल उसकी आत्मा और आधार है और इसका श्रेय श्री नेहरू को दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि संविधान के आधारभूत संरचना का श्रेय भी नेहरू को और कांग्रेस को जाता है। वह संविधान की आधारभूत संरचना उसका आधार स्तंभ है इस आधारभूत संरचना को उच्चतम न्यायालय ने भी केशवानंद भारती के मामले में मान्यता दी है। संविधान सभा में नेहरू के भाषणों के अनुशीलन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माण में किस की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण थी।[11]

❑

संदर्भ

1. अंबेडकर की जीवनी, अंबेडकर प्रतिष्ठान
2. गांधी ऐंड कांस्टीट्यूशन मेकिंग इन इंडिया, डी.के. चटर्जी, ऐसोसिएटिड पब्लिशिंग हाउस, 1984
3. इन ल फ्रेमिंग आफ इंडयाज कांस्टीट्यूशन, भी.एस. राव, खंड 5, पृष्ठ 28
4. 'द फ्रेमिंग आफ द कांस्टीट्यूशन', बी.आर. राव, खंड 10, पृष्ठ 331, यूनीवर्सल लॉ पब्लिशिंग, दिल्ली।
5. संयुक्त बैठक का कार्यवृत, 7 जून,1947
6. राव, खंड 2, पृष्ठ 84-104
7. संविधान सभा, वाद विवाह, 17 दिसंबर, 1946
8. संविधान सभा वाद-विवाद, 5। जुलाई, 1947
9. संविधान सभा वाद-विवाद, 5 नवंबर, 1948 रिव, खंड 2, पृष्ठ 609
10. सुधींद्र कुलकर्णी का आलेख, 27 नवंबर, 2017
11. लोक सभा वाद/विवाद, 1951

डॉ. अशोक कुमार अवस्थी

सेना सेवा विधि-शास्त्र में नवोन्मेष का अग्निपथ

केंद्र सरकार ने सेना के तीनों अंगों में प्रचलित भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन करके नवोन्मेष किया है। इस योजना के अंतर्गत 17 से 21 वर्ष के जवानों को चार साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। इनकी शैक्षिक योग्यता आठवीं कक्षा पास से बारहवीं पास रखी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को सेना के विभिन्न क्षेत्रों की किसी विशिष्ट शाखा में ट्रेनिंग देकर पारंगत किया जाएगा तथा चार साल बाद इनमें से उपयुक्त पाए गए एक चौथाई को स्थायी रूप से समायोजित कर लिया जाएगा। बचे तीन-चौथाई को अग्निवीर की उपाधि के साथ एक मुश्त रक़म देकर स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यह अग्निवीर, बाहर निकल कर केंद्र और राज्य सरकार या प्राइवेट नौकरी के लिए अर्ह होंगे तथा स्वरोज़गार करने के लिए बैंकों से लोन लेने के लिए पात्र होंगे। इन चार वर्षों में वे सामान्य सैनिकों को प्राप्त होने वाली कैंटीन तथा मेडिकल समेत अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे। इस दौरान इन्हें अवकाश मिलेगा लेकिन चार साल से पहले वह त्यागपत्र नहीं दे सकेंगे। युद्ध में प्राणोत्सर्ग करने पर एक करोड़ रुपए बीमा के रूप में मिलेंगे। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अर्ध सैनिक बलों, पुलिस/पी.ए.सी., होम गार्ड वगैरह में इनके लिए स्थान आरक्षित करने की घोषणा की है। कई कारपोरेट घरानों ने भी इनको नियोजन देने की पेशकश की है। विभिन्न सेना अधिनियमों में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है और नवंबर 2022, इनकी नियुक्ति की डेड लाइन बताया जा रहा है।

भारतीय सेनाओं का शौर्य, पराक्रम, साहस तथा अदम्य वीरता का अपना गौरवशाली इतिहास है। सेनाओं का गठन ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ था। दोनों विश्व युद्धों तथा कतिपय अन्य अवसरों पर एक अति अनुशासित तथा व्यवस्थित दल के तौर पर अंग्रेजों की तरफ से लड़कर इसने जो ख़्याति अर्जित की उससे वह विश्व की अग्रणी सेनाओं में गिनी जाने लगी। आज भी वह स्तर बना हुआ है। पाकिस्तान तथा चीन के साथ हुए युद्धों में तथा शांति के समय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन आदि में जिस कार्यकुशलता, वीरता, धैर्य तथा साहस का परिचय दिया है उससे आम भारतीय में इनके प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़ा है तथा इसी कारण सेना में सेवा करने का आकर्षण बना हुआ है। देश के लिए कुछ कर गुजरने तथा शहादत देने का जज्बा इतना अधिक है कि नौजवान इसमें चुने जाने के लिए लालायित, आकुल, आतुर रहते हैं और भर्ती के पूर्व ली जाने वाली परीक्षा के लिए सुबह-शाम तैयारी करते देखे जाते हैं।

सेना में प्रवेश पाना मात्र रोज़गार नहीं बल्कि देश सेवा का अवसर मिलने को प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। बहुत से परिवारों की कई पीढियाँ सेना में पली बढ़ी हैं।

स्वतंत्रता से पहले भारतीय सेनाओं पर ब्रिटिश क़ानून लागू होते थे। भर्ती, नियमितीकरण, प्रमोशन, पेंशन आदि तत्समय लागू नियम-परिनियम के अंतर्गत होता था लेकिन एकीकृत व संहिताबद्ध क़ानूनों का अभाव था। दरअसल इनकी नियुक्ति ब्रिटिश राज परंपरा की परिपाटियों से शासित थी। इंग्लैंड तथा भारत में कई ख़्याति प्राप्त सैनिक स्कूल हैं जिनमें ट्रेनिंग दी जाती है। जाति, धर्म, वर्ग आदि के नाम से रेजीमेंट बनाई गई जिनमें आपस में स्वस्थ स्पर्धा होती थी। इन रेजीमेंट के विशिष्ट ध्वज हैं जिनको ऊँचा रखने के लिए सैनिक अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं।

स्वतंत्रता के बाद तथा भारतीय संविधान लागू होने के बाद इनसे जुड़ी विधियों का संहिताकरण प्रारंभ हुआ। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद के आधार पर रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेष्टा (सुप्रीम कमांडर) होता है तथा उसे युद्ध और शांति की घोषणा करने का तथा सैन्य बलों के प्रविस्तारण का समादेश करने की शक्ति होती है। यह विधि द्वारा विनयमित होती है। जब तक संसद विनियोग विधेयक पारित न करे तब तक कोई व्यय उपगत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार संसद बजट द्वारा सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण और उनको बनाए रखने को अपने नियंत्रण में रखती है।

संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में नौ सेना, सेना, वायु सेना तथा संघ के अन्य सशस्त्र बल, आयुध, अग्नायुध, गोला-बारूद और विस्फोटक; परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत आदि से संबंधित प्रथम नौ विषयों पर केंद्र की संसद को विधि बनाने का अनन्य अधिकार है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सैन्य बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 33 व 34 सेनाओं तथा अर्ध सैनिक बलों के मूल अधिकारों पर निर्बंधन के लिए एक सीमित उद्देश्य हेतु उपबंध करते हैं और इस उद्देश्य के निर्देश में केवल संसद अनुच्छेद 35 के अधीन विधान पारित कर सकती है भले ही वह राज्य सूची का विषय हो। दरअसल, अनुच्छेद 33 मूल अधिकारों का अपवाद है जो सैनिक विधि से संबंधित है। इसके अंतर्गत, संसद को सशस्त्र बलों के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों की बाबत मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की असीम शक्ति प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए, संसद ने सेना अधिनियम की धारा 12 में उपबंध किया है कि नियमित सेना में किसी स्त्री को नियोजित नहीं किया जाएगा। इस उपबंध को लैंगिक भेदभाव के आधार पर चुनौती नहीं दी सकती है। अनुच्छेद 33 संसद को मूल अधिकारों के विस्तार की सीमा को अवधारित करने की शक्ति प्रदान करता है। अतः कोर्ट मार्शल द्वारा अपराधों के विचारण के लिए प्रक्रिया विहित करने वाली विधि को अनुच्छेद 21/22 की अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यही नहीं, सशस्त्र बलों में सिविलियन कर्मचारी यथा नाई, धोबी, बढई आदि भी अनुच्छेद 33 के प्रयोजनार्थ सशस्त्र बलों के सदस्य माने जाते हैं और उनके अधिकार कम किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करके किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पूर्ति कर सकेगी। अनुच्छेद 35 में प्रावधान है कि कतिपय विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण केवल संघीय संसद के क्षेत्राधिकार में होगा, राज्यों के विधान मंडलों के नहीं।

सैन्य बलों में अनुशासन क़ायम रखने तथा उनके जीवन स्तर को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पुलिस, अस्पताल तथा कैंटीन आदि की व्यवस्था की गई है जिसके उपभोग के लिए वे अधिकृत हैं। स्थानीय प्रशासन के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड स्थापित हैं। सैनिकों की सेवा शर्तें परिभाषित हैं जिनके द्वारा उनका नियोजन, पदच्युति, हटाए जाने या पंक्ति में अवनत् किए जाने के लिए विधि बनाए जाने का अधिकार अनुच्छेद 309 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 310 उपबंधित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या रक्षा से संबंधित कोई पद धारण करता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मूल इंग्लैंड की विधि में है। वहाँ यह नियम है कि सम्राट के अधीन सभी सेवाएँ, चाहें वे सैन्य सेवाएँ हों या सिविल, सम्राट के प्रसाद पर्यंत धारण की जाती हैं। किसी भी सेवक की सेवाएँ इच्छानुसार समाप्त की जा सकती हैं और उसे पदच्युत किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए सरकार को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान में प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को मान्यता दी गयी है किंतु उसे अनुच्छेद 311के अधीन रखा गया है। इसके कारण सिविल सेवकों को कुछ संविधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है लेकिन यह सुरक्षा सैन्य बलों को नहीं मिलती है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सैनिकों के लिए अलग न्यायालय व्यवस्था है जिसे जज एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। अभी हाल में सशस्त्र बल अपीलीय अधिकरण का भी गठन किया गया है। इनमें सैनिकों द्वारा सेवा काल में किए गए अपराधों/ दुष्कृत्य विवादों का निपटारा होता है। कसूर वार को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाता है। **भारत संघ बनाम प्रिथीपाल (1982)** के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि सुनवाई के अवसर देने से सैन्य-अनुशासन तथा दोषी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। **मेजर एस.एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ** (1990) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी दोष सिद्ध के विरुद्ध आदेश में कारणों का उल्लेख अनिवार्य है। वैसे रक्षा बलों के संबंध में राष्ट्रपतीय प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत की न्यायिक समीक्षा अत्यंत सीमित है लेकिन समय समय पर न्यायपालिका इनको संविधानिक संरक्षण दिलाने में सक्षम सिद्ध हुई है। गत 17 फरवरी, 2020 को निर्णीत सचिव, **रक्षा मंत्रालय बनाम बबिता पुनिया** तथा 25 मार्च, 2021 को निर्णीत **नीतिशा बनाम भारत संघ** के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सेना के अनुमत क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है जिसका सर्वत्र स्वागत हुआ है।

सेना सेवा विधि-शास्त्र का विकास सीमित रहा है। न्यायपालिका ने भी रक्षा बलों में अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन संकुचित रूप में किया है। अग्निपथ योजना

पूर्व प्रचलित स्थापित परंपरा का नव संस्करण है जिसमें चार वर्ष के लिए ही नियोजन मिलेगा, लेकिन वे सेना अनुशासन से आबद्ध रहेंगे और बाद में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर अग्निवीरों को सेवा के लिए बुलाया जा सकेगा जिससे वे इंकार नहीं कर सकते। संविधान का अनुच्छेद 23(2) राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की शक्ति देता है। यह भी प्रावधानित है कि ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यों तो यह अनुच्छेद प्रत्येक भारतीय पर लागू होता है लेकिन चार साल ट्रेनिंग पाए अग्निवीरों का अलग विशिष्ट वर्ग बन रहा है और रक्षा आवश्यकताओं के निमित्त एक सशक्त द्वितीय पंक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कई देशों में यह प्रचलित हो चुकी है और सफल बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने दीवार पर लिखी इबारत को समय रहते पढ़ लिया है तथा आशा की जानी चाहिए कि अग्निपथ का यह नवोन्मेष देश की सुरक्षा व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा और अग्निवीरों के रूप में देश सेवा को संकल्पित एक पीढ़ी विकास के नए अध्याय लिखेगी।

❑

कहानी

नम्रता सरन सोना

कल, आज और कल

"अरे यार, ये बाबूजी फिर लैट्रीन में गिर गए हैं, जाओ, उठाओ उनको।" चित्रा ने खिसियाते हुए कहा।

"अरे यार, मुझसे नहीं होगा, वो लथपथ हो जाते हैं, मेरा जी घबराता है, मितली आने लगती है, भिकन को फ़ोन लगाता हूँ, अभी मौहल्ले की झाडू लगा रहा होगा।" विवेक ने नाक-भौं सिकोड़ते हुए कहा।

"नहीं है, निकल गया, मैंने फ़ोन किया था, अब तुम ही उठाओ जाकर, कब तक टॉयलेट में पड़े रहेंगे।" चित्रा तुनक कर बोली।

"नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, तुम कुछ कर सकती हो।" विवेक ने उम्मीद से पूछा।

"कुछ अक्ल है तुममें, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें ही करना होगा। चलो अब जल्दी करो।" चित्रा ने आदेशात्मक लहज़े में कहा।

"ठीक है, कोशिश करता हूँ।" विवेक ने मुँह पर कपड़ा बाँधते हुए कहा।

"ओ..ओ.., क्या मुसीबत है, मुझसे नहीं होगा यार, बाबूजी आपने बहुत परेशान करके रख दिया है, जब देखो, गंदगी मचा देते हो, संभलकर क्यों नहीं बैठते।" विवेक टॉयलेट के दरवाज़े

शेष पृष्ठ 124 पर

डॉ. गरिमा यादव

चारों ओर मचा है दुष्कर्म का हाहाकार

जरूरत है बढ़े सजा की रफ्तार

आज शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जिस दिन मीडिया के किसी चैनल पर या प्रिंट मीडिया के किसी-न-किसी अखबार में कहीं-न-कहीं कोई गेंग-रेप या किसी मासूम के साथ दुष्कर्म घटने की खबर नहीं हो। प्रदेश ही नहीं आज पूरे देश में जगह-जगह बलात्कार व महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की घटनाएँ घटित हो रही हैं जिनमें पीड़िता को न्याय के लिए पुलिस थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक भटकना पड़ता है। बहुत से मामलों में तो पीड़िता लोक-लाज या परिवार की इज्जत के कारण रिपोर्ट तक नहीं करती है। कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने सरकार को महिलाओं की रक्षार्थ क़ानून बनाने और पुराने क़ानून में संशोधन करने पर मजबूर होना पड़ा तथा न्यायपालिका ने सहयोगात्मक रूख अपनाते हुए आरोपियों में से एक नाबालिग को छोड़कर बाकी आरोपियों को मृत्युदंड दे ही दिया।

भारत में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं तथा अभी कोरोना काल में इनमें वृद्धि हुई है। इस वर्ष की प्रथम छमाही में ही गत वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों की संख्या इस अवधि में 39 प्रतिशत बढ़ी है। देश की राजधानी दिल्ली में 2021 के प्रथम छः माह में 1022 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए जबकि इस अवधि में गत वर्ष इन मामलों की संख्या 735 दर्ज हुई थी। इस प्रकार महिलाओं के विरुद्ध इन मामलों में दिल्ली में 43 प्रतिशत वृद्धि 2021 के कोरोना काल में हुई है। अन्य राज्यों में भी वृद्धि हुई है और राजस्थान में यह वृद्धि लगभग 40 प्रतिशत है।

चार दशक पूर्व बलात्कार के एक मामले में हमारा उच्चतम न्यायालय आरोपी पुलिस मैन को इसलिए बरी करने पर मजबूर हुआ कि पीड़िता ने विरोध नहीं किया और इसे उसकी सहमति समझा गया। तब दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रो. उपेंद्र बख्शी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक खुला खत लिखते हुए बताया कि पीड़िता के साथ न्याय नहीं हुआ और हमारे बलात्कार के क़ानून में बदलाव होना चाहिए। प्रो. बख्शी ने मथुरा रेप केस के तथ्य स्पष्ट करते हुए बताया कि पीड़िता का पुलिस थाने में बलात्कार हुआ था और वह गरीब झाड़ू-पौंचा करने वाली इन ताकतवर पुलिस के आरोपियों के विरुद्ध सबूत कहाँ जुटा सकती

थी? साक्ष्य के इस अभाव को उसकी सहमति मान लिया गया और बलात्कारी क़ानून के शिकंजे से छूट गए परंतु गरीब पीड़िता के साथ तो दुर्भाग्यवश अन्याय ही हुआ। प्रो. बख्शी के उक्त खत के परिणामस्वरूप भारत में जगह-जगह महिला आंदोलन हुए जिसे मीडिया का भरपूर समर्थन मिला और भारतीय संसद को 1983 में बलात्कार से सम्बन्धित आपराधिक क़ानून में बदलाव करने पड़े और थोड़ी सजा भी बढ़ाई गई।

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो साक्ष्य के भार के बारे में हुआ। सबूत का भार जो अब तक पीड़िता पर होता था, वह आरोपी पर डाला गया कि वह अपने आप को निर्दोष साबित करे अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। पीड़िता को उसके साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट मात्र पुलिस में दर्ज करानी होगी चाहे उसके पास सबूत हो या नहीं हो। यह बदलाव बहुत अच्छा था क्योंकि अधिकतर बलात्कार सुनसान जगह या बंद कमरे में होते थे। अपहरणकर्ता पीड़िता को उठा ले जाते थे और वहाँ उनके द्वारा की गई दरिंदगी का साक्ष्य जुटा पाना उसके लिए संभव नहीं होता था। यह बदलाव महिलाओं द्वारा स्वागत योग्य माना गया। परंतु समय बीतने के साथ यह भी देखा जा रहा है कि कभी-कभी दुष्कर्म के झूठे आरोप रंजिश निकालने या ब्लैक मेल के लिए किए जाते हैं, जो महिलाओं द्वारा उन्हें दी गई इस सुविधा का दुरुपयोग है।

इसके अलावा 1983 में दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि विशेष परिस्थितियों में किसी महिला के साथ उसकी सहमति से बनाए गए लैंगिक संबंध भी दुष्कर्म के रूप में दंडित होंगे क्योंकि पीड़िता को आरोपी दबाव से या प्रभाव से राजी करता है जिसे सहमति नहीं माना जाएगा और पुरुष दंडित किया जाएगा। उदाहरण के रूप में ऐसे स्थान पुलिस स्टेशन, जेल, अस्पताल व अन्य संस्थान इसके अंतर्गत आएँगे।

गत वर्ष जून 2020 में राजस्थान के दौसा जिले में एक नाबालिग को 6 दरिंदे उठा ले गए और सारी रात उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दरिंदगी की हद तो यह है कि सुबह उस नाबालिग पीड़िता को उसके घर के पास पटक गए। रिपोर्ट दर्ज हुई और आरोपी पकड़े गए। अब कठोरतम सजा की जरूरत है। इसी तरह 29 अगस्त, 2020 को जोधपुर में भी एक 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ 6 जनों ने दरिंदगी की।

इससे पूर्व 17 जुलाई, 2020 को जालौर में एक युवती की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई। पीड़िता के परिजनों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया तथा दुष्कर्मी हत्यारों को फाँसी पर लटकाने की माँग की। जालौर के पास सिरोही में भी 9 अगस्त, 2020 को एक मासूम बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना घटी।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में दरिंदों ने हैवानियत की हद पार कर दी। उन्होंने 15 अगस्त, 2020 को वहाँ एक दलित नाबालिग के साथ गैंग रेप किया। उसकी जीभ काटी तथा आँखें फोड़ कर हत्या कर दी। इस जघन्य कांड की वहाँ के फास्ट ट्रेक कोर्ट में कार्यवाही जारी है और न्याय तभी होगा जब मृत्यु दंड की सजा दुष्कर्मियों को मिले।

अभी दो माह पूर्व 24 मई, 2021 को राजस्थान के करौली जिले में भी एक 16 वर्षीय

किशोरी के साथ ऐसे ही गैंग रेप की घटना घटी और सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दरिंदों ने पीड़िता को कुँए में फेंका जहाँ वह बेचारी रात भर पड़ी रही। दूसरे दिन क़ानूनी कार्यवाही शुरू हुई जो जारी है। माह जून 2021 के अंतिम सप्ताह में अलवर जिले के रामगढ़ में एक गरीब बालिका के साथ गैंग रेप किया गया। आरोपी कई लोग थे जिनमें दो आरोपी तो सगे भाई थे जिन्हें दुष्कर्म करने में लज्जा तक नहीं आई। पीड़िता की माँ गरीब होने के कारण पंजाब मजदूरी करने चली गई थी और बेटी को नाना के पास छोड़ गई थी जहाँ से दरिंदों ने उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी बूढ़े नाना को चार दिन तक रिपोर्ट नहीं करने के लिए धमकाते रहे और जान से मारने तक की धमकी भी दी। पीड़िता की माँ को सूचना मिलने पर वह आई और तब रिपोर्ट दर्ज हुई तथा ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों को सख्त सजा देने की माँग की। अजमेर के पुष्कर में भी एक अन्य बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या से गुस्साये लोगों ने जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए फाँसी की सजा दिए जाने की माँग की। एक अन्य मामले में मई 2021 के दैनिक भास्कर की खबर अनुसार राजस्थान की राजधानी जयपुर के झालाना में एम्बुलेंस में ही 7 माह की गर्भवती का गैंग रेप कर डाला जिसकी पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है और आरोपियों को फाँसी की सजा मिलनी चाहिए।

ताजा मामला दिल्ली में 01 अगस्त, 2021 को एक पुजारी द्वारा 9 वर्ष की मासूम बालिका का बलात्कार कर हत्या करने का है जिसके लिए चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। पीड़िता दलित एवं अबोध थी जो शमशान घाट पर लगे वाटर कूलर से पानी लेने गई थी और दुष्ट पुजारी की हवस का शिकार हो गई। आरोपी ने उसे मार भी डाला और पीड़िता की माँ को फोन कर बुलाया कि करंट लगने से बच्ची मर गई है। लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और पुलिस भी पहुँच गई, परंतु शव परिजनों को सौंपने के बजाय आनन-फानन में दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस कार्यवाही संदिग्ध लगती है जिसमें पुजारी को बचाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति भी गरमा गई हैं। विपक्ष गृहमंत्री तक का इस्तीफा माँग रहा है और जनता आरोपी को फाँसी लगाने की माँग कर रही है। अभी हाल ही दैनिक भास्कर में 10 अगस्त की खबर है कि माँ के सामने हरियाणा के सोनीपत के राई कस्बे में दो बहनों से चाकू की नोंक पर गैंग रेप किया गया। चिल्लाने पर उसे जहर दे दिया जिससे मौत हो गई। दरिंदगी की हद है। चारों आरोपी अब गिरफ्तार किए गए हैं। 10 अगस्त, 2021 की एक खबर के अनुसार राजस्थान के बाड़मेर में चाकू की नोंक पर तीन जनों ने एक दंपत्ति को बाईक पर जाते हुए रोका तथा उधार के 7200 रुपए माँगे। रुपए उनके पास नहीं होने के कारण महिला ने अपना मोबाईल देकर भरपाई करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। पति को धक्का देकर मारा और बारी-बारी से तीनों दरिंदों ने मात्र सात हजार रुपए के लिए पत्नी का बलात्कार किया। अब क़ानूनी प्रक्रिया जारी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन हैवानों को कठोरतम दंड मिलेगा।

वर्ष 2012-13 में केंद्र सरकार द्वारा भारत की संसद में क़ानून पारित कर पोक्सो एक्ट बनाया गया तथा भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता आदि में संशोधन कर सजाएँ बढ़ाई। बालिकाओं पर होने वाले यौन उत्पीड़न के अपराधों को रोकने के लिए यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम (Prevention of Children from Sexual Offences Act) 2012 पारित किया गया जिसमें 2019 में संशोधन पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत कोई भी बालक या बालिका जो 18 वर्ष से कम आयु का है यानी अव्यस्क है और उसके ऊपर लैंगिक अपराध कारित हुआ है, पीड़ित माना जाएगा। इस क़ानून के तहत हर जिले में पर्याप्त संख्या में पोक्सो कोर्ट बनाए गए ताकि त्वरित कार्यवाही हो और अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को दंडित किया जा सके। भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर 2013 में सामूहिक बलात्कार के मामलों हेतु अलग धारा 376-घ सृजित कर 'गैंग रेप' को दंडित किया गया है। इसके अनुसार, किसी समूह द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में जब एक महिला पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म कारित किया जाता है तो उसे 'गैंग रेप' समझा जाएगा और समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा जो उसकी मृत्यु तक समझा जाएगा तथा जुर्माना भी देय होगा जो पीड़िता को पुर्नवास व चिकित्सकीय खर्चों हेतु प्रदान किया जाएगा।

जनवरी 2021 में पटना (बिहार) की अदालत ने 2018 के एक बलात्कार के मामले में फाँसी की सजा दी है। राजस्थान के झुंझुनू की पोक्सो कोर्ट ने भी इसी तरह के गंभीर अपराध में फाँसी की सजा सुनाई है। बूँदी की पोक्सो अदालत ने 2018 में एक मासूम के साथ हुए रेप के लिए आरोपी को अभी 30.07.2021 को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है एवं उस पर 50000 रुपए अर्थदंड लगा पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया है। गत वर्ष कोटा की पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के अपराध के लिए 20 वर्ष की सजा दी और सवाई माधोपुर के पोक्सो जज दिनेश गुप्ता ने 2018 के एक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। नागौर की पोक्सो न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने तो 33 दिन में फास्ट ट्रेक कोर्ट की तरह काम कर दुष्कर्मी को फाँसी की सजा सुना कर एक नज़ीर पेश की है। पुलिस ने भी 20.09.2021 को 8 वर्ष की मासूम से उसके मुँहबोले मामा द्वारा किए गए दुष्कर्म की जाँच कर 7 दिन में 27.09.2021 को चालान पेश कर सहयोग किया। 7 दिन में ही जज महोदया ने त्वरित गति से 29 लोगों के बयान लिए। कोर्ट ने 21.10.2021 को आरोपी को दोषी माना और 23.10.2021 बहस सुन फाँसी की सजा सुना दी। न्यायाधीश राठौड़ ने कहा कि आरोपी ने भरोसा तोड़ा है और उसका कृत्य इतना क्रूर व भयानक है कि उसे आजीवन कारावास जैसी सजा नहीं दी जा सकती। उसके लिए तो मृत्यु दंड ही इकलौती सजा है।

भारत में दंड के चार में से दो सिद्धांत मुख्य रूप से प्रचलित हैं। ये हैं भयकारी एवं सुधारात्मक सिद्धांत। आज भारत को आज़ादी मिले 75 वर्ष होने जा रहे हैं परंतु बेटियों की सुरक्षा के लिए कई क़ानून बनाने पड़ रहे हैं और अपराधी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी स्थिति उस रस्सी की तरह है जो जल जाएगी, पर उसका बल नहीं जाएगा। अतः भारत

में भयकारी दंड की ही अधिक जरूरत है। हमारी सर्वोच्च अदालत ने मृत्युदंड चार दशक पूर्व समाप्त करने से बचनसिंह केस[1] में मना कर दिया था और आज भी सुप्रीम कोर्ट दुष्कर्म के बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए निर्भया केस[2] की तरह मृत्युदंड देने के पक्ष में है। अब सबसे बड़ी जरूरत है कि दुष्कर्म के मामले फास्ट ट्रेक कोर्ट की तरह सुने जाएँ ताकि बलात्कार सिद्ध होने पर बलात्कारी को शीघ्र दंड मिले जो कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सजा की रफ्तार बढ़े और जघन्य दुष्कर्म के अपराधों में मृत्युदंड मिले तो निश्चित रूप से महिलाओं व मासूम बेटियों की सुरक्षा हो पाएगी। दुष्कर्म के अपराध चाहे समाप्त हो न हो, पर उनमें सजा बढ़ने से निश्चित रूप से कमी आएगी।

❑

संदर्भ

1. AIR 1980 SC 898
2. मुकेश व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (6) 2017 SCC 1

पृष्ठ 119 का शेष

पर खड़ा होकर बड़बड़ा रहा था, बाबूजी असहाय से बहती आँखों से करुण याचना कर रहे थे।

"हटिए पापा, यह सब क्या लगा रखा है, दादाजी कोई जान-बूझकर तो नहीं गिरते, गंदगी में, उनकी उम्र देखिए, हटिए आप, मैं कर लूँगा सब, आप शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, जब आप बीमार थे तो दादाजी, आपकी उल्टियाँ, अपने हाथों में झेल लेते थे, और जैसे आप मुझे बताते हैं कि आपने मेरे बचपन में, कैसे मेरी सूसू-पॉटी साफ़ की है, वैसे ही दादाजी ने भी तो आपके लिए किया होगा, क्या उन्होंने कभी ऐसे नाक-भौं सिकोड़ा है, नहीं न, दादाजी की उम्र, अब वही बच्चों वाली है, बल्कि उससे भी नाजुक, ऐसे में क्या हम उनको, बदहाल छोड़ देंगे।" विवेक के बेटे विश्वास ने अपने दादाजी को उठाते हुए कहा और उनकी साफ़-सफ़ाई में लग गया।

"बेटा, मुझे माफ़ कर दे, बहुत स्वार्थी हो गया था मैं, तूने मेरी आँखें खोल दी।" कहते हुए विवेक भी अपने पिता की सफ़ाई करने में लग गया। दादाजी की आँखों से अविरल अश्रु-धारा बह रही थी।

"दादाजी, रोइए मत, देखिए आपके दोनों बाजू आपको मज़बूती से थामें हैं न, अब आपको कभी गिरने नहीं देंगे, मम्मी दादाजी के लिए कॉफी बनाओ।" विश्वास दादाजी के आँसू पोंछते हुए बोला।

"हां बेटा।" चित्रा ने कहा, मन आत्म-ग्लानि से भरा हुआ था, सोच रही थी कि "बच्चे ने आज आँखें खोल दी, वरना हम तो अपनी ही नज़रों में गिर जाते।"

❑

डॉ विदुषी शर्मा

आज़ादी का अमृत महोत्सव और (सुशासन) गुड गवर्नेंस

देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ पर 75 सप्ताह पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। पूरे देश में पूरे 75 सप्ताह तक यह महोत्सव मनाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च, 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर की।

15 अगस्त, 2022 को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 75वीं वर्षगाँठ से एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से इन कार्यक्रमों को शुरुआत हो चुकी है जिसमें देश की अदम्य भावना के उत्सव दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें संगीत, नृत्य, प्रवचन, प्रस्तावना पठन (प्रत्येक पंक्ति देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न भाषाओं में) शामिल हैं। युवा शक्ति को भारत के भविष्य के रूप में दिखाते हुए गायकवृंद में 75 स्वर के साथ-साथ 75 नर्तक होंगे। यह कार्यक्रम 15 अगस्त, 2023 तक जारी रहेंगे।

आज़ादी का अमृत महोत्सव : चरखे के रास्ते वोकल

इस आयोजन के माध्यम से 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए साबरमती आश्रम में मगन निवास के पास एक चरख़ा स्थापित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी स्थानीय उत्पाद ख़रीदेगा और 'वोकल फॉर लोकल' का इस्तेमाल करते हुए उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा तो आत्मनिर्भरता से संबंधित प्रत्येक ट्वीट के साथ यह चरख़ा एक बार घूमेगा।

आज़ादी का अमृत महोत्सव : ए.एन.आई. के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए 25 करोड़ रुपये के बजट को मंजूर दी है। इसके साथ ही राज्य के 75 महत्वपूर्ण केंद्रों पर तिरंगा लगाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की है कि पूरे राज्य में 75 सप्ताह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिसके जरिए देशभक्ति का संदेश देने और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश की जाएगी।

अमृत महोत्सव यानी नए संकल्पों का अमृत

पीएम मोदी जी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत। नए संकल्पों का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत।

आज़ादी का अमृत महोत्सव : देश की 75वीं वर्षगाँठ का यह अर्थ है।

देश की 75वीं वर्षगाँठ का मतलब 75 साल पर विचार, 75 साल पर उपलब्धियाँ, 75 पर एक्शन और 75 पर संकल्प शामिल हैं, जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद अब बात करते हैं राजा और राज्य की क्योंकि जब तक राजा और राज्य को नहीं समझेंगे तब तक सुशासन की बात नहीं की जा सकती।

प्रत्येक विज्ञान का विकास उसकी विषय वस्तु की अवधारणाओं की स्पष्टता व विश्लेषण है। प्रारंभिक अवस्था में परिभाषाओं में उच्च स्पष्टता का अभाव होता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की मुख्य अध्ययन वस्तु राज्य सरकार 'राजा' जैसी अवधारणाओं में प्रारंभिक अवस्था में एक स्पष्ट पारिभाषिक पृथक्करण का अभाव पाया जाता है। संभवतः इसी परंपरा के अनुसार मनु कौटिल्य एवं शुक्र ने राज्य और राजा को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया है अथवा वे राज्य, राजा व सरकार की अवधारणाओं के पृथक्करण के प्रति जागरुक नहीं थे। मनु, कौटिल्य एवं शुक्र के द्वारा राजा और राज्य को समान अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, अराजकता को राजा का अभाव कहा गया है परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उपरोक्त विचारक शासक के रूप में 'राजा' और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सैद्धांतिक भेद नहीं करते थे। महाभारत में राज्य को राजा से पृथक मानते हुए राजा को सप्तांग राज्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कहा गया है। राजा एकमात्र तत्व नहीं है। राज्य में राजा छः अन्य तत्वों की तरह एक तत्व है। यह राज्य की अवधारणात्मक विवेचन में एक महत्वपूर्ण चरण था जिसमें राज्य राजा से पृथक एक संस्था बन जाता है। इसीलिए राजा राज्य कोष का व्यक्तिगत सुख के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो चोर माना जाएगा। मनु, कौटिल्य एवं शुक्र ने राजा शब्द का राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि शक्ति व प्रभाव वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं अपितु राज्य सत्ता का है। मनु का कथन है कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी कोई व्यक्ति अपमान न करें क्योंकि वह वस्तुतः 22 मनुष्य के रूप में स्थित दैवी शक्ति का ही प्रतिनिधि है। मनु ने यह स्पष्ट किया है कि एक संप्रभु संस्था के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय 'शासक' व 'शासित' के रूप में विभाजित हो जाता है। शुक्रनीति में राजा को राज्य का न्यासी कहा गया है जिसमें राजकोष उसकी निजी संपत्ति नहीं थी बल्कि जनता की अमानत थी वह उसका प्रयोग केवल सार्वजनिक हित में कर सकता था यदि राजा सार्वजनिक

धन का दुरुपयोग करें तो वह नरक का भागी होता है। अतः प्राचीन भारत में राज्य वह संस्था थी जिसके बिना संपूर्ण जीवन का संरक्षण एवं पुरुषार्थ संभव नहीं हो सकता था मनु, कौटिल्य एवं शुक्र का राज्य सप्तांगी प्रकृति धारी संस्था है।

राज्य की उत्पत्ति एवं सुशासन की इच्छा

मनु, कौटिल्य एवं शुक्र तीनों विचारक राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते है उनकी राज्य की संकल्पना में सुशासन के तत्त्व निहित हैं। सुशासन अच्छा शासन है तथा कुशासन का निष्कासन है। प्राचीन भारतीय चिंतन के सभी प्रतिनिधि ग्रंथ राज्य का मूल प्रयोजन व्यक्ति के जीवन की रक्षा को सुनिश्चित करना तथा एक सुरक्षित आशंकामुक्त व व्यवस्थित जीवन देना मानते हैं। राज्य सुशासन की प्राथमिक शर्त है। मनु ने राज्यविहीन अवस्था को भयावह बताते हुए राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख उद्देश्य निर्बलों की बलवानों से सुरक्षा तथा अराजकता व कुशासन से मुक्ति की इच्छा को बताया है

अराजके हि लोकेस्मिन सर्वतोविंदुते भयात् रक्षार्थस्य सर्वस्य राजानमसृत्प्रभुः।।

(मनुस्मृति)

मनु स्मृति राज्य को समाज का अभिन्न अंग मानती है। राज्य समाज का वह मूलभूत तत्व है जिसके अभाव में समाज कार्य नहीं कर सकता है। मनु राज्य को सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य व महत्वपूर्ण उपव्यवस्था के रूप में मान्यता देता है। मनु का विश्वास था कि राजा (राज्य) के बिना अराजकता स्थापित हो जाएगी तथा व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। बलशाली निर्बलों को मारेंगे, कोई भी अपने दायित्वों को पूरा करने के योग्य नहीं रहेगा तथा एक सुखी जीवन असंभव हो जाएगा। मनु ने राजनीति को पर्यावरण से भी जोड़ा है तथा कहा है कि राजा के अभाव में पेड़ तक गिरने लग जाते हैं। मनु का यह विचार यूनानी और भारतीय चिंतन का मूल अंतर है। प्राचीन यूनानी व्यक्ति के जगत से संबंध पर विचार करते थे जिसमें समुदाय एक महत्वपूर्ण सूत्र था परंतु वह एक लक्ष्य नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार सरकार (राज्य) का कार्य संपूर्ण बाह्र विश्व के संबंधों का नियमन करना है जिसमें पेड़ों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य को यह निश्चित करना चाहिए कि कोई भी दूसरे को दबा नहीं सकें। इस अर्थ में प्राचीन चिंतन में व्यक्ति का दृष्टिकोण पश्चिम से भिन्न है। मनु के अनुसार, एक अच्छे राज्य का आकलन केवल मात्र उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसमें निवास करने वाले लोगों के गुण क्या है।

राज्य का प्राचीन भारतीय स्वरूप : सप्तांग सिद्धांत

प्राचीन भारतीय चिंतन में राज्य को सप्तांग राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है, शुक्र भी इसका अपवाद नहीं हैं। राज्य सात अंगों से बना सावयवी है, यह -- (1) स्वामी, (2) अमात्य, (3) मित्र, (4) कोश, (5) राष्ट्र, (6) दुर्ग, (7) सेना से बना है।

शुक्र नीति में कहा गया है, ''राज्य के इन सात निर्माणक तत्वों में स्वामी सिर, अमात्य नेत्र, मित्र कर्ण, कोश मुख, सेना मन, दुर्ग भुजाऐं एवं राष्ट्र पैर हैं।'' एक अन्य प्रसंग में राज्य की तुलना वृक्ष से करते हुऐ राजा को इस वृक्ष का मूल, मंत्रियों को स्कंध, सेनापति को शाखा, सेना को पल्लव, प्रजा को धूल, भूमि से प्राप्त होने वाले कारकों को फल एवं राज्य की भूमि को बीज कहा गया हैं। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ आधुनिक राजनीतिक विचारक राज्य के 4 निर्माणक तत्व -- जनसंख्या, भू-भाग, सरकार एवं संप्रभुता मानते है वहीं शुक्र 7 निर्माणक तत्व मानते हैं।

महाभारत में राज्य को धर्म की रक्षा का राजनीतिक यंत्र समझा जाता था तथा समस्त व्यक्तियों को मर्यादा के भीतर समझा जाता था। आधुनिक राज्य के चारों तत्व राज्य की प्राचीन भारतीय अवधारणा में सम्मिलित थे। काणे का मत है कि ''केवल जनसमूह से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत्त राज्य के लिए जनसमूह का भौगोलिक सीमाओं (राष्ट्र) के भीतर रहना परमावश्यक है। जन समूह को किसी स्वामी के अनुशासन के अनुसार चलना होगा, राज्य के लिए एक विशिष्ट शासन क्रम (अमात्य) होगा, एक सुव्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था (कोष) होगी, रक्षा के लिए बल तथा अंतराष्ट्रीय मैत्री होगी।''

प्राचीन भारत की सप्तांगी परिभाषा राज्य के व्यापक स्वरूप पर बल देती है। प्रायः सभी प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्रज्ञों ने राज्य के सात अंग बतलाए हैं। राज्य की यह सप्तांगी परिभाषा, भारतीय चिंतन की राजनीतिक सिद्धांत निर्माण को एक अनोखी देन है। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने राज्य के तत्वों के लिए न केवल अंश अथवा प्रकृति शब्द प्रयोग किया है बल्कि आधुनिक राज्य के चार तत्वों (भू-क्षेत्र जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता) के 133 सिद्धांत के स्थान पर राज्य के सात अंगों का वर्णन किया है। मनु, कौटिल्य और शुक्र का मत है कि राज्य एक एकात्मक शासन संस्था है, विभिन्न कणों का ढीला ढाला जोड़ नहीं है। यह सिद्धांत राज्य के विभिन्न अंगों के बीच आंगिक एकता पर बल देता है। यजुर्वेद में राज्य की कल्पना विराट पुरुष के रूप में की गई है तथा राज्य के विविध अंगों की पुरुष के अंगों से तुलना की गई है। मनु ने राज्य के सावयव स्वरूप का वर्णन किया है तथा राज्य 96 के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है

''स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्र कोशदंडौ सद्धतथा सप्तप्रकृतपयो होतारू सप्ताहंग राज्यमुच्यते।।[7]

(मनु स्मृति)

कौटिल्य ने भी राज्य के सात अंग इस प्रकार बताए हैं --

"स्वामात्याजनपददुर्गकोषदण्डमित्रानि प्रकृतयः।''[38] (अर्थशास्त्र)

शुक्र नीति ने भी मनु व कौटिल्य की तरह राज्य के सात अंग बताए हैं --

स्वाभ्यामात्य सुहकोश राष्ट्र दुर्ग बलानि च।
सप्तांगमुच्यते राज्यं तत्र मूर्धा नृपः स्मृतः।। (शुक्रनीति)

राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के सात अंग है स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोश,

दंड व मित्र इन अंगों के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए मनु ने प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता के साथ उनकी पारस्परिकता पर भी बल दिया है और कहा है कि समस्त प्रकृतियाँ एक-दूसरे पर निर्भर है तथा इनमें से प्रत्येक राज्य के लिए अत्यावश्यक है, लेकिन कार्य की सिद्धि के अनुसार प्रकृति का महत्व सिद्ध होता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य एक सजीव एकात्मक संस्था है और ये सातों अंग परस्पर अनुस्युत राज संपत्ति है।

अखिर्जाः प्रकृतयः सप्तैता स्वगुणोदयाः उक्ताः प्रत्यङ्गभूतास्ता प्रकृता राजपंसदः।

(अर्थशास्त्र)

मनु -- कौटिल्य -- शुक्र : राज्य एवम् सुशासन

मनु कौटिल्य एवं शुक्र का प्राचीन भारत के राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण व विकास में अमूल्य योगदान है। ये तीनों विचारक क्रमशः धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र व नीतिशास्त्र संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं अतः इनके ग्रंथों के विषय, रूप, दृष्टिकोण और परंपराओं में भिन्नता है परंतु सुशासन जिसका सार तत्व प्रजा का सुख है तीनों ग्रंथों की अंतधारा में समाहित है। प्रस्तुत अध्याय में मनु, कौटिल्य एवं शुक्र के चिंतन में राज्य की अवधारणा के विभिन्न पक्षों यथा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य के अंग, राज्य का उद्देश्य, कार्य व स्वरूप का सुशासन से संबंध का अनुसंधान है।

राज्य एवं सुशासन परस्पर अंतसंबंधित व अंतनिर्भर अवधारणाएँ है। दोनों का घनिष्ठ संबंध एक दूसरे को सुदृढ़ता प्रदान करता है। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। राज्य व्यक्ति के जीवन की पूर्व शर्त है। राज्य वह भूक्षेत्र है जहाँ व्यक्ति अपना एकाकी जीवन छोड़कर स्थायी निवास बनाता है तथा पारिवारिक व सामुदायिक जीवन जीने का अवसर प्राप्त करता है परंतु मानव जीवन का लक्ष्य अन्य जीवों की तरह मात्र एक निश्चित स्थान पर समूह बनाकर रहना ही नहीं होता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य अधिकतम संभव सामाजिक श्रेष्ठता को प्राप्त करना होता है। इस उच्च लक्ष्य को एक सुव्यवस्थित शासन में ही प्राप्त किया जा सकता है। एक समृद्ध शांतिप्रद सुरक्षित खुशहाल व संतोषजनक जीवन के लिए राज्य एवं सुशासन का सह-संबंध आवश्यक है। राज्य एवम् सुशासन अपृथकनीय है। राज्य वह धरातल है जहाँ सुशासन प्रकट रूप लेता है। वास्तव में राज्य तथा सुशासन जुड़वां शब्द है, क्योंकि राज्य के जन्म के साथ ही सुशासन का जन्म होता है।

परंपरागत राजनीतिक चिंतन व सिद्धांत मुख्यतः राज्य केंद्रित है। राजनीतिक विचारकों के अध्ययन के मुख्य विषय राज्य की उत्पत्ति, राज्य के तत्व अथवा अंग, उद्देश्य व कार्य, राज्य व व्यक्ति का संबंध, राज्य की शक्ति प्रयोग का औचित्य तथा व्यक्ति की राज्य के प्रति आज्ञाकारिता के कारणों की खोज पर आधारित थे।

राज्य के सिद्धांतों पर हिंदू (भारतीय) विचार अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन भारतीय विचारकों की राज्य के मौलिक सिद्धांतों के निर्माता के रूप में इतिहास पर अमिट छाप है, यद्यपि पाश्चात्य

राजनीतिक विचारक अपने बौद्धिक अहंकार के कारण लम्बे समय भारत के इस योगदान का खंडन करते रहे। पाश्चात्य विद्वानों की धारणा थी कि भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्य की कुछ अवधारणाओं को परिभाषित अवश्य किया था परंतु वे धर्म और अध्यात्म से इतनी मिश्रित थी कि उनका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

विलोबी के अनुसार, ''पूर्व के प्राचीन साम्राज्यों में धर्म और क़ानून इतने घुले-मिले थे कि यह मुश्किल से ही कहा जा सकता है कि तब राजनीति विज्ञान का ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अस्तित्व था।''

इसी धारणा को व्यक्त करते हुए प्रो. डनिंग ने भी कहा है, ''पूर्व देशीय आर्यों ने अपनी राजनीति को धार्मिक और अध्यात्म विद्या के वातावरण से मुक्त नहीं किया जिसमें वह गुंथा हुआ है...।'' केवल यूरोप के आर्यों ने ही स्वयं को इस तरह प्रस्तुत किया है कि उन पर राजनीतिक शब्द लागू हो सकता है। पाश्चात्य विद्वानों का मत था कि प्राचीन भारतीय सदा पारलौकिक विषयों के चिंतन में लगे रहते थे उनका इहलोक में सुखों तथा उनसे संबंधित विद्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं था।

भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्राचीनता व विशालता उपरोक्त पश्चिमी विचारकों के अहंकार युक्त भ्रम का खंडन करती है। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा रही है।

सुशासन (Good governance)

सुशासन (Good governance) से तात्पर्य किसी सामाजिक-राजनीतिक ईकाई (जैसे नगर निगम, राज्य सरकार आदि) को इस प्रकार चलाना कि वह वांछित परिणाम दे सके। सुशासन के अंतर्गत बहुत सी चीजें आतीं हैं जिनमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, क़ानून का शासन, सदाचार इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

'शासन' शब्द में 'सु' उपसर्ग लग जाने से 'सुशासन' शब्द का जन्म होता है। 'सु' उपसर्ग का अर्थ शुभ, अच्छा, मंगलकारी आदि भावों को व्यक्त करने वाला होता है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की भाषा में सुशासन की तरह लगने वाले कुछ और बहुप्रचलित-घिसे-पिटे शब्द हैं जैसे -- प्रशासन, स्वशासन, अनुशासन आदि। इन सभी शब्दों का संबंध शासन से है। 'शासन' आदिमयुग की कबीलाई संस्कृति से लेकर आज तक की आधुनिक मानव सभ्यता के विकासक्रम में अलग-अलग विशिष्ट रूपों में प्रणाली के तौर पर विकसित और स्थापित होती आई है। इस विकासक्रम में परंपराओं से अर्जित ज्ञान और लोककल्याण की भावनाओं की अवधारणा प्रबल प्रेरक की भूमिका में रही है। इस अर्थ में शासन की सभी प्रणालियाँ कृत्रिम हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुशासन व्यक्ति को भ्रस्टाचार एवं लालफीताशाही से मुक्त कर प्रशासन को स्मार्ट SMART ----- S (simple) साधारण, M (moral) नैतिक, A (accountable) उत्तरदायी, R (responsible) जिम्मेदार, T (transparent) पारदर्शी बनाता है।

राष्ट्र संघ UNITED NATIONS के अनुसार सुशासन की निम्नलिखित आठ विशेषताएँ होती हैं --

1. विधि का शासन (rule of law)
2. समानता एवं समावेशन (equity and inclusiveness)
3. भागीदारी (participation)
4. अनुक्रियता (responsiveness)
5. बहुमत/मतैक्य (consensus-oriented)
6. प्रभावशीलता एवं दक्षता (effectiveness and efficiency)
7. पारदर्शिता (transparency)
8. उत्तरदायित्व (accountability)

निष्पक्ष आकलन

सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के प्रति भारतीय लोगों के बीच जागरुकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस के रूप में घोषित किया जिसे अंगेजी में Good Governance Day कहते हैं। इस दिवस की घोषणा के बाद, उस समय नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने इसकी स्थापना करते हुए कहा था कि, पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती 25 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से ये दिवस मनाया जा रहा है।

सुशासन की विशेषताएँ

अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एक अच्छे शासन की मूल विशेषताएँ व तत्व क्या होते हैं? बहुत-सी रिपोर्टों और अध्ययनों में अनेक विशेषताएँ बताई गई हैं। उदाहरण के तौर पर कौटिल्य की पद्धति में निम्न विशेषताएँ एक अच्छे शासन का निर्माण करती हैं :

1. क़ानून व व्यवस्था
2. लोक कल्याणकारी प्रशासन
3. न्याय व तर्क के आधार पर निर्णय
4. भ्रष्टाचार मुक्त शासन

विश्व बैंक ने अपनी 1989 व 1992 की रिपोर्टों, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD), कमिशन ऑन ग्लोबल गवर्नेस (1995), यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) 1997 आदि में एक अच्छे शासन के गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। अच्छे शासन के कार्यों को 'एशियन डेवलपमेंट बेसिक रिपोर्ट' के अंदर निम्नलिखित

प्रश्नों के रूप में साफ-साफ रखा गया है।

1. क्या लोग शासन में पूरी तरह भागीदारी करते हैं?
2. क्या लोगों तक सभी जानकारियाँ पहुँचती हैं?
3. क्या लोग निर्णय ले सकते हैं अथवा क्या वे निर्णय लेने वालों को उत्तरदायी बनाए रख सकते हैं?
4. क्या शासन में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार हैं?
5. क्या गरीब और पिछड़े लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं? क्या मानव अधिकारों की गारंटी दी गई है?
6. क्या वर्तमान नीतियों में भावी पीढ़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है?
7. क्या लोग शासन की रूपरेखा को स्वीकारते हैं?

इसके लिए निम्न आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए :

1. राजनीतिज्ञों, अफ़सरों और अधिकारियों के बीच
2. गठजोड़ को तोड़ना चाहिए।
3. न्याय सस्ता और जल्दी होना चाहिए।
4. देश, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर जनहित याचिकाओं के लिए अदालतों का गठन करना चाहिए।
5. सूचना के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
6. क़ानून लागू कराने वाली संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना चाहिए।
7. भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को अभियोग लगने के बाद अविलंब जब्त कर लेना चाहिए। यह संपत्ति तभी लौटानी चाहिए जब वह निर्दोष सिद्ध हो जाए।
8. नौकरशाही की कार्यशैली को सुधारने के लिए नियमों, उपनियमों और कार्यप्रणाली को सरल बनाना चाहिए।
9. समाज को नियम-क़ानूनों के परिपालन हेतु लामबंद करना चाहिए।
10. सरकारी संगठनों में भाई-भतीजावाद को समाप्त करना चाहिए।
11. राष्ट्र हित मे करने वाली शासन व्यवस्था के लिए कंप्यूटरों तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना आदि

सुशासन के लिए लोगों की सहभागिता

शासन व्यवस्था में लोगों की सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि अभी भी लोगों की प्रशासनिक सहभागिता के क्षेत्र में विशेषकर स्थानीय सरकार -- के स्तर पर जो कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है, और जिसका क्रियान्वयन किया जाना है, दोनों में भारी अंतर है। यह मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शक्ति देना भर रह गया है। प्रायः यह देखा गया है कि निर्णय लेने और उनके अनुपालन में लोगों की सहभागिता से निम्नलिखित चीजें सुव्यवस्थित होती हैं।

दूसरे शब्दों में, लोगों की सहभागिता से प्रशासन के स्तर पर दबाव बनाया जा सकता है कि अफ़सर कार्य करे और समय पर करे।

जवाबदेह एवं उत्तरदायी प्रशासन के यंत्र के रूप में।

स्व-शासन और विकासात्मक प्रशासन के माध्यम के रूप में।

स्थानीय विकास हेतु स्थानीय संसाधनों को खोजना एवं उनका उपयोग करना।

कंप्यूटरों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अच्छे शासन के प्रभावशाली साधन के रूप में देखा जाता है।

इसके लिए निम्नलिखित सुधार अपेक्षित हैं :

जन-सेवाओं की कम मूल्य पर आपूर्ति। सूचना प्रसार द्वारा जन-सशक्तीकरण का प्रयास। सरकार के कार्यों में खुलापन एवं पारदर्शिता।

सरकार और जनता द्वारा नए विचारों और अवधारणाओं को सरकार की कार्यप्रणाली से जोड़ना।

नागरिक एवं प्रशासन में प्रभावशाली जुड़ाव। सरकार के कार्यों का व्यापक आकलन एवं जाँच पड़ताल।

नियमों एवं प्रविधियों से संबद्ध जानकारी या सरकार की कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं की जानकारी अथवा किसानों और नागरिकों को मौसम संबंधी जानकारी देने को कंप्यूटर काफी सुलभ एवं आसान बना देता है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार निर्णय लेने वालों और स्वीकार करने वालों के रूबरू होने का दुष्परिणाम है। उनके बीच कंप्यूटर का रिकार्ड व्यक्तिगत संबंधों को कम करके भ्रष्टाचार को दबा सकता है। उदाहरण के लिए एक किसान अपनी भूमि का रिकार्ड कंप्यूटर से प्राप्त कर सकता है। एक नागरिक अपने करों आदि का भुगतान कंप्यूटर पर बिना लाइन में लगे, बिना काम छोड़े तथा अपने अनुकूल समय में इन सब प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए अपने कर्त्तव्य की पूर्ति करें। यही सुशासन की राह है जब हमारे नागरिक स्वेच्छा से राष्ट्रहित की प्रगति से जुड़े हुए कार्यों में अपने कर्त्तव्य का पालन करते करेंगे।

यह बहुत अधिक विस्तृत विषय है जिसे कुछ शब्दों में समझ पाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार हम सभी नागरिक अपने अधिकारों की बात करते हैं उसी प्रकार हमें अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए वरन उतनी ही तत्परता के साथ हमें अपने कर्त्तव्य का न केवल पालन करना चाहिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी भारत देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

❑

सीताराम गुप्ता

अपने जीते जी अपनी संपत्ति बच्चों के नाम न करवाना दूरदर्शिता ही होगी

प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी कम प्रासंगिक नहीं। पूर्ण रूप से न सही आशिंक रूप से अवश्य हैं। कहानी पंच परमेश्वर को ही लीजिए। बेशक अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जैसे पंच आज दुर्लभ हो गए हैं लेकिन जुम्मन शेख की बूढ़ी खाला जैसी बूढ़ी औरतें और मर्द आज भी मौजूद हैं जो अपना सब कुछ किसी के नाम करवा देने के बाद अपमान, उपेक्षा और देखभाल में लापरवाही का शिकार हैं। प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी की काकी जैसे न जाने कितने किरदार आज भी देखे जा सकते हैं जो अपनी समस्त जायदाद अपने निकट संबंधियों के नाम करवाने के बाद दो वक़्त की रोटी तक के लिए मुहताज हैं। जब व्यक्ति अशक्त हो जाता है तो उसे अपने नज़दीकी रिश्तेदार ही सबसे बड़े मददगार नज़र आते हैं और ऐसे अधिकांश नज़दीकी रिश्तेदार ज़मीन-जायदाद अपने नाम करवा लेने के बाद धोखा देने में कोई कसर नहीं रख छोड़ते। रिश्तेदार छोड़िए अपने सगे बेटे-बेटियाँ भी कई बार कम निकम्मे और धोखेबाज नहीं निकलते इसलिए अपनी संपत्ति दूसरों के नाम करवाने से पहले अच्छी तरह से सोच-विचार कर लेने में कोई बुराई नहीं।

अधिकांश व्यक्ति जब अपने कारोबार आदि पर जाना बंद कर देते हैं तो प्रायः अपना व्यवसाय आदि बच्चों के हवाले कर देते हैं। इसी प्रकार से अधिकांश व्यक्ति जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वे न केवल अपनी जीवन भर की बचत अथवा कुल जमा पूँजी भी बच्चों को दे देते हैं अपितु अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति भी उनके नाम करवा देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं क्योंकि बाद में ये सब उन्हीं को तो मिलना होता है। लेकिन इसके बावजूद सेवानिवृत्त अथवा वृद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने जीते जी सारी संपत्ति बच्चों के नाम करवा देना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि हर काम उचित समय पर किया जाना ही लाभप्रद होता है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ख़तरनाक हो सकती है। विशेष रूप से संपत्ति के हस्तांतरण के मामलों में। संपत्ति एक तरह से सुरक्षा की गारंटी है। किसी दबाव में आकर संपत्ति का हस्तांतरण करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं। जब मरने के बाद सारी संपत्ति बच्चों अथवा वैधानिक उत्तराधिकारियों को ही मिलनी है तो फिर जीते जी सारी संपत्ति उनके नाम करवाने का क्या औचित्य हो सकता है?

यदि कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति बच्चों के नाम करवा देता है तो इससे भविष्य में उसके लिए कई समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। आपके नाम की संपत्ति एक

ऐसी चीज है जो आपको अनेक समस्याओं से बचा सकती है। इससे आपके नज़दीकी रिश्तेदार न केवल आपसे जुड़े रहते हैं अपितु संपत्ति के लोभवश आपकी देखभाल करने को भी तत्पर रहते हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है कि जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होगा तो उसे स्वयं कमतरी का अहसास होने लगेगा। उसे हर बात के लिए दूसरों का मुँह ताकना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाएगा और व्यक्तित्व भी धूमिल पड़ने लगेगा। कुछ लोगों को जैसे ही माता-पिता अथवा नज़दीकी रिश्तेदारों की संपत्ति मिलती है उनका व्यवहार बदल जाता है। संपत्ति हस्तांतरण के बाद अथवा नकद पैसा मिल जाने के बाद उनकी प्राथमिकताएँ बदल जाती हैं। जल्दी ही वे माता-पिता अथवा रिश्तेदारों में कमियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग न केवल उपेक्षा से पेश आने लगते हैं अपितु माता-पिता अथवा नवाश्रितों का अपमान तक करने लग जाते हैं।

कई निकम्मे बेटे-बेटियाँ तो माता-पिता की संपत्ति मिलते ही उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। सुविधाओं की बात छोड़िए वे दाने-दाने को मुहताज हो जाते हैं। बुढ़ापे और बीमारियों के कारण कइयों की दशा और भी शोचनीय हो जाती है। कई लोग माता-पिता के अशक्त होते ही उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं या बूढ़े माता-पिता बच्चों के दुर्व्यवहार से परेशान होकर स्वयं ही किसी वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि इस प्रकार के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जो वृद्धावस्था में अपने माता-पिता की ठीक से देखभाल नहीं करते व उनकी संपत्ति लेने के बाद भी उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर देते हैं। जब हम अपने चारों ओर इस प्रकार की घटनाएँ घटित होते हुए देखते हैं तो हम सचेत क्यों नहीं रहते? हम क्यों अपनी संपत्ति बच्चों के हवाले करके ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं?

वास्तव में माता-पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उन पर पूरा विश्वास भी करते हैं। वे सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके बच्चे उनके साथ ग़लत व्यवहार कर सकते हैं। प्रायः सभी का ये कहना होता है कि उनके बच्चे औरों के बच्चों जैसे नहीं हैं। वास्तविकता तो ये है कि हमारे बच्चे कितने भी अच्छे क्यों न हों औरों की तरह ही उनके बदलने में भी देर नहीं लगती। जब तक हाथ में सब कुछ है तब तक तो सब भले ही बने रहते हैं। वास्तविकता का पता तो खाली हाथ होने पर लगता है। कुछ लोग तो माता-पिता का पैसा व संपत्ति पाने के लिए ही बहुत अच्छे बन जाते हैं। ऐसे कलाकारों से बचना भी असंभव होता है। अतः व्यावहारिकता का पालन करना अनिवार्य है।

यदि अपना बुढ़ापा ख़राब नहीं करना है तो ज़्यादा भावुक होने की बजाय विवेक से काम लेना अनिवार्य है। किसी भी सूरत में बच्चों की चिकनी-चुपड़ी बातों में न आएँ। याद रखिए अपने जीते जी अपनी संपत्ति बच्चों को न देना न तो अनैतिक है और न अव्यावहारिक ही है। आपके जीते जी संपत्ति के बँटवारे के लिए न तो कोई नैतिक रूप से और न ही क़ानूनी रूप से आपको विवश कर सकता है। यदि आपने अपनी संपत्ति का बँटवारा कर दिया है और इसके बाद बच्चे आपकी ठीक से देखभाल नहीं करते अथवा दुर्व्यवहार करते हैं तो आप

अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं लेकिन इसके लिए न्यायालय की मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये उम्र न्यायालयों में धक्के खाने की नहीं होती अतः अपनी संपत्ति का बँटवारा करने से पहले भली-भाँति विचार कर लेना अनिवार्य है।

- भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। अपने जीते जी अपनी संपत्ति बच्चों के नाम न करवाएँ और न ही अपनी बचत अथवा जमा पूँजी ही उनके हवाले करें। जब तक आप संपत्ति के स्वामी हैं तब तक घर में आपकी अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति बनी रहेगी इसमें संदेह नहीं।
- लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि कोई बच्चा संकट में है तो आप उसकी मदद न करें। यदि आपके पास पर्याप्त संपत्ति अथवा पैसे हैं और आपके बच्चों की स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में उनकी मदद न करना बहुत बुरी बात होगी। यदि बच्चे किसी भी प्रकार के संकट में हैं तो उनकी हर संभव मदद करें लेकिन अपनी स्थिति किसी भी स्थिति में दयनीय न होने दें।
- घर में अपने रहने के लिए उचित स्थान का चयन करें व अपने लिए पर्याप्त स्थान जैसे कमरा व शौचालय आदि सुनिश्चित करें। अपने रहने के स्थान को स्टोर या कूड़ाघर न बनने दें। कभी भी घर के बेकार स्थान अथवा उपेक्षित कोने में अपना ठिकाना न बनाएँ। हमेशा अधिकारपूर्ण रवैया बनाए रखें।
- दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर रहने का प्रयास करें। यथासंभव न केवल अपना काम स्वयं करने का प्रयास करें अपितु घर के दूसरे सदस्यों के लिए भी जो संभव हो अवश्य करें। परिवार के लिए अपनी उपयोगिता कभी कम न होने दें। ये तभी संभव है जब आप रोगमुक्त व स्वस्थ रहें। इसके लिए अपने स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल करें।
- चालाक बेटे व बहुएँ प्रायः बड़ी संपत्ति अथवा मकान या दुकान ख़रीदने के नाम पर पुरानी संपत्ति बिकवा देते हैं और नई संपत्ति अपने नाम से ख़रीद लेते हैं। ऐसी स्थिति में सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग बाद में अपने बूढ़े माता-पिता की उपेक्षा करना व उनसे दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं।
- बच्चे यदि आपकी संपत्ति बेचकर बड़ी संपत्ति लेना चाहते हैं तो वो उनके नाम से नहीं अपितु अपने नाम से लें। यदि ये संभव न हो तो संयुक्त नाम से लें और उसमें भी अपने लिए पर्याप्त व सुविधाजनक स्थान सुनिश्चित कर लें। यदि ऐसा भी संभव न हो तो कोई अन्य संपत्ति अपने नाम करवा लें।
- अपनी पूरी बचत अथवा जमा पूँजी बच्चों के हवाले न करें। जब तक आपकी स्वयं की आर्थिक स्थिति अच्छी है आप बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल पैसा पास न होने पर भी व्यक्ति अपने आपको असहाय महसूस करने लगता है। ऐसी स्थिति न आने दें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप मनचाही सुविधाएँ पा सकते हैं।
- ये भी असंभव नहीं कि आपके बच्चों के पास सचमुच समय की कमी हो और वे आपकी

देखभाल के लिए पर्याप्त समय न निकाल सकें। ऐसे में आप अपनी सुविधा व सहायता के लिए किसी सहायक को रख सकते हैं। यदि आपके पास न पैसा होगा और न संपत्ति ही तो ऐसे में आपकी समस्याएँ बढ़ सकती हैं।

- कई माता-पिता स्वयं अपने लिए कई प्रकार की समस्याएँ निर्मित कर लेते हैं। वे जीते जी अपनी संपत्ति का बँटवारा तो कर देते हैं लेकिन वो बँटवारा पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण होता है। कुछ माता-पिता कुल संपत्ति में से अपना हिस्सा भी ले लेते हैं और वो अपने चहेते पुत्र अथवा पुत्री को दे देते हैं। ये सरासर ग़लत बात है।
- जो भाई अथवा बहन ग़लत तरीके से दूसरे भाई-बहनों की संपत्ति स्वीकार कर लेते हैं उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? पहले तो वे माता-पिता के हिस्से के लालच में मीठी-मीठी बातें करते हैं लेकिन जल्दी ही उनका असली रूप सामने आ जाता है। पक्षपात करने वाले माता-पिता सबसे अधिक दुर्गति झेलते हैं।
- आप अपनी संपत्ति किसी के नाम न करवाएँ और पक्षपात पूर्ण व्यवहार बिल्कुल न करें। बेहतर तो ये होगा कि आप पक्षपातरहित होकर अपनी विल लिखकर रख लें और उसमें स्पष्ट कर दें कि हमारे या मेरे बाद ही संपत्ति का बँटवारा किया जाए। यदि इस प्रकार की कुछ सावधानियाँ रखी जाएँ तो बढ़ती उम्र में बिना वजह परेशानियाँ नहीं खड़ी होंगी और घर में मान-सम्मान भी बना रहेगा।

❑

गिरीश पंकज

ग़ज़ल

कितने धोखे खाएँ हम
किसको यहाँ बताएँ हम

कौन यहाँ किसकी सुनता
कितना रोएँ-गाएँ हम

दुःख से उबरे मन कैसे
कब तक के बहलाएँ हम

नादानों से यारी कर
क्यों आख़िर पछताएँ हम

उतने में ही सुखी रहें
जितना भी पा जाएँ हम

बनी लीक पर क्या चलना
अपनी राह बनाएँ हम

भूखे को भोजन देकर
पंकज खाना खाएँ हम

❑

डॉ. अर्चना प्रकाश

लिव इन रिलेशनशिप

लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें दो लोग स्त्री व पुरुष जिनका विवाह नहीं हुआ है, एक साथ रहते हैं और पति-पत्नी की तरह आपस मे शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये संबंध पूर्णतया समयानुकूल एवं आवश्यकतानुसार होते हैं। कई बार ये संबंध लंबे समय तक चलते हैं और कभी अस्थाई भी होते हैं। महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत शिक्षित और आर्थिक रूप से सम्पन्न ऐसे लोगों ने की जो विवाह से छुटकारा चाहते थे। क्योंकि विवाह में स्त्री व पुरुष दोनों का साथ व सम्मान निहित है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दो लोग सिर्फ़ भावनाओं से जुड़ते हैं। कोई भी सामाजिक या क़ानूनी मोहर नहीं होती। आज भारत मे तीस से चालीस प्रतिशत ऐसे रिश्ते हैं।

यहाँ प्रश्न है कि यदि विवाहितों की तरह ही रहना है तो विवाह क्यों नहीं कर लेते। क्योंकि ये रिलेशनशिप पूरी तरह अमानवीय व अनैतिक है। हमारे समाज में वैध विवाह के बाद भी कई युवतियाँ दहेज यातना व घरेलू हिंसा का शिकार ही नहीं होती, वरन उन्हें जलाया या मार दिया जाता है। ऐसे में ये मानना असम्भव है कि लिव इन में उसके साथ धोखा नहीं होगा। सन् 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के विषय मे दिए गए फ़ैसले में कहा था कि -- केवल एक-दूसरे के साथ रहने या रात गुजरने भर से इसे घरेलू संबंध नहीं कहा जा सकता। पिछले अनेक वर्षों में भारत के अनेक महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप का चलन तेजी से बढ़ा है।

आधुनिकता की भेंट चढ़ते भारतीय समाज में लिव इन के गम्भीर परिणामों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण टी.एम.सी. सांसद नुसरत जहाँ व निखिल जैन का है। जिसमें नुसरत जहाँ ने दावा किया है कि उनकी शादी लिव इन रिलेशनशिप का नतीजा है। उनका विवाह अंतर्धार्मिक था। लेकिन पिछले छह माह से दोनों अलग रह रहे हैं।

भारतीय समाज में संबंधों का सदैव विशेष महत्त्व रहा है। लेकिन आज महिलाएँ भी पुरुषों की तरह ही सक्षम व सशक्त है। आजीविका के लिए उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में डेरा जमाना पड़ता है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के चलते साझेदारी ही विकल्प बचते हैं, और व्यय का बँटवारा भी किसी को बोझ नहीं लगता। लेकिन ऐसे रिश्तों को क़ानूनी मान्यता होने पर भी समाज नहीं मानता। अपितु ऐसे रिश्तों को और ऐसे रिश्तों का निर्वाह कर रहे लोगों को

भारतीय समाज ग़लत नज़रों से देखता है। जिन संबंधों को पारिवारिक व सामाजिक मान्यता नहीं मिलती उसके टूटने का खामियाजा भी केवल महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि महिलाएँ पुरुषों की अपेकक्षाकृत अधिक ही संवेदनशील होती हैं। हमारा समाज ऐसी महिलाओं को सम्मान से नहीं देखता, जिससे उसे मानसिक आघात पहुँचता है। दूसरी ओर उसके चरित्र हनन की पीड़ा उसे जीते जी मार देती है।

महाराष्ट्र और पुणे में ऐसे किस्से ज़्यादा है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन उसमें भी अनेक त्रुटियाँ हैं। बहुत सी. ऐसी महिलाएँ भी हैं जो अपने कैरियर को प्राथमिकता देते हुए शादी जैसी महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी से बचना चाहती हैं। ऐसे में उन महिलाओं के हितों को भी नकारा नहीं जा सकता जो किसी के बहकावे में आ कर झूठे फरेबी रिश्तों की भेंट चढ़ जाती हैं। ऐसे रिश्तों की ख्याति जंगल में आग की तरह फैलती है। जिसका युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्तों को मान्यता मिलने से भारतीय संस्कृति व मूल्यों को गहरा आघात लगा है। क्योंकि लिव इन के सत्तर प्रतिशत रिश्ते दो वर्ष की अवधि में ही ब्रेकअप की स्थिति में आ जाते हैं। ब्रेकअप के बाद इस रिश्ते से जन्मे बच्चों का कोई भविष्य नहीं रह जाता है। अपितु ऐसे बच्चे अनेक मनोविकारों से ग्रस्त होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अशोक अग्रवाल कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अब आम चलन में आ चुका है। सन् 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि लंबे समय से अपनी मर्जी से ख़ुशहाल तरीके से रह रहे युवा लिव इन में रहने के लिए अब स्वतंत्र हैं। 9 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट इसे क़ानूनी मान्यता देते हुए इंद्रा शर्मा व वी के वी शर्मा के मामले में कहा था कि शादी करने या न करने और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का फ़ैसला पूरी तरह से निजी है। इसी प्रकार एडवोकेट वी के श्रीवास्तव का कहना है कि सी. आर. पी. सी. की धारा 125 के तहत महिला लिव इन पार्टनर से गुज़ारा भत्ता की माँग कर सकती है, लेकिन उसे पुरुष लिव इन की संपत्ति में कोई क़ानूनी अधिकार नहीं मिलता। अलग-अलग देशों में लिव इन के अलग-अलग क़ानून हैं।

संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप आज के युवा की आवश्यकता है जो स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी पर कोई बंदिश नहीं लगाती, न तो शारीरिक न ही आर्थिक। फिर भी भारतीय समाज मर्यादा एवं संस्कारों व परंपराओं का समाज है। लिव इन रिलेशनशिप से समाज में एक प्रकार का जंगल राज उत्पन्न हो सकता है जिसमें न कोई जाति होगी न धर्म होगा, न परिवार होगा। क्योंकि परिवार के लिए माता-पिता दोनों आवश्यक हैं।

इसी कारण ये कह सकते हैं कि लिव इन पूरी तरह से स्वार्थ लिप्सा एवं चालाकी के गुणों पर आधारित है जबकि समाज व परिवार के लिए त्याग कर्त्तव्यपरायणता, आपसी प्रेम व भाईचारा आवश्यक है। पत्नी पति के लिए, माँ संतान के लिए एवं पिता परिवार के लिए निःस्वार्थ त्याग व अनेकों कार्य करते हैं। सादर धन्यवाद।

❑

डॉ. मंजू चंद्रा

महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में मानव अधिकारों की प्रासंगिकता

सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से महिला स्वयं को इस प्रकार से संगठित करने में सक्षम हो सकती है जिससे वह अपनी आत्मनिर्भरता में वृद्धि कर सके तथा विकल्पों के चयन व संसाधनों पर नियंत्रण के संबंध में अपने स्वतंत्र अधिकार पर बल दे सके। सशक्तिकरण को जागरूकता व समता निर्माण की एक सहभागी प्रक्रिया भी कहा जा सकता है, जिसका प्रारंभ घरेलू व सामुदायिक स्तर पर होता है तथा जो वृहद स्तरीय भागीदारी निर्णय लेने की शक्ति तथा व्यक्ति व समूह को समाज में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संबंधों के शक्ति संतुलन में परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने संबंधी रूपांतरण पर समाप्त होती है। महिला अधिकार उन स्वतंत्रताओं की ओर इशारा करता है जो जन्मजात एवं अंतर्भूत रूप से सभी महिलाओं एवं हर उम्र की बालिकाओं को प्राप्त होनी चाहिए, जिन स्वतंत्रताओं का किसी विशेष समाज की रीति-नीति, प्रथा या क़ानून द्वारा संस्थानीकरण कर दिया गया हो या उनको नकारा जाता हो, अथवा दबाया जाता है। महिलाओं से संबंध इन स्वतंत्रताओं को समूहीकृत कर मानव अधिकारों के अन्य विचारों से अलग करके देखने की चेष्टा भी की गई है क्योंकि अधिकांश समाजों में ऐतिहासिक एवं प्रथागत रूप से महिलाओं व बालिकाओं को यह स्थान, स्वतंत्रता एवं वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो पुरुषों व बालकों को हैं। इसलिए समकालीन विश्व में महिला अधिकार एवं स्वतंत्रताओं को आश्वस्त किए जाने हेतु लैंगिक समानता एवं नारीवाद जैसे नए अंतर्राष्ट्रीय जुमले प्रचलन में आए हैं, जो महिलाओं के मानव अधिकारों को प्राप्त करने के विशाल अंतर्राष्ट्रीय आन्दोलन एवं विचार, दोनों के भाग हैं।

देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होना वर्तमान की महती आश्यकता है। महिला सशक्तिकरण अर्थात् महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। हमारे देश का संविधान सभी भारतीय महिलाओं की समानता की गारंटी होता है, राज्य द्वारा किसी के साथ लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि लैंगिक विषमताओं को प्रोत्साहित करने वाली परंपरागत संस्थाओं व संरचनाओं में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे कि महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो सके, उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन

में समान अवसर उपलब्ध हों, महिला सशक्तिकरण का आधार माना गया है। महिला सशक्तिकरण के कुछ प्रमुख मानक सामान्यतः इस प्रकार है।

- महिलाओं में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना विकसित करना।
- महिलाओं में सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना, जो सामाजिक व आर्थिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देकर किया जा सकता है।
- निर्णय लेने की क्षमता का पोषण व उसे उन्नत करना।
- विकास प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
- आर्थिक स्वतंत्रता हेतु सूचना, ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराना।
- महिलाओं को स्वयं के अधिकारों संबंधी सूचनाओं के ज्ञान का विकास करना।
- जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी समान सहभागिता में वृद्धि करना।

महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं के मानवीय अधिकार एक दूसरे से जुड़े हैं। सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिनकी सहायता से महिला स्वयं को इस प्रकार से संगठित करने में सक्षम हो सकती है, जिससे वह अपनी आत्मनिर्भरता में वृद्धि कर सके तथा विकल्पों के चयन में अपने स्वतंत्र अधिकारों पर बल दे सके। सशक्तिकरण को जागरूकता व समता निर्माण की एक सहभागी क्रिया भी कहा जा सकता है, जिसका प्रारंभ घरेलू व सामुदायिक स्तर पर होता है। अतः महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की शक्ति में वृद्धि और शक्ति का अर्थ है नियंत्रण क्षमता का होना। महिला सशक्तिकरण संबंधी मुद्दा समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाता रहा है। मैक्सिको (1975), कोपनहेगन (1980), नैरोबी (1985) तथा बीजिंग (1955) में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सशक्त रूप से उठाया गया। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा सन् 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया जाना भी उल्लेखनीय है। महिला अधिकारों के संदर्भ में यह चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है कि सार्वभौमिक मानव अधिकारों की प्राप्ति में महिलाओं की क्या स्थिति है तथा क्या ये अधिकार महिला सशक्तिकरण हेतु भी सार्थक प्रमाणित हो सकते हैं।

वास्तविकता तो यह है कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत इन मानव अधिकारों को सामान्य जन, स्त्री-पुरुष के दैनिक जीवन में अभी भी लागू किया जाना है। समाज में विषमता झेल रहे कमज़ोर वर्ग के लोगों, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं उनके सशक्तिकरण हेतु यह आवश्यक है कि समाज उनके आधारभूत मानवीय अधिकारों को मान्यता दे। उनका सम्मान करना सीखे और उन्हें लागू भी करे क्योंकि महिला समुदाय भी सिद्धांततः सभी मानवीय अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार रखता है और एक अधिकार संपन्न महिला ही सशक्त भी कही जा सकती है।

प्रकृति ने स्त्री को स्वाभाविक कोमलता प्रदान की है तो पुरुषों को बल। इसी कारण स्त्रियों की सारे संसार में स्थिति पुरुषों के पश्चात् मानी जाती है, किंतु इस भिन्नता को प्रकृति ने नहीं, अपितु सामाजिक संरचनाओं ने विभाजित किया है। अतः यह असमानता, अधिकारहीनता,

अन्याय की स्थिति परिवर्तनीय है, यदि इसकी उचित व्याख्या एवं प्रतिरोध किया जाए। उक्त व्याख्या एवं प्रतिरोध का सुदृढ़ आधार है, महिला की मानव के रूप में स्वीकारोक्ति तथा उन सभी अधिकारों की वैधता जो मानव अस्तित्व के रूप में उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश ने महिलाओं के मानव अधिकार संबंधी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों एवं घोषणाओं में भागीदारी की है, जिनमें प्रमुख हैं -- संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा-पत्र (1945), मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948), आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मति पत्र (1966), दीवानी तथा राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मति पत्र (1966), महिलाओं से भेदभाव के उन्मूलन हेतु संधि (1981), जनसंख्या व विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, काहिरा (1994), विश्व महिला सम्मेलन, बीजिंग (1995) आदि इस प्रकार हमारा देश महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी स्तरों पर समानता का अधिकार प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वचनबद्ध है तथा इसमें सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया गया। 1975 में पहली बार महिलाओं की प्रस्थिति पर चिंता व्यक्त की गई तथा 1977 में महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा का प्रश्न उठाया गया। 1978 में महिलाओं के लिए गठन का प्रस्ताव दिया गया। 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों को मानव अधिकारों के अभिन्न भाग के रूप में स्वीकार किया गया तथा महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के आशय से नवीन घोषणा जारी की गई। 1995 में बीजिंग सम्मेलन में महिला अधिकारों के लिए मानव अधिकारों के रूप में संघर्ष की विस्तृत रणनीति जारी की गई। इस सम्मेलन में 189 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसका उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना था। इस मंच ने महिलाओं की स्थिति के संबंध में एक दर्जन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की।

अतः यहाँ यह कहना उचित होगा कि जबसे मानव अधिकार संरक्षण क़ानून बना है और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है, नारी की स्थिति समाज में और अधिक सुदृढ़ होने लगी है। अब महिला उत्पीड़न की घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आई है। हमारी न्यायिक व्यवस्था ने भी नारी विषयक मानव अधिकारों की समुचित सुरक्षा की है। इसीलिए आज महिलाएँ कर्म क्षेत्र में भी आगे आई हैं। वे विभिन्न सेवाओं में क़दम रखने लगी हैं। कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने लगा है। भारतीय दंड संहिता, 1860 में भी महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग, धारा 366 में अपहरण, धारा 376 में बलात्संग, धारा 498क में निर्दयतापूर्ण व्यवहार तथा धारा 509 व 510 में स्त्री का अपमान करने को दंडनीय माना गया है। दहेज की विभीषिका से नारी की रक्षा करने हेतु दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन एवं पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम

1956 की धारा (14) स्त्रियों को संपत्ति में मालिकाना हक प्रदान करती है। श्रम क़ानून महिलाओं के लिए संकटापन्न यंत्रों तथा रात्रि में कार्य करने का निषेध करती है।

मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसूति लाभ की सुविधाएँ प्रदान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण-पोषण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर नारी विषयक मानव अधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। बदलते परिवेश में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51क (ड़) के अंतर्गत नारी सम्मान को स्थान दिया गया और नारी सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदर्श अंगीकृत किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नारी सम्मान के रक्षार्थ सजग एवं सतत प्रयासरत है।

भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान अलग-अलग समय में अलग-अलग रहा है। किंतु कालांतर से लेकर आज की इक्कीसवीं सदी की शुरूआत के लगभग दो दशक गुज़र जाने तक के समय का अवलोकन करें तो स्त्रियों की उत्तरोत्तर बदलती स्थिति का अनुमान संभव है। यह सत्य है कि अति प्राचीनकाल महिलाओं के लिए सर्वोत्तम रहा है, किंतु मध्य काल महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा का पतन काल रहा है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा एवं विधवा विवाह निषेध आदि कुप्रथाएँ मध्य युग की ही देन हैं हालाँकि आज स्वतंत्रता के पश्चात् 66 वर्षों में स्त्रियों ने विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी, राजनीति, मीडिया, न्यायिक आध्यात्मिक, प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, सेवा, चिकित्सा सभी विभागों में भागीदारी बढ़ाई है। अपना मान-सम्मान अर्जित करने का पुनः प्रयास किया है। महिलाएँ अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं तथा अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रदर्शन भी किया है। वैश्वीकरण के इस प्रगतिशील युग में महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के पहले जहाँ महिलाओं का कार्य सिर्फ़ घरों की चाहर दीवारी तक सीमित माना जाता था लेकिन इस युग में महिलाएँ आज सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही हैं। इस परिवर्तन ने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है। पुरुष वर्ग ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया है कि भारतीय महिलाएँ अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।

महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्ता एवं उनकी स्थिति में बदलाव से है। वर्तमान में महिलाएँ महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माने जाने लगी हैं। हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण की पहली नीव उस दिन पड़ी, जिस दिन हर वयस्क महिला को पुरुषों की बराबरी में मतदान करने व चुनाव में खड़े होने का हक मिला। आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान के फलस्वरूप पहले चुनाव में कई महिलाओं ने विजय प्राप्त की। लेकिन धीरे-धीरे चुनाव लड़कर जीतने वाली महिलाओं की संख्या कम होती गई, दूसरी ओर सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता भी बढ़ती गई। अब संविधान में संशोधन करके ग्राम

पंचायत की ओर से जो नई पहल की गई और महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया, इसके परिणामस्वरूप जागृति और महिला सशक्तिकरण की एक नई लहर आई। अतः आज आवश्यकता है, महिलाओं को जिस तरह पंचायतों में आरक्षण दिया गया और वे अपने लक्ष्य पर खरी उतरी, उसी तरह महिलाओं को हर क्षेत्र में महत्त्व देने की आवश्यकता है ताकि महिला सशक्तिकरण और मजबूत होकर समाज व देश के विकास में अपना योगदान दे सके।

आज महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी तरक्की का परचम लहरा रही है, महिलाएँ वायु सेना में भर्ती होकर देश की सेवा का भार संभाल रही हैं। रक्षा सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी निःसंदेह गौरव की बात है, क्योंकि अभी तक महिलाएँ सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही थीं किंतु रक्षा सेवा की कठिन सेवाओं में उनकी संख्या कम थी। आज की महिला दहेज के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रही है। दहेज के विरुद्ध शादी के मंडप में फेरों से इन्कार करने के कई मामले सामने आ रहे हैं एवं बाल विवाह के विरोध में भी लड़कियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। घरेलू हिंसा क़ानून, 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा का स्पष्टीकरण किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करके शिक्षा के स्तर में सुधार लायेगा। कुल मिलाकर महिलाओं को सशक्त करने और उनके अधिकार दिलाये जाने का प्रयास जारी है। अतः इसे और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए। इसके साथ ही राजनीतिक एवं आर्थिक फ़ैसलों की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध एवं महिलाओं को क़ानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी हेतु सूचना के प्रसार को तेज किया जाना चाहिए।

आज की नारी को अपने कल्याण हेतु क्रियान्वयन करवाने के लिए समाज को अपना प्रतिभाशाली नेतृत्व प्रदान करना होगा। वर्तमान महिलाएँ आज भी दूसरे दर्ज़े की नागरिक बनी हुई हैं। अंत में यह कहना उचित होगा कि वर्तमान समय में महिला मानव अधिकारों के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना शेष है। महिला व मातृत्व को सम्मान प्रदान करने की हमारी एक लंबी सामाजिक परंपरा रही है। हमें अपनी इसी परंपरा में एक और आयाम शामिल करना होगा, यह आयाम है महिलाओं के मानवीय अधिकारों को संरक्षण व सम्मान प्रदान करना तथा अपने विभिन्न क़ानूनों चाहे विवाह, तलाक, संरक्षकता आदि से जुड़े हों या पारिवारिक संपत्ति से या श्रमिकों संबंधी विषय से या कुछ और, इनमें न केवल लिंगभेद की असमानताएँ दूर करनी होंगी, वरन् इन्हें नारी की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप संशोधित या पुनर्निर्मित करना होग। इसके लिए लोगों में अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करना आवश्यक है ताकि व्यक्ति उन्हें अपने दैनिक जीवन और व्यवहार में ला सकें तभी हम महिलाओं के मानवीय अधिकारों की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं।

वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है, आज महिलाएँ आँगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुँच गई हैं। लेकिन फिर कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है, इसलिए महिलाओं को समाज में सशक्त बनाने के लिए उनको मानव रूपी समान अधिकार देने होंगे।

क्योंकि सशक्त महिला, सशक्त समाज दोनों ही देश के विकास में एक दूसरे के पूरक हैं। हालाँकि शहरों में तो स्थिति थोड़ा सुधर रही है परंतु गाँवों में अभी भी महिला शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के प्रति शिष्टता का हनन आधुनिक समाज में खुलेआम हो रहा है।

❑

संदर्भ

1. 21वीं शती में मानव अधिकार, दशा और दिशा, सं. सन्तोष खन्ना, पृ. 99, 110, 111, 112 विधि भारती परिषद, दिल्ली।
2. रामानंद गैरोला : अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, पृ. 343, 344 प्रकाश बुक डिपो बरेली।
3. डॉ. अनुपमा उज्जवल : हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 महिला सशक्तिकरण की ओर क़दम, विधि भारती सं. सन्तोष खन्ना अंक 75, 2013 पृ. 206
4. सरिता शर्मा : भारतीय महिलाएँ एवं मानव अधिकारों का प्रश्न, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका -- संजीव कुमार शर्मा, जनवरी-दिसंबर, 2011 पृ. 39, 43
5. हरीश कुमार सेठी : गरिमामय जीवन की आधार दृष्टि : मानव अधिकार, विधि भारती परिषद, दिल्ली : संतोष खन्ना, पृ. 127-21 वीं शती में मानव अधिकार दशा और दिशा
6. अरूण चतुर्वेदी : भारत में मानव अधिकारों की स्थिति JOURNAL OF ACHARAYA NARENDRA DEV RESEARCH INSTITUTE न्याय पालिका एवं मानव अधिकार विशेषांक, 2004-2005, नैनीताल पृ. : 112
7. डॉ. इंदु पाठक : मानव अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण : न्याय पालिका एवं मानव अधिकार विशेषांक Journal -- आचार्य नरेंद्र देव शोध संस्थान, नैनीताल पृ. 133, 134
8. शिव कुमार शर्मा : मानव अधिकार -- राजस्थान हाई कोर्ट, गाँधी नगर, जयपुर, पृ. 28, 30
9. प्रो. बी.एल. साह : मानव अधिकार : मानव अधिकार एक विशिष्ट सामाजिक समूह, संस्करण 2016, पृ. 171-172

डॉ. विदुषी भारद्वाज

वक्फ़ बोर्ड के संबंध में उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फ़ैसला

वक्फ़ बोर्ड बनाम जिंदल सॉ लिमिटेड एवं अन्य केस में 2021की एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 2788 और 2021 की एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 17334 से उत्पन्न 2022 की सिविल अपील संख्या 2789 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति वी सुब्रह्मण्यम् की बैंच ने दिनांक 29.4.2022 को जो निर्णय दिया है वह कई अर्थों में ऐतिहासिक है।

केस की पृष्ठभूमि

यह केस राजस्थान सरकार द्वारा खनन के लिए आबंटित की गई भूमि को वक्फ़ बोर्ड द्वारा वक्फ़ की संपत्ति बताने के संबंध में है।

राजस्थान सरकार द्वारा 8.12.2010 को एक लीज डीड के माध्यम से धातुओं के खनन के लिए भीलवाड़ा राजस्थान के ग्राम डेढवास तहसील और जिले के पास 1556.7817 हैक्टेयर क्षेत्र का पट्टा जिंदल सॉ लिमिटेड एवं अन्य को आबांटित किया गया था। तहसील भीलवाड़ा ने समोदी, दरीबा, पंसल, मलोला, धुलखेड़ा तथा पुर ग्रामों की भूमि संख्या के संबंध में संबंधित पटवारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राजस्थान सुपर इंपोज साइट प्लान के साथ जाँच करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कुछ स्थानों पर पूजा स्थल आदि होने के कारण अनुमति न देने का प्रस्ताव तथा कुछ में खनन हेतु अनुमति देने का प्रस्ताव था। इस रिपोर्ट के बाद जिंदल सॉ लिमिटेड एवं अन्य को पट्टा दे दिया गया था।

2. 1963 में राजस्थान के सर्वेक्षण आयुक्त (वक्फ़) ने एक सर्वेक्षण किया था और तिरंगा की कलंदरी मस्ज़िद के ढाँचे को वक्फ़ के रूप में अधिसूचित किया था। वक्फ़ रजिस्टर में प्रविष्टि के अनुसार मस्ज़िद का ढाँचा 108 फीट मापा गया था। वक्फ़ अधिनियम, 1995 के अनुसार एक सर्वेक्षण पुनः करा कर दिनांक 15.1.2002 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सर्वेक्षण संख्या 931 में मस्ज़िद का ढाँचा 525 फीट मापा गया था।

3. दि. 17.4.2012 को अंजुमन कमेटी ने वक्फ़ बोर्ड, राजस्थान को एक पत्र लिखकर

सूचित किया कि पुर गाँव की तिरंगा पहाड़ी पर कलिंदरी मस्ज़िद की दीवार और चबूतरा स्थित है, कई वर्ष पहले मजदूर वहाँ नमाज़ अदा करते थे। दि. 18.4.12 को वक्फ़ बोर्ड ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा कि मस्ज़िद के अवशेषों को खनन से बचाया जाना चाहिए। बोर्ड ने माना कि अंजुमन कमेटी वक्फ़ के स्थान पर अपने हितों की रक्षा कर रही है। इसके उत्तर में जिलाधिकारी ने सूचित किया कि प्राथमिकी दर्ज़ कर ली गई है तथा अंजुमन कमेटी से 65 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं।

4. तत्पश्चात, जिंदल सॉ लिमिटेड ने हाईकोर्ट में अपील की। राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया, जिसे यह निर्धारण करना था कि आबंटित भूखंड पर बना ढाँचा मस्ज़िद है या नहीं। इसके अध्यक्ष खान ब्यूरो के महानियंत्रक (सेवानिवृत्त) श्री आर. के. सिन्हा, श्री ओ.पी. काबरा, सचिव खान और भूविज्ञान विभाग राजस्थान तथा श्रीमती नंदिनी भट्टाचार्य साहू क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षक थे। बाद में श्री ओ.पी. काबरा को श्री ए.के. नंदवाना अधीक्षण खनन अभियंता भीलवाड़ा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कमेटी ने 10.1.2021 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बताया कि ढाँचा मस्ज़िद नहीं था। गाँव के बुज़ुर्गों से पता चला था कि उन्होंने वहाँ कभी किसी को नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। वहाँ नमाज़ के लिए आवश्यक वज़ू की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और उसकी कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक प्रासंगिकता भी नहीं थी।

5. वक्फ़ बोर्ड के वकील ने कहा कि विशेषज्ञ समिति में बोर्ड का कोई प्रतिनिधि नहीं है। वक्फ़ अधिनियम, 1995 की धारा 83 के संदर्भ में इस केस का निर्धारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न किया जाकर वक्फ़ ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना चाहिए।

6. राजस्थान सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने कहा कि यह राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता था कि क्या खनन के लिए आबंटित भूमि सार्वजनिक थी।

जिंदल सॉ लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार और श्री सी.एस. वैद्यनाथन का तर्क था कि सर्वेक्षण के लिए आबंटित भूमि सर्वेक्षण संख्या 6731 थी और इसमें मस्ज़िद होने के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं है। सर्वेक्षण संख्या 931 की भूमि पर यह मस्ज़िद है, जो खनन के लिए आवंटित नहीं है। दूसरे एक विसंगति यह भी है कि एक सर्वेक्षण में ढाँचे की माप 108 फीट है जबकि दूसरी में यह माप 525 फीट है। ढाँचे की तस्वीरों से भी यह ज्ञात होता है कि वह जीर्ण शीर्ण था और क्षेत्र भी दुर्गम था। ऐसा भी कुछ पता नहीं चलता कि वहाँ कभी नमाज़ अदा की जाती थी।

7. राजस्थान सरकार के उस ढाँचे को मस्ज़िद न मानने के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध वक्फ़ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।

8. उच्चतम न्यायालय ने तथ्यों का विश्लेषण करके दि. 29.4.2022 को कहा कि --

1. कलंदरी मस्ज़िद सर्वेक्षण संख्या 931 पर है, जो खनन के लिए आवंटित नहीं है।

2. सर्वेक्षण संख्या 6731 पर जो ढाँचा है उसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उसका प्रयोग मस्ज़िद के रूप में किया गया था।

3. वक्फ़ अधिनियम, 1995 की धारा 3 आर के अनुसार उसे उपयोगकर्ता, समर्पण या अनुदान के आधार पर वक्फ़ की संपत्ति के रूप में अधिसूचित करने का भी कोई प्रमाण नहीं है। अतः मा. उच्चतम न्यायालय ने फ़ैसला दिया कि **''समर्पण या उपयोगकर्ता के किसी भी सबूत के अभाव में एक जर्जर दीवार या एक प्लेटफॉर्म को प्रार्थना/नमाज़ अदा करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।''**

मा. उच्चतम न्यायालय के 29.4.2022 के निर्णय का यह स्पष्ट आशय निकलता है कि (1) कोई भी संपत्ति वक्फ़ के रिकॉर्ड में चढ़ने मात्र से ही वक्फ़ की नहीं हो जाती बल्कि वक्फ़ अधिनियम, 1995 के 3 आर में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली संपत्ति ही वक्फ़ की होगी (2) इस निर्णय ने वक्फ़ अधिनियम, 2013 के अनुसार वक्फ़ ट्रिब्युनल के निर्णय को अंतिम मानने की धारणा को भी ध्वस्त किया है।

वक्फ़ बोर्ड एक्ट, 1995, 3त के अनुसार, वक्फ़ का अर्थ है इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति द्वारा मुस्लिम क़ानून द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल-अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण, जिसमें शामिल हैं।

1. उपयोगकर्ता द्वारा एक वक्फ, लेकिन ऐसा वक्फ़ केवल इस कारण से वक्फ़ नहीं रहेगा कि सेंसर की अवधि के बावजूद उपयोगकर्ता समाप्त हो गया है।

2. मुस्लिम क़ानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए मशरूत उल खिदमत सहित अनुदान।

3. एक वक्फ़ अल औलाद जिस हद तक मुस्लिम क़ानून द्वारा पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए समर्पित है और वॉक का अर्थ है -- ऐसा समर्पण करने वाला कोई व्यक्ति -- (आर) 'वक्फ' का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल-अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण, मुस्लिम क़ानून द्वारा धार्मिक, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए और इसमें शामिल हैं --

   (i) उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ़ लेकिन ऐसा वक्फ़ केवल इस कारण से वक्फ़ नहीं रहेगा कि ऐसे सेंसर की अवधि के बावजूद उपयोगकर्ता समाप्त हो गया है;

   (ii) शामलत पट्टी, शामलत देह, जुमला मलक्कान या किसी अन्य नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज़;

18. विशेषज्ञों की रिपोर्ट केवल इस हद तक प्रासंगिक है कि संरचना का कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है। समर्पण या उपयोगकर्ता के किसी भी प्रमाण के अभाव

में, एक जर्जर दीवार या एक मंच को प्रार्थना/नमाज़ अदा करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

19. राज्य सरकार का यह स्टैंड कि उन्होंने इसे खसरा संख्या 6731 में शामिल एक धार्मिक संरचना के रूप में पहचाना है, रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा निर्णय यदि कोई हो, रिट याचिकाकर्ता को संबद्ध करने के बाद लिया गया हो। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और अच्छे और पर्याप्त आधारों का पालन करने के बाद पट्टा विलेख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य हमेशा पट्टेदार के रूप में खुला रहता है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। फलस्वरूप अपीलें खारिज की जाती हैं।

❑

संदर्भ

1. वक्फ़ बोर्ड बनाम जिंदल सॉ लिमिटेड एवं अन्य एल.एल.वाई. (सिविल) संख्या 2788 एवं 2021 की एस.एन.वाई. संख्या 17334 तथा वर्ष 2022 की सिविल अपील 2789 में उच्चतम न्यायालय का फ़ैसला।

कविता

डॉ. निशा केवलिया शर्मा

मौन

बोलो-बोलो कुछ तो बोलो
सिले हुए अब लब खोलो
अंतरमन में रहे अबोले
उन भावों की गठरी खोलो
मुखरित कर दो इच्छाओं को
कल्पनाओं के पर खोलों
नही कहीं न जंजीर ना ताला
अनजाने ही है बंद किए जो,
अंतस् के द्वारों को खोलो,
इंद्रधनुष से ख़्वाब तुम्हारे,
मुस्कुराओ, सभी हैं तुम्हारे,
गुनगुनाकर करो विसर्जित
निर्मित सत्य की सुरभि घोलो।

❑

संतोष बंसल

महात्मा गाँधी पर 'ग्रेट ट्रायल केस' और राजद्रोह कानून

वर्तमान संदर्भ में राजद्रोह क़ानून का सवालों के कठघरे में खड़ा करना बेहद लाज़िमी है, क्योंकि यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काला धब्बा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस क़ानून को औपनिवेशिक काल की देन बताते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर इसे खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? यह आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा बनाया क़ानून था जिसका मकसद स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था एवं जिसके तहत ब्रिटिश हुकूमत ने महात्मा गाँधी एवं अन्य सैनानियों को पीड़ित किया था, तब आज के दौर में ऐसे क़ानून की क्या प्रासंगिकता है? यह एक समसामयिक मुद्दा भी है, क्योंकि अब इस क़ानून का दुरूपयोग हो रहा है। साल 2019 में राजद्रोह के अंतर्गत 96 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन दो ही दोषी साबित हो सके। इसीलिए शीर्ष अदालत ने इस दंडात्मक क़ानून की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब-तलब किया है। अदालत की इस आपत्ति का सभी बुद्धिजीवियों ने समर्थन किया है, क्योंकि इस क़ानून की गाज़ भी अधिकतर उन्हीं पर गिरती है। वैसे व्यवस्था के प्रति विरोध के स्वर को दबाने या कुचलने के लिए इस क़ानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। सन् 1870 में बने राजद्रोह क़ानून[1] में सरकार को बदनाम करने वाली प्रत्येक गतिविधि पर रोक लगाई जाती थी और उसके लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता था। इन गतिविधियों में शब्दों, वक्तव्यों या लेखन को भी शामिल किया गया था, जिससे पुलिस अधिकारियों को इसके दुरूपयोग का एक बड़ा मौक़ा मिल जाता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में 'अमृत महोत्सव' के दौरान इसकी प्रसांगिकता पर प्रश्न उठना सहज और स्वाभाविक है। अतः राजद्रोह क़ानून पर विमर्श करने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को भी पलटना ज़रूरी है, जब महात्मा गाँधी को भी इस क़ानून के तहत गिरफ़्तार किया गया था।[2] उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से पूरे भारत में विद्रोह को तीव्र गति दी थी, जिससे ब्रिटिश शासन ने उन्हें राजद्रोही के रूप में देखा जबकि 1919 के सत्याग्रह तक ब्रिटिश इस बात को लेकर संशय में थे कि गाँधी उनके वफ़ादार थे या द्रोही? क्योंकि प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान गांधीजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सिपाहियों की भर्ती का अभियान चलाने का क़दम उठाया था। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास

में 'ग्रेट ट्रायल' के नाम से विख्यात यह केस चौरी-चौरा कांड के एकदम बाद और बापू द्वारा असहयोग आंदोलन वापिस लेने की उद्घोषणा के उपरांत किया गया था। मार्च, 1922 में लाखों भारतीयों का नेतृत्व कर रहे महात्मा गाँधी पर 'यंग इंडिया' में देश-द्रोह पूर्ण लेख लिखने के लिए मुकदमा चलाया गया। प्रारंभिक सुनवाई में ही 11 मार्च, 1922 को महात्मा गाँधी ने कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि ये लेख मैंने ही लिखे थे। सुनवाई में बापू ने अपना व्यवसाय किसान और बुनकर बताया और कहा कि मैं अपराधी हूँ। 18 मार्च को मामला अहमदाबाद के सर्किट हाउस में जस्टिस सी.एन. ब्रुमफ़ील्ड की अदालत में पहुँचा। अभियोग पढ़े जाने के बाद कहा कि ये आरोप ब्रिटिश भारत में सरकार के प्रति असंतोष फैलाने के प्रयास से जुड़े हैं इसीलिए भारतीय दंड संहिता IPC-124 के तहत दंडनीय अपराध है। महात्मा गाँधी पर 29 सितंबर, 1921, 15 दिसंबर, 1921 और 23 फरवरी, 1922[3] को 'यंग इंडिया' में तीन लेख लिखकर सरकार के ख़िलाफ़ असंतोष भड़काने का आरोप लगाया गया तथा कोर्ट में तीनों लेखों-वफ़ादारी से छेड़छाड़ (Tempering with loyalty), पहेली और इसके समाधान (The Puzzle and its solution) और प्रेतों को हिलाना (Shaking the manes) को पढ़ा गया। सरकारी वकील सरजेटी स्ट्रेंजमैन ने जज पर ज़ोर दिया कि मुकदमे की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए एवं सख्त सज़ा पर विचार करें क्योंकि इन लेखों में अहिंसा पर तो ज़ोर दिया गया है, किंतु लगातार सरकार के प्रति असंतोष का उपदेश है। अगर आप सरकार को विश्वासघाती सिद्ध करते हैं, तो खुले तौर पर जानबूझकर दूसरों को उखाड़ फेंकने के लिए भड़काने की कोशिश करते हैं।

तब महात्मा गांधी द्वारा अपराध स्वीकारने के बाद जस्टिस ब्रुम फ़ील्ड तुरंत फ़ैसला सुनाना चाहते थे, लेकिन वकील ने जज से बंबई, मालाबार और चौरी-चौरा में दंगा व हत्याओं का ध्यान रखने को कहा। लिहाजा जज ने गांधी जी से पूछा कि क्या वे दोष स्वीकार करते हैं? या वकालत करने का दावा करते है अथवा सज़ा के सवाल पर कोई बयान देना चाहते है? तब महात्मा गाँधी ने जज से कहा कि हर चुनौती में मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का सहयोग कर सम्मान हासिल किया, किंतु 'रोलेट एक्ट' और जालियाँवाला बाग नरसंहार से मुझे झटका लगा। अब या तो मुझे सज़ा दे या पद से इस्तीफ़ा दे दें। महात्मा गाँधी ने बयान देते हुए कहा कि सरकार की मौजूदा प्रणाली के ख़िलाफ़ असंतोष का प्रचार करना मेरे लिए जूनून बन गया है। यह मेरा कर्त्तव्य है, जिसे मुझे निभाना होगा। बापू ने कहा, "मैं हिंसा से बचना चाहता था, अहिंसा मेरे विश्वास का पहला लेख है। लेकिन मुझे अपना चयन करना था या तो मैं एक ऐसी व्यवस्था के सामने समर्पण कर देता, जिसने मेरे देश को नुक़सान पहुँचाया था या अपने लोगों के गुस्से का जोख़िम उठाना पड़ता, जो मुझसे सच जानने के बाद उनके अंदर भड़का। इसीलिए मैं एक हल्की सज़ा के लिए नहीं, बल्कि इस अपराध में सबसे बड़ी सज़ा के लिए तैयार हूँ। मैं दया के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं किसी भी मौजूदा अधिनियम की वकालत नहीं करता। इसके साथ ही कोर्ट में महात्मा गाँधी ने स्थिति को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, "मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ब्रिटिश संबंधों ने भारत को राजनीतिक और आर्थिक

रूप से इतना असहाय कर दिया, जितना वह पहले कभी नहीं रहा था। आज भारत के पास किसी हमलावर से निपटने की क्षमता नहीं है। भारत इतना ग़रीब हो गया है कि अकाल से निपटने की शक्ति भी नहीं बची है। भारत के अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण कुटीर उद्योग को बेरहमी से बर्बाद कर दिया गया है। छोटे से शहरों में रहने वाले लोग भूख का शिकार हो रहे हैं। कोई भी कुतर्क, आँकड़ों में हेरफेर कई गाँवों में दिखने वाले कंकालों के बारे में लिखने से नहीं रोक सकता। भारत में विदेशी शोषक की सेवा करने के लिए क़ानून का इस्तेमाल किया गया है।'' इसके बाद इस क़ानून को उजागर करते हुए महात्मा गाँधी ने कहा, "मुझ पर धारा-124-ए के तहत आरोप लगाए गए हैं, यह क़ानून नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाया गया है। मेरा मानना है कि अगर किसी के मन में एक व्यक्ति या व्यवस्था के ख़िलाफ़ असंतोष है तो उसे विरोध की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन इस धारा के तहत असंतोष जताना ही अपराध है। मुझे लगता है कि सरकार के प्रति असंतुष्ट होना पुण्य माना जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि भारत और इंग्लैंड की मौजूदा स्थिति के प्रति सहयोग का रास्ता दिखाकर मैंने सेवा ही की है। मेरी राय में बुराई के साथ असहयोग करना अच्छाई के साथ सहयोग करने से ज़्यादा जरूरी है। मैं यहाँ मुझे दी जाने वाली बड़ी से बड़ी सज़ा के लिए तैयार हूँ।" महात्मा गाँधी के इस बयान पर जस्टिस ब्रूमफ़ील्ड ने बापू के सामने सिर झुकाया और सज़ा सुनाते हुए उन्होंने कहा, "एक न्यायसंगत सज़ा निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। मैंने अब तक जितने भी लोगों के ख़िलाफ़ सुनवाई की है या भविष्य में सुनवाई करूँगा, आप उन सबसे अलग व्यक्ति हैं। आपसे राजनैतिक मतभेद रखने वाले लोग भी आपको उच्च आदर्शों पर चलने वाले और संत के तौर पर मानते हैं।"

जज ने बापू को छह साल क़ैद की सज़ा सुनाते हुए कहा कि अगर सरकार इस सज़ा को काम कर दे तो मुझसे ज़्यादा ख़ुश कोई नहीं होगा। इसके बाद बापू को साबरमती जेल ले जाया गया और दो दिन बाद पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया। देशद्रोह के आरोप में गांधीजी को जेल भेजना अंग्रेज़ों को महंगा पड़ा और पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की आलोचना हुई। ब्रिटिश सरकार को दो वर्ष के बाद ही उन्हें छोड़ना पड़ा और सन् 1924 ईस्वीं में बापू की अस्वस्थता को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। उपरोक्त बयानों से अगर हम देखें तो आज भी आरोपों की स्थितियाँ भिन्न नहीं हैं, सिर्फ़ परिस्थितियों का फ़र्क है। तब हम गुलाम थे और ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन अब हम आज़ाद हैं और हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है। किंतु इस देशद्रोह क़ानून का इस्तेमाल वैसे ही हो रहा है, जैसाकि आज से सौ वर्ष पूर्व होता था। तो क्या ग़लत के विरोध में कुछ कहना या लिखना विद्रोह है, जिसे 'राजद्रोह क़ानून के अंतर्गत माना जाना चाहिए? इसके उत्तर में भी महात्मा गाँधी ही खड़े नज़र आते है, जिनका जीवन एक विद्रोही जीवन रहा। तभी तो प्रसिद्ध लेखक श्री नंद किशोर आचार्य लिखते है, "महात्मा गाँधी की छवि के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह के अलावा उनके व्यक्तित्व के अन्य विद्रोही आयामों पर कम ध्यान दिया जाता है और उन्हें एक परंपरावादी

ही समझा जाता है। दक्षिण अफ़्रीका और भारत में ब्रिटिश अन्याय के विरुद्ध उनके सत्याग्रह के केवल राजनीतिक आयाम पर ही अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन उनके सत्याग्रही विद्रोह को आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयामों में भी समझे जाने की आवश्यकता है। इस विद्रोह का एक आयाम शुद्ध अवधारणात्मक भी है, क्योंकि महात्मा गाँधी विद्रोह की प्रचलित अवधारणा से भी विद्रोह करते हुए उसे एक नया रूप देते हैं।'' (लेख-एक विद्रोही महात्मा, कादंबिनी पत्रिका, गाँधी पर बहस जरूरी है, अक्टूबर 2018)[4]

वस्तुतः महात्मा गाँधी अंगरेजी हुकूमत से अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन 5 फरवरी, 1922 को 'चौरी-चौरा' के हिंसक कांड में सत्याग्रहियों द्वारा पुलिस स्टेशन जलाएँ जाने की घटना से आहत बापू ने अपना आंदोलन वापिस ले लिया। इसमें 22 सिपाहियों के मारे जाने पर दुःख व्यक्त करते हुए उन्होंने इसकी कड़ी भर्त्सना भी की और जज के सामने पूरी नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए अपने लिए दंड की माँग की। जबकि वे चाहते तो इस ओर से आँख मूँद सकते थे और इसे सत्याग्रहियों का विरोध प्रकट करना कह सकते थे। लेकिन यही फ़र्क है आज के नेताओं और बुद्धिजीवियों में, अब क्या कोई किसी दुर्घटना में मारे गए जवानों या पुलिस बलों की ज़िम्मेदारी लेता है? बल्कि वर्तमान में सब एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए पूर्व नेताओं और उनकी नीतियों पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। दूसरे सोशल मीडिया पर जब-तब आभासी अफवाहें छाई रहती हैं, जो सच बनकर किसी पर कैसी भी टिप्पणी कर देती है? और अगर कोई पत्रकार या लेखक सच्चाई की जाँच-पड़ताल करता हुआ उसे उजागर करे, तो उसे देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी नीति या योजना के विरोध में आम जन आवाज़ उठाये या युवा वर्ग मुखर हो जाए, तो उन पर राजद्रोह का इल्जाम लगा कर सीखचों के भीतर कैद कर लिया जाता है।

पिछले दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस तरह छात्रों की धर-पकड़ हुई, वह किसी से छिपी नहीं। इसके अलावा, किसी को भी बिना सबूत सांप्रदायिक झगड़ा-फसाद करवाने के इल्जाम में कई महीनों तक कारावास में डाल दिया जाता है। ऐसे में यह पूछना जरूरी है कि वर्तमान में इस क़ानून की क्या उपयोगिता है? क्योंकि इसकी आड़ में पुलिस अधिकारी या सरकार को इसके ग़लत इस्तेमाल का बड़ा मौका मिल जाता है। वैसे यदि समय रहते पुलिस सुधार हुए होते तो राजद्रोह क़ानून का दुरूपयोग भी रुक गया होता। हालाँकि अनेक ऐसे क़ानून रहे हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने समय के साथ लोगों के अनुकूल बदला है। तब कोर्ट का पूछना उचित है कि जब पुराने अनेक क़ानूनों को खत्म किया गया है, तब राजद्रोह क़ानून की जरुरत क्यों है क्योंकि अब किसी भी सभ्य समाज और देश में लोगों को अनुशासित रखने के लिए सीधे राजद्रोह क़ानून के बजाय दूसरे क़ानूनों का इस्तेमाल बेहतर है।

इसीलिए राजद्रोह क़ानून को भी जाना चाहिए, क्योंकि राजद्रोह क़ानून तंत्र को भ्रष्ट बना रहा है। सबसे बड़ी चिंता ऐसे क़ानूनों के दुरूपयोग की है, जिसे नए दौर में रोकना जरूरी

है। इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि यह क़ानून लोकहित में ज़्यादा है या तंत्रहित के लिए ही इसे बनाए रखा गया है? सन् 1962 में **केदारनाथ यादव बनाम बिहार सरकार के मामले में** सुप्रीम कोर्ट ने इस क़ानून को बनाए रखा था,[5] लेकिन अब यह मनमर्जी का एक हथियार बन गया है। इसीलिए पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल एस.जी. वोम्बाटकेरे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 अ (राजद्रोह) को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उनकी दलील है कि इस क़ानून का इस्तेमाल कई बार अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित करने के लिए किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 अ के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों, लेखन, चिन्हों, दृश्य माध्यम या फिर किसी अन्य माध्यम से भारत में सरकार के ख़िलाफ़ विद्रोह भड़काता है, तो उसे उम्र क़ैद तक की सज़ा दी जा सकती है। यह अपराध ग़ैरजमानती भी है, अतः यह क़ानून अप्रशंसनीय है। तभी प्रमुख न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि हमारी मुख्य चिंता इस क़ानून के दुरूपयोग को लेकर है। यद्यपि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी कि सरकार के कामकाज से नाख़ुश होकर की गई टिप्पणी चाहे कितनी भी कठोर हो, यदि उससे हिंसा होने या हिंसक कृत्य के लिए उकसाने का ख़तरा न हो, तो उसे राजद्रोह में शामिल न किया जाए। ख़ुशी की बात है कि शीर्ष अदालत की नाराजगी के बाद अटार्नी जनरल ने लचीले रुख के साथ कहा कि राजद्रोह क़ानून का दुरूपयोग रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश तय किए जा सकते हैं। उन्होंने इस क़ानून को पूरी तरह खारिज करने के बजाय उसकी जरुरत का बचाव किया। किंतु अब केंद्र सरकार को राजद्रोह क़ानून को बनाए रखने के लिए मजबूत तर्क के साथ आना पड़ेगा।

पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी श्री यशोवर्धन आज़ाद भी राजद्रोह क़ानून को ख़त्म करने की सिफ़ारिश करते हुए लिखते हैं, "विधि आयोग पहले ही इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर चुका है और इसे हटाने की सिफ़ारिश भी, यहाँ तक कि समाज के कई वर्गों, ग़ैर-सरकारी संगठनों, पत्रकारों और वकीलों ने भी राजनीतिक मकसद से इस क़ानून के बेज़ा इस्तेमाल को बेपर्दा किया है।" (लेख-ऐसे कड़े क़ानूनों से मुक्ति कब? हिंदी हिंदुस्तान, अखबार, 22 जुलाई, 2021)[6] फिर भी मामला जस का तस ठहरा हुआ दिख रहा है, सरकार पिघलने को कतई तैयार नहीं है। ऐसे मामलों को दर्ज़ करने को लेकर न कोई नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है और न ही इस विषय पर पुलिस महानिदेशकों के सालाना सम्मेलन में कोई चर्चा हुई है। शासन इन क़ानूनों के इस्तेमाल करने की अपनी ताकत नहीं खोना चाहता और शीर्ष पुलिस अधिकारी व वरिष्ठ नौकरशाह कदापि मुखर होने को इच्छुक नहीं दिखते। अभियोजन पक्ष तो गृह मंत्रालय का एक कमज़ोर अंग ही है। इस तरह उम्मीद अब न्यायधीशों से ही है कि वे राजद्रोह क़ानून खत्म करेंगे, क्योंकि यह लोकतंत्र पर धब्बा है। आज जबकि 'सच के साथ बेईमानी और सच की मनमानी व्याख्या इस समय का सबसे बड़ा सच है' तथा 'इंसानी ख़ून का बंटवारा कर देने वाला हिंसक समय' शायद ही इस तरह कभी ज़मीन पर उतरा हो। विभाजन के पश्चात पहली बार भारत में जिस तरह चुनाव की राजनीति फिलहाल धर्म, जाति और क्षेत्र पर आधारित

हो गई है, उससे मान-मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और नैतिक सीमाओं की धज़्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस में चुप्पी और ख़ामोशी की लगाम लगी है एवं अब राष्ट्र-प्रेम या राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देने के लिए 'भारत माता की जय' बोलने अथवा अन्य पाखंड दिखाने जरूरी हो गए हैं। हर कोई प्रतिक्रिया करने से डरने लगा है एवं हर मामले में चयनित दृष्टिकोण के साथ लोग बात करने लगे हैं। ऐसे में निगाहें हमारी महात्मा गाँधी पर ही टिकती हैं और पिछले समय के अंतराल को जाँचना चाहती है। क्या आज राजनीति हमारी संवेदना और सोच को ग़ुलाम बना चुकी है? क्या हम लोकतंत्र की स्वाभाविक भावधारा के साथ न्याय कर रहे हैं या न्यायपूर्ण समाज बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहें हैं? वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय दिवेदी के अनुसार, "हमें पता है कि लोकतंत्र संवाद के सुअवसरों से ही सार्थक होता है। हमें राजनीति को सवालों से बचाना नहीं, बल्कि उसे सवालों से टकराने और उनके ठोस एवं वाजिब हल तलाशने की ओर ले जाना है। यह तभी संभव है, जब अंधविरोध, चयनित दृष्टिकोण और विरोध के लिए विरोध की भावना से बचा जाए। हमारा लोकतंत्र एक लोक-कल्याणकारी राज्य की कल्पना से संयुक्त है, जिसे महात्मा गाँधी 'श्रीराम राज्य' की अवधारणा से जोड़तें हैं।" (लेख-अपने-अपने सच और चुनी हुई चुप्पियों का समय, हिंदी हिंदुस्तान अखबार)[7]

❑

संदर्भ

1. राजद्रोह क़ानून से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124
2. महात्मा गांधी के विरुद्ध 'ग्रेट ट्रायल मामला; 1922
3. यंग इंडिया 29 सितंबर, 1921, 15 दिसंबर, 1921 एवं 23 फरवरी, 1922
4. एक विद्रोही महात्मा, कादंबिनी पत्रिका, गाँधी पर बहस, अक्टूबर, 2018
5. केदारनाथ यादव बनाम बिहार सरकार का मामला
6. ऐसे कड़े क़ानूनों से मुक्ति कब? हिंदी हिंदुस्तान, 22 जुलाई, 2021
7. अपने-अपने सच और चुनी हुई चुप्पियों का समय, हिंदी हिंदुस्तान

सुमन

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका

समकालीन समाज में महिलाओं का एक ऐसा वर्ग है जो सजग एवं जागरुक है। उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किसी पुरुष-वैशाखी की जरुरत नहीं। वह अपने सामर्थ्य एवं अधिकार को अच्छी तरह जानती-समझती हैं। औरत जिसे कभी मात्र भोग एवं संतान उत्पत्ति का माध्यम समझा जाता था वह आज पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़ी है। धरती से आसमान तक ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें उसने अपनी जीत का लोहा न मनवाया हो।

समकालीन समाज में नारी संबंधी कई व्याख्याएँ विद्यमान हैं। जिन्हें हम निम्नलिखित बिन्दुओं में जान सकते हैं। जिनमें कई प्रकार की धारणाएँ विद्यमान हैं। इन धारणाओं में -- नारीत्व (Genetic), नारीयता (Feminity), नारीवादी (Feminist) आदि मुख्य हैं। महिलाओं की प्रभावी भूमिका के विषय में प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन कहती हैं कि -- "वास्तव में स्त्री जन्म से अबला नहीं होती, उन्हें अबला बनाया जाता है।" इसलिए नारी को अपने अधिकार और सम्मान दोनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि कोई चाह कर भी ममता और सादगी का दुरुपयोग न कर सके। नारी कल भी पुरुषों की सहचरी थी और सदैव रहेगी। यही कारण है कि डॉ. राधाकृष्णन ने नारी को सम्मानीय मानकर 'नर की सहचरी' कहा है।

आज की नारी न केवल पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चलना जानती है। अपितु वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है, जहाँ उसे उन्मुखता का सृजन एवं सफलता का अनुभव हो। जहाँ उसकी प्रतिभा की पहचान और नए व्यक्तित्व का संपूर्ण निर्माण हो सके। भारत की प्रत्येक नारी को सुभाष चंद्र बोस की निम्नलिखित पंक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए -- 'ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हमारी स्त्रियाँ नहीं कर सकती अर्थात् राष्ट्र निर्माण के कार्य में नारियों की भूमिका अतुलनीय है। यदि उन्हें उचित अवसर दिया जाए तो वह पुरुषों से अधिक राष्ट्र हित में कार्य कर सकती हैं।'

नारी ब्रह्मविद्या, श्रद्धा और आदि शक्ति है। वह सद्‌गुणों की खान है। इस दृश्य संसार में जो सर्वश्रेष्ठ रूप में विद्यमान है, वह नारी सनातन शक्ति है। नारी आदिकाल से उन सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर रही है; जिन्हें पुरुष के कंधे नहीं संभाल सके। फलतः माता के रूप में नारी ममता, करुणा, वात्सल्य एवं सहृदयता जैसे सद्‌गुणों से युक्त है। महादेवी वर्मा के

शब्दों में 'स्त्री में माँ का रूप ही सत्य, वात्सल्य ही शिव और ममता ही सुंदर है।' उनके अनुसार, राष्ट्र निर्माण में उस राष्ट्र की आधी जनसंख्या (नारी) की महत्त्वपूर्ण भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि किसी कारण से नारी निष्क्रिय हो जाए तो उस समाज एवं राष्ट्र की समुचित प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती।

वर्तमान में आधुनिकता के आगमन एवं शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त सुधार किया है। जिसका परिणाम राष्ट्र की समुचित प्रगति-पथ में उनका निरंतर अग्रसर होना है। एक ओर जहाँ आधुनिक युग में स्वाधीनता संग्राम के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई, विजया लक्ष्मी पंडित, अरूण आसफअली, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी, मणि बेन पटेल, अमृत कौर जैसी महिलाओं ने पूरी क्षमता से देश सेवा-कार्य में भाग लिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय उत्थान हेतु समर्पित विदेशी महिलाओं में एनी बेसेंट, मैडम कामा, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।

उपर्युक्त सभी महिलाएँ समकालीन महिलाओं के लिए सजीव प्रेरणा स्रोत हैं। जिनसे प्रेरित होकर आज की नारी सेना, पुलिस, स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्यरत होकर प्रभावी कार्य कर रही हैं। वर्तमान में महिलाओं की विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण है कि भारत की श्रेष्ठ सिविल सर्विस में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रही हैं।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद महिलाओं ने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को निरंतर दृढ़ किया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित विश्व की पहली महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनीं। अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत कि पहली महिला-राज्यपाल बनीं। इसके अतिरिक्त सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की प्रथम मुख्यमंत्री। राष्ट्र निर्माण में अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान को विभिन्न परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है। उदाहरणतः चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, बैंक, पुलिस, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक आदि सभी व्यवसाय क्षेत्रों में वह महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। किरण बेदी, कल्पना चावला, मीरा नायर, मीरा कुमार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, बछेंदी पाल, संतोष यादव, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, पी.टी. उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, लता मंगेशकर आदि की दक्षता एवं प्रदर्शन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज महिलाएँ पुरुषों के कंधे-से-कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ा रहीं हैं।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान घर एवं परिवार को संभालने के रूप में हमेशा रहा है। किसी भी समाज में श्रम विभाजन के अंतर्गत कुछ सदस्यों का घर एवं बच्चों को संभालना एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण दायित्व रहा। अधिकांश महिलाएँ इस दायित्व का निर्वाह बख़ूबी करती हैं। घर को संभालने के लिए जिस कुशलता एवं क्षमता की आवश्यकता होती है उसका पुरुषों के पास प्रायः अभाव है। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य

है। यदि महिलाएँ शिक्षित नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ियाँ भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकतीं। एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। निश्चित रूप से महिलाओं ने अनेक बाधाओं के बावजूद नई कामयाबी को पाया है। उन्होंने अपनी सफलताओं के ऐसे किस्से गाड़े हैं जिनसे पूरी दुनिया कंपित हो गई।

आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जो महिलाओं की भागीदारी से अछूता हो। फलतः नारी के जुझारु रूप का लोहा सब को मानना पड़ा है। किंतु इन सबके बावजूद उसकी समस्या अभी भी बनी हुई है। वास्तव में महिला के प्रति उपेक्षा की दृष्टि उसके जन्म के साथ ही शुरु हो जाती है और उसकी प्रथम उपेक्षा उसके अपने ही घर-परिवार में होती है। अर्थात् महिलाओं को उपेक्षा से मुक्ति घर की देहरी पार करके मिली है। देहरी पार करने से आशय कुल और समाज की निर्मम उपेक्षा से कतई नहीं। अपितु अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए नए मुकामों को पाने से है जहाँ पहुँचकर वह सबके लिए सम्मानीय और प्रेरणा बन जाए।

हमारे शास्त्रों में मनु महाराज ने स्पष्ट कहा है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तथ्य है कि देवता कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं। अर्थात् जिस समाज में नारी विभिन्न क्षेत्रों के कार्य में बढ़-चढ़कर भागीदार बनती हैं, वहाँ प्रगति की संभावनाएँ अत्यधिक बढ़ जाती हैं। निःसंदेह घर-गृहस्थी का निर्माण हो या राष्ट्र का निर्माण; नारी के योगदान के बिना कोई भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकता। नारी माता, बहन, पत्नी, पुत्री एवं मित्र रुपी विविध स्वरूपों में पुरुषों के साथ बड़ी आत्मीयता से जुड़ी हैं। कवि गोपाल दास नीरज ने मानव जीवन में नारी की महत्ता को व्यक्त करते हुए कहा है --

"अर्ध सत्य तुम, अर्ध स्वप्न तुम, अर्ध निराशा-आशा
अर्ध अजित-जित,
अर्ध तृप्ति तुम, अर्ध अतृप्ति-पिपासा,
आधी काया आग तुम्हारी, आधी काया पानी,
अर्धांगिनी नारी! तुम जीवन की आधी परिभाषा।"

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल जनसंख्या के लगभग 40 करोड़ कार्यशील व्यक्ति हैं। जिनमें 12.5 करोड़ से अधिक महिलाएँ हैं। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 39 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है। जिसमें लगभग एक-चौथाई महिलाएँ हैं। कृषि प्रधान देश भारत में कृषि कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने में प्रारंभ से ही महिलाएँ अर्थव्यवस्था का आधार रही हैं। किंतु सत्तात्मक समाज में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों का कभी भी उचित मूल्यांकन नहीं हुआ। महिलाओं के मामले में संवैधानिक गारंटी और वास्तविकता के बीच विरोधाभास है। यद्यपि आज भी अधिकांश भारतीय महिलाएँ आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक दृष्टि से भी उसकी प्रस्तुति पुरुषों के समान नहीं है।

भारत में अदालती क़ानून की तुलना प्रथागत क़ानूनों का भी अपना महत्त्व है। अतः क़ानूनी प्रावधान ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अपितु लोगों की मनोवृति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तथ्यतः भारतीय समाज, महिलाओं को उनका उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध हो। ताकि उनकी मेधावी शक्ति एवं ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार हो सके। जिससे उन्हें अपने विकास का पूरा अवसर मिल सके। कारण, ऐसी स्थिति में ही भारतीय समाज के उत्थान में महिलाओं का योगदान अधिकतम हो सकता है।

अतंतः वास्तव में शक्ति और अधिकार तब तक उनकी सहायता नहीं कर सकते जब तक महिलाएँ स्वयं अपनी मानसिकता को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करतीं। स्वयं को पिछड़ा और लाचार समझने वाली महिलाओं को महात्मा गांधी की इन पंक्तियों से प्रेरित होना चाहिए -- "स्त्री तो एक मूर्तिमान बलिदान है। वह जब सच्ची भावना से किसी काम की बीड़ा उठाती है, तो पहाड़ों को भी हिला देती है।" अर्थात् नारी को अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना होगा तभी वह अपना और अपने राष्ट्र के विकास एवं निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग दे सकेगी। ❑

मॉब लिंचिंग और क़ानून

झारखंड में संजू प्रधान को 6 साल वृक्ष काटने के कारण भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला क्योंकि लोग इस पेड़ को पवित्र मानते हैं। झारखंड सरकार ने पिछले साल यद्यपि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए क़ानून बनाया था परंतु उसमें किए गए लचर प्रावधानों के कारण वहाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएँ कम नहीं हो पा रही हैं। पिछले 5 वर्ष में 45 मामले मॉब लिंचिंग के मामले वहाँ सामने आए हैं। इस क़ानून में अधिकारियों के विरुद्ध अपना कर्त्तव्य पालन न करने की स्थिति में दंड का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यही कारण है कि संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग के समय पुलिस मौके पर मौजूद होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

यद्यपि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि राज्य मॉब लिंचिंग क़ानून बना चुके हैं किंतु अधिकारियों के विरुद्ध दंड संबंधी प्रावधान न होने के कारण क़ानून इतना प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहा है। वैसे भी मॉब लिंचिंग केवल क़ानून द्वारा नहीं रोकी जा सकती। झारखंड में महिलाओं को प्रायः डायन क़रार देकर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। इस प्रकार की घटनाएँ रोकने के लिए लोगों में अंध-विश्वासों आदि के विरुद्ध जागृति लाने की ज़रूरत है। मॉब लिंचिंग क़ानून को भी कठोर बनाए जाने की ज़रूरत है। इस बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। ❑

भूमिका शर्मा

स्वतंत्र भारत में श्रम कल्याणकारी कानूनों का विकास

"मैं खुद एक मजदूर हूँ; मैं खुद को मेहतर, बुनकर, स्पिनर, किसान, और क्या नहीं कहने पर गर्व करता हूँ।" -- महात्मा गांधी

औद्योगिक क्रांति ने अप्रत्याशित तरीके से जीवन को प्रभावित किया। प्रभाव आज भी जारी है। आर्थिक वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष औद्योगिक क्रांति के परिणामों में से एक हैं। औद्योगीकरण का मुख्य सामाजिक प्रभाव औद्योगिक श्रमिकों के एक वर्ग का आगमन और इस श्रमिक वर्ग का विकास है, जो औद्योगीकरण प्रक्रिया की अंतर्निहित प्रकृति द्वारा चिह्नित है। भारत के मौजूदा श्रम क़ानूनों का श्रेय : ब्रिटिश सरकार द्वारा श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए शुरू किए गए उपायों को दिया जाना चाहिए। श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार के तत्वावधान में विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन किया गया था। उनमें से महत्त्वपूर्ण मेजर मूर, मीडे-किंग, डब्ल्यू.बी. मुलॉक, सर अल्फ्रेड लेथब्रिज, सर एच.पी. फ्रीर-स्मिथ और डब्ल्यू.टी. मॉरिसन की रिपोर्टें हैं, जो 1872 से 1908 में पेश की गई। 1916 से 1946 तक कई आयोगों ने भारत में औद्योगिक और अन्य श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

1929-31 में जे.एच. व्हाइटली की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन लेबर श्रम मुद्दों पर एक व्यापक रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए महत्त्व रखता है। 1946 में डी.वी. रेगे की अध्यक्षता में श्रम जाँच समिति ने अपनी जाँच को आम तौर पर सभी औद्योगिक और अर्ध-औद्योगिक श्रमिकों को शामिल किया और सामाजिक सुरक्षा की योजना तैयार की। इसके साथ ही, पुरुषोत्तम कांजी ने बॉम्बे में श्रमिक अशांति के विभिन्न कारकों की जाँच की और टिप्पणी की कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम और सुविधाओं की वर्तमान स्थिति और प्रबंधन की ओर से कम कल्याणकारी प्रयास प्रबंधन और श्रमिकों के बीच जलन और संबंधों को बढ़ा सकते हैं। विदेशी प्रभुत्व के तहत, भारत ने 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्य के रूप में भी एक स्थान हासिल किया। 1850 से 1947 तक, लगभग तीस केंद्रीय श्रम क़ानून बनाए गए।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुद्दों में पर्याप्त चर्चा के लिए श्रम कल्याण भी उल्लेखनीय रहा। 1895 में भारत के संविधान विधेयक या स्वराज विधेयक में पहली

बार अधिकारों की माँग उठाई गई थी। बाद में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किए गए कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इस माँग को दोहराया गया। 1944-1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बना रहा।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रस्तावित भारतीय संविधान एक संघीय संविधान था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक तीसरी सूची पेश की जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है और श्रम क़ानून इसमें शामिल अन्य विषयों में से एक था। समवर्ती सूची उन विषयों की सूची थी जिन पर केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान मंडलों को क़ानून बनाने का अधिकार था। भारतीय मजदूर वर्ग के मौलिक अधिकारों को संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 31, 32 और 33 में संरक्षित करने की माँग की गई थी।

भारत के संविधान के तहत श्रम अधिकारों की रूपरेखा

स्वतंत्र भारत की नव निर्वाचित सरकार ने श्रमिकों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं, विधायी उपायों और नीतियों की शुरुआत की। विभिन्न कारकों की संयुक्त प्रभाव ने भारत में 1947 के बाद की अवधि में श्रम कल्याण क़ानूनों को आकार दिया है। संवैधानिक दायित्वों के साथ-साथ नियोजन उद्देश्यों ने भी श्रम समर्थक प्रावधानों के विकास में योगदान दिया। भारत में संवैधानिक इतिहास विदेशी शासकों द्वारा विदेशी जातियों पर शासन करने के लिए, यूरोपीय संस्थानों को जीवन की ओरियंटल आदतों के अनुकूल बनाने के लिए किए गए प्रयोगों का एक रिकॉर्ड है, जो निश्चित क़ानूनों को उन लोगों के बीच सर्वोच्च बनाते हैं जो सरकार को अभ्यास के साथ जोड़ने के आदि थे। संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रीय प्रतिभा, संस्कृति और परंपराओं के आधार पर एक स्वदेशी संविधान विकसित किया। भारतीय संविधान दुनिया के कई संविधानों का एक दिलचस्प मिश्रण है। संविधान की प्रस्तावना राजनीतिक स्वतंत्रता की सामाजिक-आर्थिक सामग्री को व्यक्त करती है और भारत के भविष्य की एक प्रेरक तस्वीर पेश करती है। प्रस्तावना के संदेश की छाप संविधान के कई अनुच्छेदों में देखी जा सकती है।

मौलिक अधिकारों में से, तीन अधिकार उस संपूर्ण भवन का आधार बनते हैं जिस पर आधुनिक लोकतांत्रिक श्रम क़ानून तैयार किए गए हैं। ये तीन अधिकार हैं वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार और संघ और संघ बनाने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत दिए गए शोषण के खिलाफ अधिकार असभ्य और अमानवीय श्रम प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के अधिकार को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अनुच्छेद 32 के अतिरिक्त, अनुच्छेद 226 नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्च न्यायालयों में जाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान की एक विशिष्ट विशेषता के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों ही व्यक्ति की भलाई को सुरक्षित करने का एक उद्देश्य साझा करते हैं। भारतीय संविधान भाग-IV के माध्यम से क़ानून के शासन के तहत एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कई सिद्धांत राष्ट्र पिता और डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आयरलैंड के संविधान से भी प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में उन कर्त्तव्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जो राज्य को श्रम, उनके आर्थिक उत्थान और सामाजिक पुनर्सजन के लिए देय हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में श्रम के शारीरिक, सामाजिक और नैतिक सुधार के उद्देश्य से कुछ निर्देश दिए गए हैं। भारत के श्रम क़ानून राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के दर्शन के आधार पर आधारित हैं। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक जीवन की सभी संस्थाओं में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके जनता की भलाई को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 में पूर्ण समानता संबंधी गांधीवादी दर्शन का एक व्यापक दिशा-निर्देश है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों के बारे में बात करते हुए अनुच्छेद 39 एक व्यापक प्रावधान हैं। अनुच्छेद 41 सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के दायित्व के दर्शन का प्रतीक है।

श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा में ऐसी योजनाओं या सेवाओं या सुविधाओं और सुविधाओं को प्रदान करना या तैयार करना शामिल है, जो श्रमिकों को एक सभ्य न्यूनतम जीवन स्तर का नेतृत्व करने और वित्तीय/आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नौकरी खोने की स्थिति में वापस आने में सक्षम कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा उपायों का लक्ष्य परिस्थितियाँ जो श्रमिकों के नियंत्रण से बाहर हैं। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और प्रसूति राहत के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य उपयुक्त क़ानून या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य तरीके से कृषि, औद्योगिक या अन्य सभी श्रमिकों के लिए काम एक जीवनयापन मजदूरी, एक सभ्य जीवन स्तर और अवकाश का पूरा आनंद सुनिश्चित करने के लिए काम की शर्तों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर और विशेष रूप से राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। श्रमिकों का स्वास्थ्य, शक्ति और नैतिकता आंशिक रूप से मजदूरी पर निर्भर करती है। सार्वजनिक नीति की माँग है कि निर्वाह मजदूरी का भुगतान किया जाए।

अनुच्छेद 43-ए को संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 के तहत शामिल किया गया था। यह अनुच्छेद प्रबंधन में श्रम भागीदारी की वकालत करता है। ब्रिटेन में गठित जे.एच. व्हिटली की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट ने इस अनुच्छेद को प्रभावित किया है। समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक परिषदों और जिला परिषदों की आवश्यकता की सिफारिश की जो उद्योग में ट्रेड-यूनियनों और नियोक्ता संघों और कार्य समितियों (प्रबंधन और श्रमिकों के

प्रतिनिधि) के संगठन को दर्शाती हैं। समिति के सुझावों को अब दुनिया भर में औद्योगिक और श्रम क़ानूनों में जगह मिल गई है।

स्वतंत्र भारत में श्रम क़ानून

ऐसी असंख्य स्थितियाँ हैं जो श्रमिकों और उनके परिवारों की भलाई को बहुत प्रभावित करती हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक स्वास्थ्य श्रमिकों के कल्याण के चार आधारशिला हैं। श्रम कल्याण का दायरा उतना ही विशाल है जितना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की भीड़, जो इसमें शामिल हैं। ये आयाम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विभिन्न क़ानूनों के तहत शामिल हैं। श्रम क़ानून आधुनिक समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। श्रम क़ानून औद्योगिक संबंधों के विभिन्न पक्षों के बीच संघर्ष और घर्षण की स्थिति के उपचारों में से एक है। श्रम क़ानूनों को मोटे तौर पर संगठित श्रम के लिए विधानों और असंगठित श्रमिकों के लिए विधानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब तक, भारत में लगभग 45 केंद्रीय श्रम क़ानून मौजूद हैं, साथ ही राज्य द्वारा अधिनियमित क़ानूनों की एक लंबी सूची भी है। दुर्भाग्य से, असंगठित श्रमिकों के अधिकारों की अक्सर अनदेखी की जाती है और उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है।

श्रम क़ानूनों को उनके उद्देश्यों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। बोनस, सामाजिक सुरक्षा (मुआवजा, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी), काम करने की स्थिति, काम पर सौहार्दपूर्ण संबंध या औद्योगिक शांति ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार (सामूहिक सौदेबाजी), काम पर सुरक्षा, छुट्टियाँ व महिलाओं, बच्चों और किशोरों का कल्याण प्रमुख मुद्दे हैं। ये अधिकार विशेष रूप से संगठित श्रमिकों से संबंधित हैं। ये अधिकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923, व्यक्तिगत चोट (मुआवजा बीमा) अधिनियम, 1963, व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1962, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1976, नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 , कारखाना अधिनियम, 1948, बॉयलर अधिनियम, 1923, खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942, बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संरक्षित हैं।

बीमारी, विकलांगता के मामलों में समर्थन करने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा क़ानून मौजूद हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923; कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; ग्रेच्युटी

का भुगतान अधिनियम, 1972, आदि महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याण क़ानून हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005; असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 और घरेलू कामगार (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अधिनियम, 2008 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों के लिए मौजूद हैं। भारत ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, जिसे 2009 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के रूप में पुनर्निमित किया गया था, इसके माध्यम से काम करने के अधिकार के संबंध में काफी कदम उठाए हैं। अनुच्छेद 42 की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, भारत की संसद ने कारखाना अधिनियम, 1948 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 को पारित किया और उनमें विभिन्न संशोधन भी लाए गए हैं।

असंगठित क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कृषि, मत्स्य पालन आदि जहाँ कोई विशिष्ट कल्याणकारी क़ानून नहीं हैं। असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्य क़ानून वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952, अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1946, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1972, लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकार अधिनियम, 1976, लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1978 के साथ पठित मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961, बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 और बीड़ी कामगार कल्याण कोष अधिनियम, 1976 हैं। इन सभी क़ानूनों के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक निरीक्षण, श्रम के रिकॉर्ड के रख-रखाव और कर्त्तव्यों के उल्लंघन के मामले में दंड के प्रावधान के माध्यम से श्रम के कल्याण को सुरक्षित करना है।

श्रम संहिताओं का अधिनियमन

एन.आई.टी.आई आयोग के तीन वर्षीय कार्य एजेंडा, 2017 और प्रतिष्ठित आयोगों की सिफारिशों के आधार पर 2019 और 2020 में 29 श्रम क़ानूनों को चार संहिताओं में समाहित किया गया है।

(i) वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को मजदूरी पर कोड, 2019 में समाहित किया गया है।

(ii) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का समेकन औद्योगिक संबंध कोड, 2020 में किया गया है।

(iii) कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952, कामकाजी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955, वर्किंग जर्नलिस्ट (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961, बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें)

अधिनियम, 1966, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976, अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979, सिने-वर्कर्स और सिनेमा थिएटर वर्कर्स (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1981, डॉक वर्कर्स (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 में समामेलित कर दिया गया है।

(iv) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1981, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद की सरकारों ने श्रम शक्ति को कम करने और उद्योग के पक्ष में श्रम क़ानूनों को बदलने की कोशिश की है। नवंबर 1991 के बाद से सरकार की नीतियों के खिलाफ बीस से अधिक देशव्यापी हड़तालें हो चुकी हैं। इन संहिताओं ने कुछ बिंदुओं पर देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बदलाव लाए हैं। साथ ही, इन संहिताओं में ऐसे कठोर प्रावधान हैं जिन्होंने श्रम के मूल अधिकारों को लगभग छीन लिया है। नए श्रम संहिताओं के तहत श्रमिकों, काश्तकारों, कारीगरों, स्वरोजगार विक्रेताओं, पारंपरिक शिल्पकारों, पारंपरिक सेवा श्रमिकों, घर-आधारित श्रमिकों आदि का ध्यान रखा गया है।

इंस्पेक्टर राज को हटाने के लिए इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर बनाया गया है और रैंडम, वेब बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम की शुरुआत की गई है। मजदूरी संहिता, 2019 देश के सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन की पात्रता प्रदान की और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 कुछ क्षेत्रों तक सीमित मौजूदा क्षेत्रीय दृष्टिकोण की तुलना में एक गतिशील क़ानून के दायरे को बढ़ाकर कार्यबल के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देता है। प्रतिष्ठानों के लिए एक लाइसेंस, एक पंजीकरण और एक रिटर्न की शुरुआत की गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत, सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाने का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार समाजवादी समाज के अपने लक्ष्य से भटक रही है और पूँजीवादी और अधिनायकवादी राज्य की ओर बढ़ रही है। 2019-2020 में श्रम संहिता के अधिनियमन ने भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन संहिताओं ने एक ओर श्रमिकों के लिए कुछ नए प्रावधान पेश किए हैं और दूसरी ओर नियोक्ताओं के पक्ष में श्रमिकों के पहले से मौजूद महत्त्वपूर्ण अधिकारों में ढील दी है। संहिताओं के विभिन्न

प्रावधानों को लागू करने के लिए सीमा को बढ़ाना, अधिभोगियों, प्रबंधकों और नियोक्ताओं द्वारा स्व-अनुपालन के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तव में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा श्रम क़ानूनों के स्व-अनुपालन के प्रभावी होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जब बहुत सारे क़ानूनों के बावजूद ग़ैर-अनुपालन इतना प्रचलित है। नए उद्योगों के साथ-साथ मौजूदा लोगों को 'सार्वजनिक हित' नाम के तहत विभिन्न छूट प्रदान करते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से केवल औद्योगिक लॉबी के हितों को ध्यान में रखते हुए। चार संहिताएँ राज्य सरकारों को किसी भी नए कारखाने को संहिता के प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देती हैं ताकि अधिक आर्थिक गतिविधि और रोजगार पैदा किया जा सके।

सभी श्रम संहिताएँ नौकरशाही को व्यापक अधिकार देती हैं, जिससे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छूट मिलती है। इस तरह का लचीलापन घातक है। इन संहिताओं में श्रम क़ानूनों से बड़े पैमाने पर छूट भी रोजगार सृजन या प्रोत्साहन उत्पादन वृद्धि की गारंटी नहीं देती है। ये चार संहिताएँ निश्चित रूप से बेंथम द्वारा निर्धारित परीक्षणों को विफल कर देती हैं, जो अभी भी जटिल और आम लोगों के लिए समझ से बाहर है।

निष्कर्ष

सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भारत के राजनीतिक लोकतंत्र की नींव है। समय बीतने के साथ, एक विकासशील समाज और आर्थिक विकास में श्रमिकों की बढ़ती जरूरतों, श्रम कल्याण की वैधानिक मान्यता की आवश्यकता अनिवार्य है। हाल ही में पारित श्रम संहिताओं को आर्थिक और सामाजिक संदर्भों के अनुरूप बदलना होगा। भारत में श्रम क़ानून के ढाँचे में पिछले पचहत्तर वर्षों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों की परिणति श्रम पर चार संहिताओं में हुई है। पूँजीपतियों, बड़े उद्यमियों और सरकार के समर्थकों ने इन चार संहिताओं को देश के आर्थिक प्रदर्शन में सुधार के लिए एक बड़ा कदम बताया है। इन संहिताओं से पता चलता है कि भारत अपनी समाजवादी दृष्टि और आदर्शों पर कम जोर देकर पूँजीवादी विचारधारा की ओर बढ़ रहा है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों के सभी वर्गों के कार्यकर्ता हमले की चपेट में आ गए हैं। दुर्भाग्य से, इन संहिताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विरासत में मिले श्रम अधिकारों के दर्शन के पूरे डी.एन.ए. को बदल दिया है। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, भारत को देश के आर्थिक हितों में सामंजस्य स्थापित करते हुए श्रमिकों के उपर्युक्त अधिकारों की रक्षा के लिए इन संहिताओं में उपयुक्त परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वर्तमान चुनौती उन्हीं क़ानूनों की रक्षा करना है जिसके साथ भारतीयों ने श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक कल्याणकारी राज्य की यात्रा शुरू की।

❑

डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल

किसानों का संवैधानिक संघर्ष

सन् 1917 में गाँधी जी ने बिहार के चंपारन में बटाईदारों के शोषण को स्वयं देखा तथा उसे दूर करने का प्रयास किया। इसी प्रकार बारदोली, गुजरात में सरदार पटेल ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। सन् 1922 में चौरी-चौरा, हरदोई, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हिंसक हो गया तथा जमींदारों सहित कई किसान मारे गए। सन् 1946 में बंगाल में तेभागा आंदोलन ने बटाईदारों के अधिकारों को स्थापित करने की आवश्यकता प्रकाश में आई। सन् 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वभारतीय कांग्रेस सभा की आर्थिक कार्यक्रम समिति ने भूमि सुधारों की अनिवार्यता पर जोर दिया। स्वाभावतः स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारतीय संविधान-सभा ने संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय तीन में अनुच्छेद 19(च) और 31 में सम्पत्ति के अधिकार के साथ उसका अपवाद रखा गया ताकि राज्य विधि द्वारा निजी सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सके। इससे राज्य सरकारों का जमींदारों या जागीरदारों या भूमि-स्वामियों की सीमा से अधिक भूमि का जनहित में अधिग्रहण करने का रास्ता साफ हो गया। प्रायः सभी राज्यों ने निश्चित सीमा से अधिक कृषि ज़मीनों को राज्य सरकारों के हाथों में सौंप दिया। इन अधिनियमों को उच्च न्यायालयों की समीक्षा से दूर रखने के लिए तीसरे संविधान संशोधान (1954) करके इन्हें संविधान की नौवी अनुसूची में रख दिया गया तथा इन्हें अनुच्छेद 31क, 31ख द्वारा सम्पत्ति के अधिकार के अपवाद-स्वरूप संरक्षण प्रदान किया गया।

भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही जमींदारों, रिआयतवारों या बड़ी जोत के भूमि मालिकों को रास नहीं आ रही थी। उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी ज़मीनों को बचाने के लिए उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की शरण ली पर उन्हें न्यायालयों से राहत न मिली। न्यायालय ज़मींदारों की चाल समझ गए तथा उन्हें भली-भाँति ज्ञात था कि स्वतंत्रता आंदोलन का यह एक प्रमुख उद्देश्य था कि भूमिहीनों निर्धन, किसानों, बटाईदारों, भागदारों को खेती करने के लिए भूमि प्राप्त हो तथा जो बटाईदार, बर्गादार या भागदार दूसरों की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, उन्हें खेती करने तथा उपज का उपयुक्त अंश प्राप्त करने की सुरक्षा प्राप्त हो। अतः उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल बनाम बेला बनर्जी मुकदमा (ए.आई.आर 1954) में कहा कि सरकार में जमीन विलय का मुआवजा आवश्यक नहीं कि वह सम्पत्ति का बाजार मूल्य हो पर वह भ्रांतिमूलक न हो। यह यथा-स्थिति सन् 1967 तक

चलती रही। तब तक राज्य सरकारों ने लाखों-करोड़ों एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करके भूमिहीनों एवं निर्धन कृषकों में बाँट दी। सन् 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (ए.आई.आर. 1967) मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रूख बदला और कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती और सम्पत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है। इससे भूमि-स्वामियों को बल मिला और वे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अब शासन से अधिक अदालतों की शरण में आ गए। बस, भूमि-सुधारों के कार्यान्वयन में ठहराव आ गया या ब्रेक लग गया।

राज्य सरकारें भूमिहीनों तथा लघु एवं सीमांत किसानों के हितों की अनदेखी करने लगीं। उनमें भूमि सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव हुआ क्योंकि अब अगले चरण के भूमि-सुधारों को लागू करने में बड़ी-बड़ी जोतों के स्वामी राजनेताओं एवं नौकरशाहों के निहित स्वार्थों पर चोट लगने वाली थी। किसानों के स्तर से भी सम्यक् दबाव की कमी थी। वर्ष में एक या दो बार अवश्य किसान नेताओं के नेतृत्व में देशव्यापी जुलूस या विरोध मार्च निकाला जाता, पर उनसे राजनेताओं के वोट-बैंक पर असर नहीं हो पाता फिर किसान भी समाचार-पत्र पढ़ते नहीं हैं। वर्ष 2021 में तीन कृषक कानूनों के विरुद्ध कृषक आंदोलन जैसे आंदोलनों से ही राजनेताओं के कान खड़े होते हैं अन्यथा वे कानों में तेल डालकर पूँजीपतियों एवं उनसे सहानुभूति रखने वाले नौकरशाहों की सलाह पर कृषक विरोधी फैसले लेते रहते हैं।

कम-से-कम भूमि-सुधारों की दिशा में किसानों के हित में तो नौकरशाही निम्न कार्य कर सकती हैं जिनमें किसी के भी स्वार्थ से टकराहट नहीं है और न ही कोई सरकारी दखलंदाजी की संभावना है

(1) राजस्व या भूमि सम्बन्धी विभाग में अपर्याप्त मशीनरी को पर्याप्त करना अर्थात् सरकारी रिक्त स्थानों को भरना तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त योजनाओं में अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति,

(2) कानूनी अड़चनों को आवश्यक विधि-संशोधन एवं प्रक्रिया संशोधन के माध्यम से दूर करना,

(3) भूमि आलेखों को अद्यतन बनाना, आलेखों का कंप्यूटीकरण पूर्ण करना तथा कंप्यूटीकरण के पश्चात् भूमि-आलेखों में भ्रष्टाचार के कारण भूमि-आलेखों में हेर-पेफर को रोकना,

(4) व्यवस्थित समीक्षा, मॉनीटरिंग अर्थात् नियमित निगरानी की व्यवस्था करना,

(5) बिना किसी कारण के ऐच्छिक हस्तान्तरण को रोकना,

(6) परिवार के सदस्यों के नाम आसानी से भूमि का हस्तान्तरण,

(7) अधिकतम जोत सीमा कानूनों में कमियों को दूर करना और जो जोत सीमा से परे ज़मीन सरकार एवं पंचायतों के पास पड़ी है, उसकी भूमिहीनों एवं निर्धन किसानों में तुरंत वितरण की व्यवस्था,

(8) काश्तकारी, बटाईदारी की स्पष्ट परिभाषा करना,

(9) भूमि अधिग्रहण के पश्चात् किसानों एवं भूमि स्वामियों को भूमि अधिग्रहण विधि, 2013 के अंतर्गत शीघ्र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करना एवं जो किसान या भूमि-स्वामी मुआवजे राशि से कृषि ज़मीन खरीदना चाहे, उनकी सहायता करना; एवं

(10) आवास विहीन किसानों को आवास के लिए अल्प भूमि उपलब्ध कराना।

यदि राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त पदक्षेप लिए जाएँ, तभी सन् 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को हटाना एवं उनके स्थान में सम्पत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क द्वारा संवैधानिक अधिकार बनाना न्यायसंगत होगा। केवल संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अध्याय से हटाना केवल कागजी कार्यवाही न हो, उसे वास्तव में ज़मीन पर क्रियान्वित किया जाय ताकि उसकी जड़ों से किसानों की, खेती करने वालों की ज़मीनों में पानी और खाद पहुँचे तथा किसानों की नसों में रक्त का संचार हो। केवल 'अन्नदाता' कहने से किसानों के भूखे पेट नहीं भर सकते, उन्हें वस्तुस्थिति में अपनी खेती, किसानी ज़मीनों पर अधिकार चाहिए ताकि वे अपना एवं अपना परिवार का पेट पाल सके, भरण-पोषण कर सकें।

सन् 1973 में केशवानंद भारती मुकदमा में उच्चतम न्यायालय ने एक क्रांतिकारी निर्णय दिया कि नौवी अनुसूची में सम्मिलित अधिनियम की इस आधार पर न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है कि क्या वह संविधान के मूलभूत ढाँचे का उल्लंघन करता है। अतः उच्चतम न्यायालय में राज्यों के विभिन्न लोक-कल्याणकारी एवं सम्पत्ति विरोधी अधिनियमों की समीक्षा या पुनरवलोकन करने का अधिकार ले लिया। यह भी सत्य है कि 9वीं अनुसूची की संरक्षा का लाभ लेकर राज्य, केंद्र सरकार की सहमति से मनचाहे अधिनियम 9वीं अनुसूची में रखने लगे। पर सभी कुछ खराब नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार की प्रबल राजनैतिक इच्छा शक्ति तथा जनमत को दृष्टिगोचर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जमीदारों के संगठन द्वारा पश्चिम बंगाल के बर्गादारों अर्थात् बटाईदारों को अधिकार देने वाले अधिनियम तथा उनका नाम सरकारी भूमि आलेखों में रिकॉर्ड करने वाली नीति को चुनौती देने वाली याचिका को सन् 1980 में शशांक शेखर माइती (4 एस.सी.सी.) तथा पश्चिम बंग भूमिजीवी संघ मामलों में बर्खास्त करके बर्गादारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया। और कहा कि बर्गादारों या बटाईदारों को काम देने के लिए संरक्षण प्रदान करना लोकहित में है। अतः भूमिजीवी प्रबल राजनैतिक इच्छा-शक्ति एवं शक्तिशाली कृषक संगठन आज भी कृषकों, भूमिहीनों तथा बटाईदारों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं।

हाल ही में एक आजीबोगरीब निर्णय रत्नागिरी इंजीनियरिंग प्रा.लि. (2009, 4 एस.सी. सी.) में उच्चतम न्यायालय ने दिया जो भूमि-सुधारों के विरुद्ध था। पर पश्चिम बंगाल विधान सभा ने इस निर्णय के विपरीत फिर से अधिनियम पारित किया जो आज भी प्रभावी है।

अतः आवश्यकता है कि आजादी की लड़ाई में देश के बहुसंख्यक छोटे, सीमांत किसानों एवं भूमिहीनों के बलिदान को विस्मृत न किया जाय तथा उनकी गरीबी को दृष्टिगोचर रखते हुए, संविधान की उद्देशिका में निहित समाजवादी राज्य की स्थापना तथा सभी को समानता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए फिर से उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करनी होगी अन्यथा कृषकों के असंतोष की ज्वालामुखी नक्सलवादी आंदोलन तथा अन्य आंदोलनों के रूप में समय-समय पर फूटती रहेगी।

❑

विधि भारती परिषद्
राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार

वर्ष 2005 से विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा हिंदी विधि लेखन को बढ़ावा देने के लिए विधि भारती परिषद् ने हिंदी विधि पुस्तकों पर 'राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार' प्रारंभ किए थे। विधि पुस्तकों पर प्रथम पुरस्कार 7,100/- रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5,100/- रुपए, तृतीय पुरस्कार 3,100/- रुपए है।

वर्ष 2022 का राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार पिछले तीन वर्षो अर्थात् 2019, 2020 एवं 2021 में प्रकाशित विधि पुस्तकों पर दिया जाएगा। विधि भारती पुस्तक पुरस्कार का निर्णय एक तीन सदस्यीय पुस्तक पुरस्कार निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा जो अंतिम होगा। पुरस्कार विधि भारती परिषद् के एक भव्य समारोह में प्रदान किए जाएँगे।

विधि भारती परिषद का संक्षिप्त परिचय : विधि भारती की स्थापना 1992 में तथा उसका पंजीकरण 1993 में किया गया। वर्ष 1994 में उसकी त्रैमासिक द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेज़ी) पत्रिका 'महिला विधि भारती' का प्रकाशन आरंभ हुआ। छब्बीस वर्ष की अवधि में उसके 110 अंक प्रकाशित हो चुके हैं और 111 प्रकाशनाधीन है। इस पत्रिका को दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी से सर्वोत्तम संपादन का दो बार पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। परिषद् ने नई सहस्राब्दी के शुभारंभ के समय 'विधि भारती सम्मान' आरंभ किए। विधि भारती सम्मान ऐसे महानुभावों को दिए जाते हैं जिन्होंने जीवन में सर्वोत्तम मानव मूल्यों की स्थापना की हो तथा विधि क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया हो।

पुरस्कार हेतु पुस्तकें भेजने की विधि : राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार के लिए विचारार्थ हिंदी विधि पुस्तक भेजने के इच्छुक लेखक कृपया पुस्तक की तीन प्रतियों के साथ 500/-- रुपए का बैंक ड्राफ़्ट विधि भारती परिषद् के नाम से प्रेषित करें। लेखक पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित एक से अधिक पुस्तकों के लिए प्रविष्ठियाँ भेज सकते हैं। पुरस्कार के विचारार्थ प्राप्त पुस्तकें किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जाएँगी। विधि पुस्तकें भेजने की अंतिम तिथि 22 सितंबर, 2022 होगी।

पुस्तकें भेजने का पता

विधि भारती परिषद्

बी.एच/48 (पूर्वी), शालीमार बाग, दिल्ली-110088

दूरभाष : 45579335 **मोबाइल :** 9899651272, 9899651872

E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com, **Website :** vidhibharatiparishad.in

नीतेश कुमार चतुर्वेदी एवं प्रो. सुदर्शन वर्मा

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कोविड-19 महामारी के समय में मानव अधिकारों के संरक्षण में सरकार

जॉन रॉल्स लिखते हैं कि किसी समाज को तभी समतावादी माना जा सकता है जब वह समानता और एकरूपता के सिद्धांतों पर आधारित हो और वहाँ मानव अधिकारों का का सम्मान तथा प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की जाती है।[1] हमारा वर्तमान सामाजिक ढाँचा सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं से भरा पड़ा है, अनेक ऐसे कारण विद्यमान हैं जिनके चलते समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है तथा इसी कारणवश वर्तमान परिस्थितियों में समावेशी विकास राष्ट्र की एक महती ज़िम्मेदारी एवं अनिवार्यता बन गया है, क्योंकि समावेशी विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है। बाज़ारों एवं संसाधनों के संदर्भ में अवसरों की समानता सुनिश्चित होती है तथा सभी के लिए निष्पक्ष नियामक वातावरण का निर्माण होता है जिसमें व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं तथा व्यवसायियों और व्यक्तियों की उत्पादन क्षमता में सुधार होता है। यह व्यवस्था मूल रूप से अर्थशास्त्रीय मीमांसा पर आधारित होती है क्योंकि माँग के साथ उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन के लिए कार्यबल की आवश्यकता है जोकि एक चक्रीय क्रम है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् श्रमबल की द्वि-स्तरीय व्यवस्था है। भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक देश की कुल कार्यबल का लगभग 93 प्रतिशत है।[2] भारत में असंगठित कामगारों को नौकरी की अनिश्चितता से लेकर ख़तरनाक कामकाजी परिस्थिति तक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मानव अधिकार एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र की उद्देशिका में मानव की मूलभूत अधिकारों को मानवीय प्रतिबिंब के रूप में घोषित किया गया तथा यह स्पष्टतया कहा गया कि मानव के मूलभूत अधिकार उसे किसी भी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, लिंग, समुदाय तथा भाषा इत्यादि के आधार पर विभेद किए बिना किसी भी व्यक्ति को मनुष्य होने के आधार पर प्राप्त है। अतः निश्चित रूप से मानव अधिकार में वे सभी

आवश्यक अधिकार सम्मिलित हैं, जो व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार, मानव अधिकार व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए शस्त्रागार में सुरक्षित एक अस्त्र के रूप में है।[3] मानव अधिकार से ऐसे संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूत है, जो जीवन से संबंधित स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा को समाहित करते हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में स्थान प्राप्त है तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है।[4]

किसी भी राष्ट्र, समाज, संस्था तथा उद्योग ढाँचे को स्थापित करने में श्रमिक वर्ग की अहम भूमिका होती है अर्थात् राष्ट्र निर्माण में श्रमिक वर्ग बहुमूल्य भूमिका का निर्वहन करता है। औद्योगिक अवसंरचना का स्थापित करने में श्रमिकों का मूल योगदान है, अर्थात् श्रमिक वर्ग ही अपने श्रमबल से औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अभिसिंचित कर विकास रूपी फसल से राष्ट्र को आर्थिक व सामाजिक रूप से गतिशील एवं सशक्त बनाता है। संपूर्ण विश्व स्वास्थ्य संकट के साथ-साथ आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी उसी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहा है और भारत के लोग कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहे हैं। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मज़दूर बहुत दबाव में हैं और वे अपने न्यूनतम अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वह नौकरी खो रहे हैं, अपने मूल स्थानों पर वापस लौट रहे हैं। पीएलएफएस के अनुसार अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 80 प्रतिशत लोग किसी मज़दूर संघ या कर्मचारी संगठन के सदस्य नहीं होते हैं।[5] अतः इन वर्गों का राजनैतिक एवं औद्योगिक प्रतिनिधित्व न होने के कारण इन वर्गों के प्रति सरकार तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान उदासीन होते हैं तथा इन वर्गों की मूल मानव अधिकारों के संरक्षण तथा उनकी उन्नयन के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों की परिभाषा

कार्यस्थल के हिस्से के रूप में असंगठित क्षेत्र को पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग, 1966[6] द्वारा परिभाषित किया गया, जो रोज़गार की आकस्मिक प्रकृति, अज्ञानता और निरक्षरता जैसी बाधाओं के कारण एक सामान्य उद्देश्य की ख़ोज में संगठित नहीं हो पाए हैं। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने असंगठित श्रमबल को व्यवसाय, रोज़गार की प्रकृति विशेष रूप से संकटग्रस्त श्रेणियों और सेवा श्रेणियों के संदर्भ में चार समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया --

(क) **प्रथम श्रेणी (व्यवसाय की प्रकृति की शर्तें) :** छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मज़दूर, फसल काटने वाले मछुआरे, पशुपालन में लगी, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, भवन निर्माण श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, बुनकर क़ारीगर, नमक क़ारीगर, ईंट भट्ठा और पत्थरों की ख़दानों में काम करने वाला, आरा मिलों में काम करने वाले, तेल मिलों में काम करने वाले आदि वर्ग इस समूह में शामिल हैं।

(ख) **द्वितीय श्रेणी (रोज़गार की प्रकृति की शर्तें) :** इस समूह में कृषि श्रमिक, बंधुआ मज़दूर, प्रवासी मज़दूर, ठेके पर काम करने वाले और आकस्मिक प्रकृति के श्रमिक शामिल हैं।

(ग) **तृतीय श्रेणी (विशेष रूप से संकटग्रस्त श्रेणी की शर्तें) :** इस समूह में ताड़ी उतारने

वाला, मैला ढोने वाला, सिर पर भार ढोने वाले, पशुचालित परिवहन साधनों के चालक, लोडर और अनलोडर शामिल है।

(ङ) **चतुर्थ श्रेणी (सेवा की शर्तें)** : इस समूह में दाई, घरेलू साथियों, मछुआरे और महिला नाइयों, सब्जी और फल बेचने वाले, फेरी वाले और अख़बार के फेरी वाले आदि शामिल हैं।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत दी गई परिभाषा

असंगठित क्षेत्र[7] : इसका अर्थ व्यक्तियों या स्व-नियोजित कर्मचारियों के स्वामित्व वाला उपकरण है जो उत्पादों की निर्माण या बिक्री या किसी प्रकार की सेवा में लगे हुए और व्यवसाय में सबसे कम कर्मचारी कार्यरत् हैं।

असंगठित श्रमिक[8] : इसका अर्थ है कि एक घर आधारित कार्यकर्ता, स्वतंत्र कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र का वेतन पाने वाला और इसमें एक संगठित क्षेत्र का कार्यकर्ता शामिल है जो इस अधिनियम की अनुसूची 2 के अंतर्गत किसी भी प्रावधान के अधीन नहीं है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के समक्ष समस्याएँ : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपनी नियमित जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है --

1. अधिकतम श्रमिकों के पास उनके कार्यस्थल के निकट रहने का कोई आदर्श स्थान नहीं है।
2. असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को जोख़िम पूर्ण कार्य और व्यवसायिक सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।
3. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ओईवरटाइम का वेतन, सवैतनिक अवकाश या बीमार होने पर अवकाश प्रदान नहीं किया जाता।
4. श्रमिकों को ट्रेड या लेबर यूनियन जैसे विषयों की कोई जानकारी नहीं होती।
5. महिला और बाल श्रमिक असुरक्षित है उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है।
6. अधिकतम श्रमिक अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं।
7. ठेकेदार के कपटपूर्ण कार्य के कारण गुणवत्तापूर्ण रोज़गार का अभाव।
8. कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या।
9. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बहुत कम मज़दूरी।

मूल प्रश्न यह है, कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों को किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक सुरक्षा या अन्य सरकारी लाभ नियमित तौर पर प्राप्त नहीं होता है तथा यह लोग न ही किसी विशेष संगठन या संस्थान अथवा ट्रेड यूनियन के सदस्य बन पाते हैं, क्योंकि रोज़गार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहने के कारण इस वर्ग की श्रमिकों के जीवन में अस्थाई स्थल नहीं होता है। जिसके कारण इस वर्ग की श्रमिकों के बच्चों की उचित शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है अतः यह बच्चे भी असंगठित क्षेत्र में कार्यबल का हिस्सा बन जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यों की प्रकृति भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार

की होती है, तथा ग्रामीण एवं शहरी परिक्षेत्रों में कार्य की प्रकृति और प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न होती है। ग्रामीण क्षेत्र में इसके अंतर्गत वे श्रमिक सम्मिलित हैं जो निम्न प्रकार के कार्य जैसे भूमिहीन खेतिहर मज़दूर, छोटे तथा सीमान्त किसान, बटाईदार, पशु पालन तथा मत्स्य पालन करने वाला, बागवानी करने वाला, मधुमक्खी पालन करने वाला, ताड़ी उतारने वाला तथा जंगल में काम करने वाले इत्यादि। जबकि शहरी क्षेत्र में इसमें क्षेत्र के मज़दूर, बढ़ई, व्यापारी, परिवहन संचार आदि क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिक आते हैं तथा सड़क पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, फेरी वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले, कपड़ा तैयार करने वाले लोग भी सम्मिलित हैं।

कई औद्योगिक इकाईयाँ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कम मज़दूरी देती है क्योंकि उनके पास कार्य करने वाले श्रमिकों की एक लंबी लाइन होती है जिससे इन उद्योग इकाइयों को श्रम लागत कम देना पड़ता है और लाभांश ज़्यादा प्राप्त होता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों के विभिन्न प्रकार की दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कम वेतन तथा श्रम अधिक करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में नियोक्ता तथा कामगार के मध्य किसी भी प्रकार का कोई लिखित समझौता/आश्वासन नहीं होता है। सभी प्रकार के समझौते ज़्यादातर मौखिक होती है वास्तविकता यह है कि ज़िम्मेदारियाँ या काम अगर नियोक्ता के शर्तों के अनुसार नहीं हो तो सारे आश्वासन या करार समाप्त हो जाते हैं और श्रमिक को अपनी नौकरी तथा मज़दूरी दोनों से हाथ धोना पड़ता है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों के उन्नयन हेतु प्रावधान

भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य सभी नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं संपन्न बनाना है जिसमें संगठित एवं असंगठित श्रेत्र के श्रमिक सम्मिलित हैं अर्थात् असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की प्रस्थिति एवं परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए उपाय करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को सशक्त किया गया है। संविधान निर्माण के समय से ही औद्योगिक संघ को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। सूची एक के प्रविष्टि संख्या 81[9] में उल्लिखित विषय पर अकेले केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त है कि वह किस प्रकार से इन विषय पर क़ानून बना सके। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में श्रमिकों के हित के लिए क़ानून बनाने के अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची (समवर्ती) में विभिन्न प्रविष्टियों में जैसे 20[10], 21[11], 22[12], 23[13] एवं 24[14] में उल्लिखित, अर्थात् राज्य एवं केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि श्रमिकों के हित में क़ानून बनाकर उन्हें आर्थिक न्याय प्रदान करें।

भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु अनेकों प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नवत है --

अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार : जीवन के अधिकार से तात्पर्य पशुवत् जीवन से नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है।

अनुच्छेद 23 बलातश्रम पर पूर्ण प्रतिषेध किया गया है, यदि कोई इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह विधि के अनुसार दंडनीय अपराध करता है।

अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारख़ाने, ख़ान, परिसंकटमय नियोजन में नियोजित नहीं करने का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 38 राज्य लोककल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

अनुच्छेद 39-क पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार हो।

अनुच्छेद 39-ए पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 39-ड पुरुष या स्त्री कर्मकार के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोज़गार में ना जाना पड़े जो उसके आय या शक्ति के अनुरूप ना हो।

अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।

अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशा तथा स्त्रियों की प्रसूति सहायता।

अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मज़दूरी।

अनुच्छेद 43-क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना।

अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि।

उपर्युक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि भारतीय संविधान में असंगठित तथा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक, आर्थिक तथा शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

कोविड-19 महामारी का श्रमिकों एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। आकलन के अनुसार वैश्विक आर्थिक उत्पादन में वर्ष 2020 में 3.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। कोविड-19 महामारी ने भारतीयों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा को बहुत हद तक प्रभावित किया है। यह वैश्विक वित्तीय संकट से भी अधिक गंभीर है, शुरुआत से ही कड़े नियमों द्वारा निरूपित लॉकडाउन के कारण नागरिकों की जीवन की रक्षा करना तथा आजीविका सुरक्षित एवं सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 महामारी के कारण सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़ों में भी कमी आई है। कोविड-19 महामारी के समयावधि के मध्य सेवा क्षेत्र, विनिर्माण तथा निर्माण क्षेत्रों को सबसे अधिक नुक़सान उठाना पड़ा है, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.6 और 8.8 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है।

केंद्र सरकार द्वारा असंगठित श्रेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रयास

कोविड-19 महामारी के वजह से राजस्व प्राप्ति में कमी आई है, जन स्वास्थ्य की स्थिति

सुधारने और धीरे-धीरे लॉकडाउन समाप्त होने के साथ ही माँग बढ़ाने के लिए सरकारी उपाय किए गए हैं। सरकार राजकोषीय स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, समावेशी विकास और आकांक्षी भारत के स्तंभ के अंतर्गत, किसानों, ग्रामीणों, प्रवासी तथा अन्य श्रमिकों के भलाई के लिए अनेक क़दम उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बाद उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के अग्रणी भूमिका होगी। वित्त वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक वृद्धि में मूलभूत सामाजिक सुविधाओं में निवेश और इस दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। भारत के असंगठित क्षेत्र में कार्य श्रमिकों को अभूतपूर्व का सामना करना पड़ा। भारत सरकार को एक तरफ़ जन स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याणकारी मुद्दों पर ध्यान देना था तो दूसरी तरफ़ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए संभावित कार्रवाई की गति रूप में कार्य करना था। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने आत्म-निर्भर भारत तथा प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना के अंतर्गत कई आर्थिक पैकेज के माध्यम से राहत के उपाय किए गए हैं --

(क) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर कोविड-19 का प्रभाव के मध्य बेरोज़गारी दर : सामान्य स्थिति के अनुसार, सभी आयु के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर बेरोज़गारी दर वर्ष 2018-19 में मामूली रूप से घटकर 5.8 प्रतिशत रही जो कि वर्ष 2017-18 में 6.1 प्रतिशत थी। बेरोज़गारी दर में गिरावट सभी श्रेणियों में देखी गई। उन लोगों में सबसे अधिक बेरोज़गारी दर है, जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक/तकनीक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शहरी युवाओं (उम्र 15-29 वर्ष) में बेरोज़गारी का स्तर उच्चतम 20.2 प्रतिशत दर्ज किया गया है, और यह 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जिनका शैक्षिक स्तर विभिन्न प्रकार का है के उप-वर्ग निरक्षर के लिए सबसे कम है 1.1 प्रतिशत है। 2018-19 में लगभग 51.8 करोड़ श्रमिक थे, जिसमें से 48.8 करोड़ नियोजित और 3.0 करोड़ बेरोज़गार थे, 2017-18 और 2018-19 के बीच लगभग 0.85 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति देश के श्रमबल में शामिल हुए, इनमें से शहरी क्षेत्रों से 0.46 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों से 0.39 करोड़ थे। इन में लगभग 0.64 करोड़, पुरुष और 0.21 करोड़ महिलाएँ थीं, कार्यबल में लगभग 1.64 करोड़ व्यक्ति और शामिल हुए जिसमें से 1.22 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों और 0.42 करोड़ शहरी क्षेत्रों से थे। इन में 0.92 करोड़ महिलाएँ और 0.72 करोड़ पुरुष थे। (पीएलएफएस, जनवरी-मार्च, 2020 के अनुसार शहरी कार्यक्षमता का 11.2 प्रतिशत) उनका यह महत्त्वपूर्ण अनुपात प्रवासियों का होना माना जाता है, वे लॉकलाडन से प्रभावित होने वाले पहले लोगों में से एक थे।[16]

सीएमआई के मुताबिक जुलाई 2021 महीने में शहरी बेरोज़गारी की दर 8.3 प्रतिशत थी। 25 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह में देश में बेरोज़गारी दर 7.1 प्रतिशत थी, जो बीते 8 सप्ताह में सबसे कम स्तर पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर 6.3 प्रतिशत पर पहुँच गई है। जबकि जून को समाप्त हुए सप्ताह में 9.17 प्रतिशत और मई को समाप्त हुए सप्ताह में 11.90 प्रतिशत था, इस प्रकार बेरोज़गारी दर में बढ़ोत्तरी चिंता का सबब बना हुआ है क्योंकि

इसमें अर्थव्यवस्था, प्रवासी श्रमिक एवं आम जनमानस प्रभावित हो रहा है।[17]

(ख) आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना : नवंबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के एक घटक की घोषणा की गई थी। इस योजना की कुल अनुमानित राशि यानि मज़दूरी माह 31 मई, 2023 तक की अवधि के लिए 22,810 करोड़ है। इस योजना में अक्तूबर 2020 से जून 2021 के दौरान, 1000 कर्मचारियों (यूएएन के साथ इपीएफ सदस्यों का अंशदान) तक को रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ वेतन कर्मचारियों और नियोक्ताओं को कुल 24 प्रतिशत, मज़दूरी में केवल कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान का हिस्सा (12 प्रतिशत) और कोविड-19 के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों का पीएफ बहाल करने का भी प्रस्ताव है।[18]

(ग) प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना : प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना की घोषणा 9 अगस्त, 2016 को की गई थी, जिसमें नए रोज़गार के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ताओं के अंशदान के 8.33 प्रतिशत तथा रुपए 15000 प्रतिमाह तक की मज़दूरी वाले गारमेंट एवं मेड-अप में लगे नए श्रमिकों के नियोक्ताओं को अतिरिक्त 3.67 प्रतिशत अंशदान का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है जिसे बाद में सभी क्षेत्रों के लिए बढ़ाकर दिया गया है और नए कामगारों को तीन वर्षों के लिए कामगारों का पूरा 12 प्रतिशत भुगतान सरकार कर रही है। स्कीम के दायरे को योजना के तहत 1.52 लाख स्थापनाओं के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ दिया गया। स्थापनाओं के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 थी। पात्र उद्यमों में श्रमिकों की औसत हिस्सेदारी 62.6 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई है और पात्र उद्यमों के भीतर ईपीएफ के लिए पात्र श्रमिकों की हिस्सेदारी 32.5 प्रतिशत से बढ़कर 37.5 हो गई है, ये अन्य इस विचार का समर्थ करते हैं कि इस योजना के तहत प्रोत्साहन के साथ पात्र उद्देश्यों में श्रमिकों की औपचारिकता में सुधार हुआ है।[19]

(घ) प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण पैकेज : प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत भवन और निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता दी गई थी, 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने नकद लाभ की घोषणा की है, जोकि प्रतिमाह 1000 से 6000 तक, लगभग 2.0 करोड़ श्रमिकों के लिए कुल 4973.65 करोड़ रुपए है। मार्च, 2020 में पीएम ग़रीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित किए गए पहले उपायों में, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मौजूदा वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए 500 की दो किस्तों में 1000 का हस्तांतरण शामिल है। 2. 82 करोड़ सामाजिक सहायता कार्यक्रम लाभार्थियों को 2814.50 करोड़ की राशि जारी की गई। पीएम जनधन योजना में प्रति महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में तीन माह तक डिजिटल रूप से 500 रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया, जो लगभग 20.64 करोड़ है। तीन महीने के लिए लगभग 8 करोड़ परिवारों की गैस सिलेंडर का मुफ्त वितरण। 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए (जमानत मुक्त) ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की

गई, जिससे 6.85 करोड़ परिवारों को सहायता मिलेगी।[22]

(ङ) **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना :** प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई है, कोविड-19 महामारी के दौर में इस योजना का विस्तार नंवबर 2020 तक के लिए कर दिया गया था, इस योजना पर कुल लागत 1,70,0000 करोड़ रूपए हो गई है। प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना का चौथा चरण आरंभ किया गया है। यह अन्न योजना का 30 नवंबर, 2021 तक विस्तार गया था जिसे अब मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

(च) **मनरेगा के प्रमुख तत्व और उल्लेखनीय उपलब्धियाँ :** राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 को 7 सितंबर, 2005 को पारित किया गया। इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोज़गार प्रदान करना तथा ग्रामीण भारत का विकास, लोगों का पलायन आदि रोकना है। यह अधिनियम प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जो परिवार का सदस्य है, 100 दिन के नियोजन की गारंटी देता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है ग्रामीण भारत के दलित, पिछड़ा एवं आदिवासियों के लिए वरदान साबित हुई है। मनरेगा के लिए वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों की वापसी और साथ ही साथ मानसून के मौसम में अधिक कार्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए लगभग 300 करोड़ मानव दिवस सृजन में सहायता मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में 2020-21 की स्थिति के अनुसार, अब तक कुल 311.92 करोड़ मानव-दिवसों का सृजन किया गया है और कुल 65.09 लाख व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य और 3.28 लाख जल संरक्षण संबंधित कार्य पूर्ण किए गए। मनरेगा के तहत मज़दूरी को 1 अप्रैल, 2020 से 20 रुपए बढ़ा कर, 182 रुपए से 202 रुपए कर दिया गया है। 21.01.2021 तक, 311.92 करोड़ मानव-दिवस उत्पन्न किए गए जो अब तक का सबसे उच्च है। कुल मानव-दिवसों में से, महिलाओं के लिए मानव-दिवस 52.69 प्रतिशत, एससी के लिए 19.9 प्रतिशत और एसटी के लिए 17.8 प्रतिशत है।[21]

(छ) **प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना :** भारत सरकार ने असगंठित क्षेत्र के श्रमिकों का वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन के नाम में असगंठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। इस प्रकार के अन्य व्यवसायों में कार्यरत् क़ामगार हैं, जिनकी मासिक आय 15000-रुपए या इससे कम है और वे 18-40 वर्ष आयु समूह प्रवेश के है। उनकी व्याप्ति नई पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह आयकरदाता न हो।[22] 26 जुलाई, 2021 तक इस पेंषन योजना के अंतर्गत 4,50,9400 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए नामांकन कराया है।[23] यह स्वैच्छिक और अशंदायी पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत अंशदाता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे --

(क) **न्यूनतम निश्चित पेंशन :** प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन के तहत प्रत्येक अंशदाता 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 3000-रुपए की पेंशन प्राप्त करेगा।

(ख) **परिवार पेंशन :** पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवन साथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हक़दार होगा। परिवार पेंशन केवल जीवन साथी के लिए ही लागू है।

(ग) यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है (60 वर्ष की आयु से पहले) तब उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान का भुगतान करने पर या योजना से बाहर या नाम वापस लेने के प्रावधानों के अनुरूप योजना में शामिल होने और बने रहने का हक़दार होगा।

(ज) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची 2 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनका विवरण है[24] --

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
3. जननी सुरक्षा योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
4. हथकरघा बुनकरों की व्यापक कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)
5. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए व्यापक कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)
6. .मास्टर क्राफ्ट व्यक्तियों के पेंशन (वस्त्र मत्रांलय)
7. मछुआरों के कल्याण, प्रशिक्षण और विस्तार की राष्ट्रीय योजना (पशु पालन, दुग्ध एवं मत्स्य पालन विभाग)
8. आम आदमी बीमा योजना (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय)
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

(झ) प्रवासी श्रमिकों के लिए वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना : कोविड-19 महामारी की दो घातक लहरों के बाद बेरोज़गार प्रवासी श्रमिकों के समक्ष खाद्य सुरक्षा और आय सुरक्षा दो प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र के लिए ही 'जीवन बनाम आजीविका' की दुविधा उत्पन्न की है। प्रवासी श्रमिक समाज के उन सबसे कमज़ोर वर्गों में से एक हैं जो इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। यदि कोई श्रमिक किसी दूसरे राज्य में प्रवास या पलायन करता है, तो उसे उस दूसरे राज्य में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होता है, यह योजना सामाजिक न्याय के लिए इस भौगोलिक बाधा को दूर करने और भोजन के अधिकार को सक्षम करने की परिकल्पना करता है।

कोरोना संकट एवं लॉक डाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए उच्चतम न्यायालय ने राहत भरा फ़ैसला सुनाया है, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने कई निर्देश जारी किए, जिसमें केंद्र एवं राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तातंरण एवं अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की अपील की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे वन नेशन वन राषन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करे। उच्चतम

न्यायालय ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए एनआईसी की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का निर्देश भी जारी किया।

निष्कर्ष : विश्व की सबसे बड़ी एवं तेज़ी से प्रगति कर रहा लोकतांत्रिक देश भारत आज एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु यह भी सत्य है कि भारतीय समाज में पिछड़े एवं कमज़ोर वर्ग हमारी वर्तमान विकास की प्रक्रिया से उतने लाभान्वित नहीं हुए हैं जितना की पूँजी पति वर्ग। इस संदर्भ में हमें सामाजिक असमानता की विवेचना एवं विकास की अवधारणा को आपस में जोड़ कर देखना होगा। समावेशी विकास के माध्यम से ही समतामूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और महामारी को समाप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। मई 2020 में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के बराबर 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज की घोषणा की गई थी। बाद में नवंबर 2020 तक कुल 29.88 लाख करोड़ की अतिरिक्त सहायता की घोषणाएँ की गईं। इसमें से 4.31 लाख करोड़ का प्रावधान सामाजिक क्षेत्रों के लिए किया गया था, जिसमें (कोविड-19 सुरक्षा के लिए अनुदान सहित), क़ामग़ारों और नियोक्ताओं, पटरी पर सामान बेचने वालों, मनरेगा के कामगार आदि शामिल हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतवर्ष की सकल घरेलू उत्पाद के विकास दर में मामूली सुधार दिख रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार में सुधार जारी है जैसा कि बिजली के माँग, इस्पात की खपत, ईवे बिल संग्रहण, तेज़ उतार चढ़ाव वाले संकेतों के में निरंतर बढ़ोतरी के रूप में प्रदर्शित हुआ है।

❑

संदर्भ

1. योजना, अगस्त 2015 पृ. 32
2. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2019 Available at https://www.indiabudget.gov.in/budget2019-20/economicsurvey visited on July 28, 2021.
3. एस.के. कपूर, मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि, सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रथम संस्करण, 2015 पृ. 658
4. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(घ) के अनुसार
5. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2019 Available at https://www.indiabudget.gov.in/budget2019-20/economicsurvey visited on July 28, 2021.
6. असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के धारा 2(l)
7. असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के धारा 2(m)
8. 7वीं अनूसूची, संघ सूची, प्रविष्टि संख्या 81-अंतर राज्य प्रवास एवं अंतर राज्य अवरोध
9. 7वीं अनूसूची, समवर्ती सूची, प्रविष्टि संख्या 20-आर्थिक और सामाजिक योजना

10. 7वीं अनूसूची, समवर्ती सूची, प्रविष्टि संख्या 21-वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास
11. 7वीं अनूसूची,समवर्ती सूची, प्रविष्टि संख्या 22-ट्रेड यूनियनों, आद्यौगिक और श्रम विवाद
12. 7वीं अनूसूची, समवर्ती सूची, प्रविष्टि संख्या 23-सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा नियोजन और बेकारी
13. 7वीं अनूसूची के समवर्ती सूची, प्रविष्टि संख्या 24-श्रम के कल्याण श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएँ, भविष्य निधि, नियोजन का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएँ हैं।
14. Availble at https://tradingeconomics.com/india/gdp-growth-annual visited on July 25, 2021
15. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2020-21 Available at https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey
16. Available at https://unemploymentinindia.cmie.com
17. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2020-21 Available at https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey
18. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2020-21 Available at https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey
19. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2020-21 Available at https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey
20. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2020-21 Available at https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey
21. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2020-21 Available at https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey
22. श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, पृ. 78 Available at https://labour.gov.in/pm-sym
23. Available at https://labour.gov.in/pm-sym
24. श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, पृ. 74 Available at https://labour.gov.in/annual-reports

‘‘किसी भी राष्ट्र का विनाश करने के लिए उस देश की सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रहार कर उसे नष्ट कर दीजिए वह देश स्वयं ही समाप्त हो जाएगा।’’

-- चाणक्य

Dr. Jyoti Diwakar

Women Rights in India : A Myth or Reality

"There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved, and it is not possible for a bird to fly on only one wing."

-- ***Swami Vivekananda***

Century by century there is tremendous change in the status of women. They have entered every field of activity. They had mostly ventured to become teachers or nurses. Very few ladies had joined other jobs or professions in India. Today, one can find women in every conceivable job.[1] they are doctors, engineers, scientists, pilots, drivers, conductors, chartered accountants, bank officers, insurance agents, police officers, army officers, film directors, ministers, fashion designers and what not. In army they have shown physical strength and endurance in sub freezing temperatures, heights of hills, deserts and hot tropics. Whenever the discussion of women's rights then go to the women empowerment. But where is women empowerment? Women[2] empowerment is not a new concept it is quite a well known concept round the globe.

Women Empowerment" is a burning issue and always important topic all over the world. Women empowerment is the way to country's development[3]. Women empowerment means emancipation of women from the vicious grips of social, economical, political, caste and gender-based discrimination. It means granting women the freedom to make life choices. Women empowerment does not mean 'deifying women' rather it means replacing patriarchy with parity. In this regard, there are various facets of women empowerment, such as given hereunder: Human Rights or Individual Rights: A[4] woman is a being with senses, imagination and thoughts; she should be able to express them freely. Individual empowerment means to have the self-confidence to articulate and assert the power to negotiate and decide. Our first Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru, once said, "You can tell the state of a nation by looking at the status of the women there".

There is a need to discuss the rights of the women separately as women represent more than half the populations of India, The women in India very often have to face sexual crime, discrimination, injustice. Though women in India have been given more rights and several laws making for against exploitation as

compared to men, even then the condition of women in India is miserable. The paper throw light on the human rights of women in India The[5] constitution of India guarantees the equality of rights of men and women. However, in the sphere of women's human rights in India, there exists a wide gulf between theory and practice. Indian society is a male dominated society where men are always assumed to be superior to society. Fundamental rights given to the women are being violated in India, by focusing on the various crimes done against them. The constitution of India has granted equal rights to the men and women. it can also said that it is the landmark steps of making empowerment that is According to article 14 – "The State shall not deny to any person equality before law or the equal protection of laws within the territory of India"[6]. And Article 15 states – "State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them"[7], But today, it seems that there is a wide gulf between theory and practice. She would like that a Uniform Civil Code (in other words, a uniform family-law code) in pursuance of Article 44 of the Constitution be enacted on priority to ensure justice and equality, dignity and self-esteem to women. Denying women equality in personal laws is cruel. One cannot wait indefinitely for the approval of religious leaders. She says that even in Pakistan[8] and Bangladesh reforms have taken place. Yet she is discriminated and violated in every sphere of her life. Only women are a prey to crimes such as rape, dowry, bride burning, sexual harassment, selling and importation, prostitution and trafficking etc. Have you heard the men as a victim to all these crimes? The answer is "NO".

"We cannot all succeed if half of this is held back."

— Malala Yousafzai

Different forms of women exploitations are present our society. Exploitation of women are various forms and different natures. It include crimes involving sexual exploitation for economic gains like prostitution & trafficking, adultery, abduction, rape, wrongful confinement, and murder etc on the one hand and crimes related to women's property like dishonest misappropriation, criminal breach of trust, domestic violence, dowry extortion and outraging the modesty of women etc on the other. These crimes are not only injurious and immoral[9] for the women but for the society as a whole. Domestic Violence: In Indian family the man is the master and women is the inferior and subordinate partner and societal pressure force women to maintain this status quo. Wife beating is the most prevalent form of violence against women in the Indian society and it is viewed as a general problem of domestic discord. **Female Infanticide and Feticide** : This is playing a significant role in lop sided sex ratio in India. Poor families in certain regions of the country sometimes resort to killing baby girls at birth, to avoid an unwanted burden on family resources. Sex selective abortion has also been common in the country. It's dangerous to abort the foetus after 18 weeks of pregnancy and quiet harmful for mother too at such a late stage. Dowry: **The Dowry Prohibition Act of 1961** marks the first attempt by the Government of India to recognize dowry as a social evil and to curb its

practice. The act was modified with the Dowry Prohibition Amendment Act of 1984, which has again been modified with Dowry Prohibition Bill 1986. Women's organization have played key role in this process of change. The 1961 [10]Act define dowry and makes the practice of dowry- giving and taking, a punishable offence. Dowry is one of those social evils that no educated woman will own up with pride; still many are adhering to it. Practices of dowry tend to subordinate women in the society. Recent news of Gang Rape in New Delhi: 23 Year Old Woman was raped by 6 people in a Moving Bus in New Delhi in December, 2012. The girl was hospitalized for several days and was also taken to Singapore for advanced Treatment. The most recent case, 3 year old girl was raped by his school bus driver. There are several laws for preventing crime against women. The women in India have always been considered subordinate to men. Though the articles contained in the constitution mandates equality and non – discrimination on the grounds of sex, women is always discriminated and dishonored in Indian society. Although various efforts have been taken to improve the status of women in India, the constitutional dream of gender equality is miles away from becoming a reality. Though, Human Rights are the minimum rights which are compulsorily obtainable by every individual as he/she is a member of human society[11]. But it has been found that each and every right of the women is being violated in one or another way. The crimes against women in India are increasing at a very fast pace. India has been an independent nation for more than 75 years. Each citizen of this country is entitled to their fundamental rights. That's what the Indian Constitution says. Be that as it may, can we honestly say that India's women are enjoying equal rights, equal opportunities and equal freedom? Delay in the legal process is found to be a major cause of dissatisfaction, which had a particularly negative impact upon the victims it may be concluded that delay will impact more[12] on those victims who are not kept informed of the progress of the investigation. Loopholes in the legal structure Although there are a number of laws for women to protect women against all sorts of violence yet there has been the significant increase in the episodes of rapes, extortions, acid, attacks etc. This is due to delay in legal procedures and the presence of several loopholes in the functioning of a judicial system[13].

> There is no tool for development more effective than the empowerment of women."
>
> ***—Kofi Annan***

The article clearly says that there are still barriers that need to be broken, even after 75yrs of independence. I agree that women still need freedom to live and express their ideas in her family. There are several laws are made and some laws are making in process, but why these laws is unable to protect girl child and women against crime? Our laws are very flexible any person who commit crime and they release with the help of our laws. The irony is that today, everybody talks about women empowerment but the crude realty is that nobody is willing to take initiative for that as our society is a male-dominant society as

males have framed all rules of our Indian society according to their own convenience, so they are in no way ready to sacrifice their special privileges as per[14] the contemporary scenario is concerned. According to Indian philosophy, women in every stage of life need to be protected by someone and she owes her obligation towards her father in childhood, brother in adolescent age, husband in youth and son in old age. The notion behind this is good, but it is alarming that in implementation of the same notion, the persons who are supposed to take care of women actually exploit them in one way or the other. The case of domestic violence, denial of good quality food, clothes and education to girl child is direct consequence of the above mentioned ill-practice of our society. In short, women are the victims of a whole plethora of violence committed against them such as torture, rape, molestation, battering, trafficking, forced prostitution, forced marriage, dowry death, and custodial violence and so on .73rd and 74th Constitutional Amendment to the Indian Constitution in 1993, provides for reservation of women in local bodies such as Panchayats and Municipalities, but it reality it has not worked as an effective tool because in reality it is not the elected women who takes decision on her own, but it is their husband or brother or father who still remain the real decision maker they called as sarpunch pati, vidhayak pati. As a result of this, even if a woman is elected to a local body, she still remains a puppet of her husband and works at her mercy. Even more astonishing is that, even though in Hindu Succession Act, 1956, there is provision for inheritance of ancestral property for women, but in reality ancestral property is most of the time inherited by male child only keeping women still at the mercy of males and far away from the state of empowerment.

Conclusion

At last I conclude that Women Empowerment is power of women is yet have been not awake and not fulfill the requirements of Empowerment, making women educationally and financially independent which has not been achieved till today as women are marginalized in socially, economic and political participation, denied access to education and quality nutrition etc which is an unequivocal proof of empower less state of women in our country.

❑

References

1. http://www.shareyouressays.com/2890/1409-words-essay-on-women-equality%E2%80%94a-myth-or-reality
2. www.iaspaper.net/women-empowerment-in-india/
3. http://www.importantindia.com/19050/essay-on-women-empowerment/
4. www.iaspaper.net/women-empowerment-in-india/4
5. http://www.shareyouressays.com/2890/1409-words-essay-on-women-equality%E2%80%94a-myth-or-reality
6. Constitution of India article, 14

7. Constitution of India article, 15
8. http://www.womenworld-wide.com/2015/06/women-rights-in-india-is-myth-or.html
9. http://www.tribuneindia.com/news/spectrum/books/equality-for-women-a-reality-or-myth/43680.html
10. http://www.womenworld-wide.com/2015/06/women-rights-in-india-is-myth-or.html
11. http://www.athenastake.com/142
12. http://www.drcc.ie/wp-content/uploads/2011/03/rapevic.pdf10
13. www.iaspaper.net/women-empowerment-in-india/
14. indiastand.com/articles/women-empowerment-a-myth/

A. Report

Clean Chit to Shri Narendra Modi in 2002 riots case

On 24th July, 2022, a Supreme Court bench headed by Justice AM Khanwilkar and comprising Justices Dinesh Maheshwari and CT Ravikumar, dismissed the appeal filed by Zakia Jafri holding that iti is "devoid of merits and deserved to be dismissed" and upheld the Special Investigation Team's (SIT) clean chit to then Gujarat chief minister Narendra Modi and 63 others in the 2002 riots in the state.

The Congress leader and former MP Ehsan Jafri was among the 68 people killed at Ahmedabad's Gulberg Society during violence on February 28, 2002, a day after the Godhra train burning. Zakia Jafri had challenged the SIT's clean chit to 64 people, including Modi who was Gujarat chief minister in 2002.

Her petition had challenged the high court's October 5, 2017 order rejecting her plea against the SIT decision.

Her counsel had earlier said her complaint of 2006 was that there was "a larger conspiracy where there was bureaucratic inaction, police complicity, hate speeches and unleashing of violence".

On February 8, 2012, the SIT filed a closure report giving a clean chit to now Prime Minister Modi and 63 others, including senior government officials, saying there was "no prosecutable evidence"

However, it had partly allowed her petition as far as its demand for a further investigation was concerned, saying she can approach an appropriate forum, including the magistrate's court, a division bench of the high court, or the Supreme Court seeking further investigation.,,,,

❑

Dr. Madhu Bala and Dr. Raj Kumar Yadav

Juridical and Constitutional Aspects on Criminalization of Marital Rape in India

Marriage is a sacred bond between husband and wife. It is based on the mutual understanding and trust of the partners. It is necessary for both spouses to respect the emotions of each other. Sexual obligation is also a prerequisite in marital relations. But sometimes, one spouse forces the other spouse into sexual relations without her consent. In a legal sense, it is called marital rape. Nowadays, there is a controversy regarding criminalization of marital rape. One view is that rape is a rape, whether it is committed by an unknown or by a husband against a wife. Another view is that marital rape should not be criminalized as there are social, legal and economic obligations. No doubt, women face and bear the sexual violence. Still, to criminalize marital rape there is a need for thorough consideration of all factors which bridge the gap between marital obligations and sexual violence. The factors which lead to sexual violence against women are drunkenness, abusive behaviour, and psychological issues. Indian Penal Code, 1860penalises rape under Sections 375 A, 375 AB, 375 C, 375 D, 375 DA, 375 DB, 375 E. Exception 2 to Section 375 of the Indian Penal Code criminalized the marital rape if the wife is below eighteen years. Hence, it is very important to mention here that rape is rape whether it is committed below or above eighteen years' wives without her consent. This is a violation of right to equality and equal protection of laws, right to life, dignity and privacy of the women. Hence, marriage is not an unconditional licence for the husband to have sexual intercourse against the wife's will. Although, Domestic Violence Act, 2005 mentions sexual abuse it did not explicitly mention about criminalization of marital rape. Hence, it is necessary to to protect the life and the dignity of women to criminalize marital rape. Moreover, women should be treated as a human being rather being treated as an object.

Keywords: Marital rape, criminalization, sexual violence.

Introduction

Marriage is a popular everlasting bond that binds the women and men in socially-identified reproductive devices. Even as solid-breeding bonds are discovered in several taxa, human marriages have wide importance past reproduction. Marriage is a fundamental cornerstone of human monetary, social,

and kinship networks. Marriage recognizes the felony courting between husband and wife. It's miles based totally on sexual and emotional bonds between two spouses. It offers a company base for developing society and civilization. Marriage is a mutual agreement between two men and women who alternate vows earlier than a holy hearth at some point of their marriage ceremony. They swear earlier than the holy fire that they will live together and help each other through their lives. While two persons of the alternative sex are added collectively after doing some social or civil ceremonies is called marriage. It is the conciliation of now not handiest our bodies but two souls also. It exists to carry a person and a woman together as husband and wife and be parents to any children their union produces.[1]

Cohabitation or sexual relations between both spouses is a prerequisite for marriage. Marriage is an institution that fulfils both partners' biological, social, and economic obligations to raise a family. But unfortunately, today. The scenario has changed toward biological needs as one spouse commits sexual violence against the other. After marriage, many husbands do not have the consent of their wives. It forced sexual relations and caused sexual violence against women, commonly referred to as spouse rape. When you say rape, you think of strangers, malicious people. People usually don't think of rape in the context of marriage. It is hard to believe that the woman herself can rape her husband. After all, how can a man be accused of rape if he exercises the couple's rights? It shows that her woman has no right to her body and her will follows her husband's will. Spouse rape is the most common and sneaky form of masochism in Indian society, but it is often hidden behind the Iron Curtain of marriage. Although there are various legal definitions, spouse rape can be defined as violence, a threat of violence or unwanted sexual intercourse or insertion (vaginal, anal, or oral) obtained if the spouse disagrees. Despite the prevalence of spousal rape, this issue has received relatively little attention from social scientists, practitioners, the criminal justice system, and the wider community.[2]

Meaning of word Rape

Rape comes from "rapio," which means "grab." Therefore, rape is the forced seizure or rape by force, fear, or deception without the woman's consent. It involves compulsory and non-consensual sexual intercourse with women. Rape can be seen as a violent act against women's privacy anyway. It is the ultimate violation of a woman's self. The Supreme Court of India properly describes it as an everlasting shame and a serious crime against human dignity. Rape is not just a physical attack; it destroys the entire character of the victim.[3]

The heinous crime of Rape has been discussed in section 375 of the Indian Penal Code, 1860. Section 375 of the Indian Penal Code defines rape as sexual intercourse with a woman against her will, without her consent, by coercion, misrepresentation, or fraud, or at a time when she has been intoxicated or duped or is of unsound mental health and in any case if she is under 18 years of age.

However, exception 2 of this Section doesn't criminalize forced sex when the lady is married to the man unless she is less than 15 years of age. The 172nd Law Commission report has also stated that the clause decriminalizing marital rape should be deleted from section 375 of the Indian Penal Code, 1860.[4]

Incidents of rape since ages surrounded by silence

The social problem of marital rape, though kept silent, has been widespread in our society for centuries. Marital rape is an exception to rape crime. The history of this exception can be traced back to the Upanishads and common practices. Education in the male segment of society gives us the legitimacy of existing law. In many areas, especially in the countryside, they have been taught domination over women from an early age. Women's positions have always been represented as enslaved people, immovable, or property. The outbreak of this treatment can be traced back to the Mahabharata era when Draupadi was bet by their "husband" in a game of dice. The dominant nature is unique to these men from the beginning. The marriage they see is a sex license. They are always taught that married women should be pure and pious, regardless of how they look at themselves in the mirror. Chastity is the most important characteristic to consider. Whether the mother is a woman or not, they spread their possessive tentacles around their son. He is even taught not to hesitate to test his soulmate's virginity on his first night, even if the girl is reluctant. This has long been a habit, as white bed sheets are used to test their piety. Traces of this liberation can also be traced back to the orthodox beliefs of our society.[5]

The social problem of marital rape has been prevalent in our society for ages, though silence has been maintained around it. Marital rape is an exemption to the offense of rape. The history of this exception can be traced back to the Upanishads and the customs prevailing. The upbringing of the male segment of the society, in a way, gives us the justification for the existing laws. In many areas, especially rural ones, they are taught about their dominance over women from childhood. The position of women has always been shown as enslaved people, achattel, or property. An incidence of this treatment can be reverted to the times of Mahabharata, where Draupadi was gambled off in a game of dice by her „husbands. The dominant nature is inbuilt in these men from the very beginning. The image depicted in their eyes regarding marriage is the license to have sex. They are always taught that the women they marry should be pure and pious, regardless of what they see themselves in the mirror. Chastity is the most crucial feature considered. Regardless of their mothers being women, they spread the tentacles of possessiveness all around their sons. He is even taught that he should not hesitate on his first night to test the virginityof his soul-mate, even if the girl hesitates. This has been prevailing as a custom for a long time, as a white bed sheet is used to test her piousness. Traces of this liberation can also be traced back to the orthodox beliefs of our society. Upanishad also stipulates that a husband is free to force sex with his wife. She is expected to obtain permanent implicit consent to her sexual relationship with her husband at marriage but is

subsequently revoked. It will not be. Therefore, such assumptions about men, women, and their marriage and sexual life implicitly agreed with the validity of the marital rape exception. According to Manus Military, if a wife refuses to have sex with her husband, she is not considered an ideal wife. The doctrine of marital rape as an exception also owes its existence to the concept of irreversible implicit consent. According to this concept, when a woman marries a man, she has implicit permission to have sex, which is irreversible.[6]

India's culture/society is perhaps the only country where husbands enjoy divine status; The idea of a patiparmeshwar (literally, "husband god") manifests unequally in the dynamic between husband and wife. As part of this Indian culture, women accept and endure their husband's abusive behavior with great resignation. India boasts one of the lowest divorce rates in the world. A divorce is an option mainly for women who are financially independent or who have family support. However, research shows that marital rape often has serious and long-lasting consequences for women. The physical effects of marital rape can include damage to private organs, pain, bruising, muscle tearing, fatigue, and vomiting. Women raped by their husbands may experience other physical consequences, including broken bones, black eyes, nosebleeds, and stab wounds. Specific consequences of marital rape include miscarriage, stillbirth, bladder infections, infertility, and the potential for sexually transmitted diseases, including HIV. Women raped by an intimate partner are likely to suffer serious psychological consequences. Some of the short-term effects of marital rape include anxiety, shock, intense fear, depression, suicidal ideation, and post-traumatic stress. Long-term effects often include eating disorders, trouble sleeping, depression, and trust-building problems.[7]

The surreal stories of class and crime in UP would be incomplete without telling the story of the Queen of Bandits. Understanding how the teenager Phoolan Devi turned into a dacoit is necessary. Born into a family of lower class Nishad or Mallah in the Jalaun district of Uttar Pradesh, Phoolan Devi had a difficult childhood, frequently finding herself in situations where she and her parents had to submit to the upper-class Thakurs in their village. One of the earliest incidents in his life reflects the immense sense of pride that Phoolan had even at a young age. Phoolan's uncle tricked his family into losing their inheritance - a piece of land - and young Phoolan fought a fiery battle to reclaim his family's rights from his uncle. During this argument, he repeatedly insulted and abused her. Phoolan Devi's temper was also unpopular with the so-called shooters in the area. The poor Nishad family was warned and threatened by the Thakurs that dominated the area that Phoolan was a threat to the village system. Under those circumstances, eleven-year-old Phoolan married a man three times her age, bringing her childhood to an abrupt end. The decisive test for Phoolan Devi and Vikram Mallah came from two Thakur dacoits, Sri Ram Singh and Lala Ram Singh, who were in prison at the time Babu Gujjar was killed and who had escaped from the prison before eventually joining the gang led by two Nishads, Vikram Mallah and Phoolan

Devi, only to betray them later. In a direct showdown with Vikram Mallah's power in the gang, Sri Ram Singh and Lala Ram Singh killed him while he was sleeping and kidnapped Phoolan Devi. She was taken to the village of Behmai, less than 100 kilometers from Kanpur, where she was allegedly tortured, assaulted, and raped by men from Thakur for three weeks. Phoolan Devi has never been subjected to such intense violence and torture. Her torture could have continued if it weren't for some members of her gang, who were once loyal to their lover Vikram Mallah, to help her.[8]

In case of**Rahul v. the State of U.P**. [9]The Allahabad High Court recently denied anticipatory bail to a man who has been accused of, among other things, committing unnatural sex with his wife without her consent."The Bench of Justice Saurabh Shyam Shamshery denied pre-arrest bail to one Rahul, noting severe allegations against him of assaulting his wife, cruelty upon her wife about demanding dowry, and unnatural sex with her wife without her consent. The Accused has been booked under Sections 498A, 323, 504, 506, 377 IPC read with Section 3/4 D.P. Act over the allegation regarding committing unnatural sex with his wife and demanding dowry.

Constitutional and juridical aspects on marital rape

Marital rape is the rape of one spouse against the other. Whether sex with a woman without consent would be considered rape or rape by a male spouse would be non-consensual sex. with a woman, not a rape. Indian law does not criminalize marital rape. It also raises the question of why it's not rape. Although it cannot be criminalized under Section 375 of the Indian Penal Code, it is a controversial issue. Under India's penal code, marital rape is prohibited if the woman is under fifteen. Indian society's view of marital rape is illustrated in this example when a woman confided in her parents that her husband sexually abused her. He forced her to have rough sex with her. He; In one case, she was criticized for not bringing out the best in the marriage. The court, in one case, said: "The defense has rightly argued that the Indian Penal Code, 1860 does not recognize the concept rape in marriage. If the complainant is the defendant's legally married wife, then the defendant's sexual intercourse with her will not constitute rape, whether forced or against her will.[10]

When we look at the Indian constitution, we see that Article 14 provides for women's equality before the law, or it can be said that all are equal before the law. Article 15(i) obliges the state not to discriminate against any citizen because of religion, race, caste, sex, place of birth, etc. Equal treatment before the law is not guaranteed for victims of marital rape. Section 375 of the Indian Penal Code of 1860 discriminates against a woman when it protects her from rape.Article 21 of the Indian Constitution guarantees the Right to live with dignity. But marital rape violates a married woman's Right to live with dignity or in other words, we can say that Article 375 of the Indian Penal Code, 1860 violates Article 21 of the constitution regarding the crime of marital rape. Today, many states have enacted

marital rape laws, abolished the marital rape exception, or have laws that do not distinguish between marital rape and common rape. These states include Albania, Algeria, Australia, Belgium, Canada, China, Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Mauritania, New Zealand, Norway, Philippines, Scotland, South Africa, Sweden, Taiwan, Tunisia. United Kingdom, United States and more recently Indonesia. Turkey criminalized marital rape in 2005, and Mauritius and Thailand did so in 2007. The criminalization of marital rape in these countries both in Asia and globally shows that marital rape is now considered a violation of human rights. As of 2006, it was estimated that marital rape is punishable by criminal law in at least 100 countries, and India is not one of them. Although marital rape is common in India, it hides behind the sacred veil of marriage.[11]

There is no doubt that the Hindu religion and marriage allow women the right to have sex in India. However, Hinduism and its literature emphasize purity, purity, and good conduct in conjugal life; It cannot be said that the religion and tradition of the Hindus have exempted them from the heinous act of raping a woman. Sex in married life is normal behavior based on consent. No religion can be considered legal because a good religion aims at not causing hatred or loss to anyone.Severe punishment for rape. The report suggested that sexual intercourse between a man and his wife not younger than 16 did not constitute sexual assault. Nor did the Committee support the removal of the exception for 375. The Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 only creates a civil remedy for marital rape without criminalizing it.[12]

The criminalization of marital rape is an age-old need for the women's movement in India. The Verma Judiciary Committee report also recommended criminalizing rape in marriages following the Nirbhaya gang-rape case. This report reiterates that marital rape is rooted in an outdated concept of marriage that views the wife as the husband's property. It removes coverture customary law, whereby a wife is deemed to have consented at the time of marriage to have sex with her husband to his liking, and this consent cannot be revoked at any time. Any after marriage. The Committee has suggested that the existence of a relationship is not a valid defense against sexual violence. However, this recommendation was ignored and rejected by the government, which selectively and arbitrarily selected several proposals instead of applying them as a whole to address rape cases. Erotic. This patchwork and incomplete application of a multidisciplinary approach completely negate the accessibility of victims of sexual violence. Indeed, since independence, successive governments have abandoned touching the institution of marriage.Based on the absurd logic that criminalizing rape in marriage "will destroy the institution of the family, destroy the sanctity of the family" and "will be used by women as a weapon to torture male members," the state violated the constitutional right to a decent life, of married women. The 2013 Penal Code Amendment does not recognize marital rape as a crime unless the wife is under 16 years of age and sexually assaulted or raped during the separation of husband

and wife. The state argued that the Organization for the Protection of Women from Domestic Violence in 2005 provided remedial measures beyond the provisions of the criminal law. Although recently, under pressure from male groups, measures have been taken to reduce the existing criminal law provision under Section 498 A of the Indian Penal Code, which criminalizes cruelty to married women. However, this approach does not suggest that any individual law, criminal or civil, allows a wife to seek criminal action against a husband who repeatedly sexually assaulted her in the past—a long time.[13]

The Law Commission's 42nd Report, 1971 "The Law Commission of India in its 42nd Report recommended the need to exclude rape in marriage as an exemption from marriage." outlined in Section 375 by proposing to add Section 376A, criminalizing sex with a female child. Although not the accepted case, this is the first time this topic has been discussed. The report results from a petition by "Sakshi", an organization concerned with women's issues; he went to the Supreme Court of India for guidance on the definition of the term "sex" as contained in Section 375 of the Indian Penal Code, 1860. By January 13, 1998, the Supreme Court asked the Judiciary Committee to present its response to the issues raised in the above-written petition. This report focuses on the need to review rape laws in n increase the shadow of incarcerated rape cases and crimes of sexual abuse against young men and women.[1414] Available on http:// 14.139.58.147 :8080/jspui/bitstream/12 3456789/5453/1/Smriti% 20Sharma% 2065.pdf visited on 30 May, 2022.

As many provisions have been inserted regarding sexual violence in Indian Penal Code, 1860, similarly The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (from now on referred to as DVA) contains provisions regarding the same. The DVA was passed in 2005 to protect married women from "Domestic Violence" at the hands of the husband and his relatives. One of the most exciting things about this Act is that it is only a civil remedy. Under this, the woman can get protection from her husband, retaining all her rights. Section 36 of the Act defines what constitutes domestic violence: (a)harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse, and economic abuse (ii) 'sexual abuse' includes any conduct of a sexual nature that abuses, humiliates, degrades or otherwise violates the dignity of woman; Section 3 of the DVA recognizes an act of causing harm, injury, anything endangered health, life, etc. including any mental, physical, and sexual abuse. But it grants protection only if there is an apprehension of life-threatening danger. The Government considers marriage sacrosanct, but despite being sacred, a woman in an individual status doesn't need to concede to every physical overture even though her husband inflicts it. Other benefits of DVA to the suffering wife (women) are: Sec 18 gives power to the Magistrate may, after giving the aggrieved person(wife) and the respondent (husband or his relative) an opportunity of being heard and on being

prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of the aggrieved wife. Sec 17 and 19 give the Right to reside in a shared household to the aggrieved wife and give the Magistrate the power to pass a residence order in favor of the aggrieved wife. This also provides that in some instances, the husband may need to make separate arrangements for his wife if the circumstances so require. These provisions restrict the husband and his relatives from entering that part of the shared household. Section 20 provides for Monetary relief. Under this, the Magistrate may direct the husband to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the wife as a result of the domestic violence. Sec 22 Compensation orders: In addition to other reliefs as may be granted under this Act, the Magistrate may, on an application being made by the aggrieved person, pass an order directing the husband to pay compensation and damages for the injuries, including mental torture and emotional distress, caused by the acts of domestic violence committed by him on the wife. The domestic violence law affords women twin reliefs: the benefit of staying in a shared household while at the same time seeking relief from the sexual advances of her husband or live-in partner. This may appear to be a contradiction, but then, the term marital rape itself is at first blush an oxymoron. Regarding sexual abuse faced by the wife, this law has turned out to be a disappointment. It has provided civil remedies to what the provision of cruelty already gave criminal remedies while keeping the status of the matter of marital rape in continuing disregard.[15]

In **Maneka Gandhi v. Union of India**[16], Article 21 was beautifully explained by the Apex Court. It was laid down that the Right to life does not mean a mere animal-like existence. It encompasses a life with dignity. In **Francis Coralie Mullin v. Union Territory of Delhi**[17], the Court further highlighted the idea of the Right to life under Article 21 of the Constitution. It incorporates the Right to live with human dignity and everything that accompanies it, like the minimum essentials of life, for instance, adequate nutrition, clothing and shelter over the head, and freely moving about. The Right to live with dignity is the most remarkable component of the Right to life. In the cases of rape, the offence is committed not only against the body but against the life with dignity also. In The C**hairman, Railway Board v. Chandrima Das**,[18], the Supreme Court observed that rape is not merely an offense under the IPC but a crime against the entire society. In **Bodhisattwa Gautam v. Subhra Chakraborty,**[19] the Court held that the marital rape exemption violates the spouse's entitlement to live with human dignity. Any law that blemishes the entitlement to live with dignity and gives the spouse to force the wife to have sexual intercourse against her will is unlawful. In the case of State **of Maharashtra v. Madhukar Narayan**,[20], the Court endowed every woman a right to enjoy her sexual privacy. It prevented it from being violated by any person. Without being extended to the Right to privacy inside a marriage, this

Right would also be rendered meaningless. Relying, amongst others, on **Sucheta Srivastav v. Chandigarh Administration**[21] and **Smt. Selvi v. State of Karnataka**[22], the Court in the Right to Privacy judgment asserted that the Right to bodily integrity and to make reproductive choices comes under the ambit of Article 21 of the Constitution. The Court holds that rape, a heinous crime, violates the Right to bodily integrity and affects the survivor's right to make reproductive choices. Non-criminalization of Marital Rape is contrary to the provisions of the Constitution of India, which considers all women as equal human beings who have a right to live with dignity and free from violence within and outside marriage."[23]

RIT Foundation v. UOI and other connected matters[24]With two judges of the Delhi High Court on Wednesday giving a split verdict on the question of criminalizing rape within marriage, leaving the law unchanged, the issue will now go to the Supreme Court.Justice Rajiv Shakdher, who headed the two-judge Bench, struck down the exception to Section 375 of the Indian Penal Code (IPC), which says that sexual intercourse by a man with his wife aged 18 or above is not rape even if it is without her consent. However, Justice C. Hari Shankar rejected the plea to criminalize marital rape, noting that any change in the law has to be carried out by the legislature since the issue requires consideration of various aspects, including social, cultural, and legal. The Right to withdraw consent at any given time forms the core of the woman's Right to life and liberty, which encompasses her Right to protect her physical and mental being," Justice Shakdher said, calling for a change in the 162-year-old law. While marital rape leaves physical scars, it inflicts much deeper scars on the victim's psyche, which remain with her years after the offence has occurred, the judge.[25]

Conclusion

Marriage is a part of life, and sexual obligation is a prerequisite in marital life. It is a mutual bond between two persons. Sexual intercourse between husband and wife is necessary for rearing a family. But many women are a victim of sexual violence where the husband without the consent of wife commits sexual intercourse with the wife. It is called marital rape. All over the world, many women face such violence silently. In India, still, marital rape is not criminalized, and women are constantly bearing such violence and humility. It is a violation of the human rights of women. It also infringes the right to equality, life, dignity and privacy of women. Indian Penal Code only penalises the husband if the wife is below eighteen years under exception 2 of Section 375. Unfortunately, age is the criterion to penalise the rape. Rape is rape, either committed by a husband or stranger. Hence, it is the imperative duty of the legislature to enact a uniform law for the criminalization of marital rape to protect the women from such a mental and physical intolerable agony.Moreover, male counterparts must also change their psyche towards women that they are human beings and they should be treated in a respectful and dignified manner.Marriage is not an implied consent against sexual relations. A wife, too, has the right to say 'no' and 'no means no.'

Suggestions

1. The issue of criminalization of marital rape is very sensitive. There is a need the various factors should be considered thoroughly for criminalizing marital rape, such as the male psyche, the behaviour of men, drinking habits, abusive behaviour, social obligations etc.
2. The legislature must abolish exception 2 of Section 376 of the Indian Penal Code, 1860.
3. Counsellors must be counselled before marriage to avoid the violent consequences of marital rape.
4. Due to fear of humiliation, breakdown of marriage, and being deprived of financial and other support, women do not speak out against such a violent crime. Hence, the government must establish a separate mechanism where the victim of marital rape easily and without hesitation can file a complaint.
5. It is not the government's duty only to make people aware of such a crime. Rather parents should teach their daughters that they should not bear sexual harassment by their husbands, and they should come forward to speak out against such a heinous crime.

❑

Reference

1 Karuna Sharma, "Marriage As The Ultimate End Of The Novels Of Vikram Seth" 247 4 (2016) An International Refereed e-Journal of Literary Explorations, Gwalior. Available at http://www.researc hscho lar.co.in/ downloads/37-karuna-sharma.pdf visited on May 28, 2022.

2 Dr. Bhavish Gupta1 & Dr. Meenu Gupta, "Marital Rape: - Current Legal Framework in India and the Need for Change "16(2013) Vol. 1, No. 1 Galgotias Journal of Legal Studies available on https://www.galgotiasuniver sityed u.in/p dfs/issue2.pdf visited on 27 May 2022.

3 Dr. Bhavish Gupta1 & Dr. Meenu Gupta, "Marital Rape: - Current Legal Framework in India and the Need for Change "16(2013) Vol. 1, No. 1 Galgotias Journal of Legal Studies available on https://ww w. galgotiasuniversity.ed u.in/p dfs/issue2.pdf visited on 27 May, 2022.

4 Koyel Roy and Sneha Mahapatra, "Wedlock and Consent are the two sides of one coin- Critical study of Legal Provisions available for Marital Rape in India" Volume 10, May 2020, p. 01 ACCLAIMS Available on http://www.pen acclai ms.com/wp-content/uploads/2020/06/Koyel-Roy.pdf visited on 27 May 2022.

5 Available on www.legalbites.in/penalize-marital-rape/visited on 27 May 2022. 6Sakshi Kanodia1, Ranjabati Ray Why Penalize Marital Rape IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 21, Issue 9, Ver. 10 sep. 2016) p. 50 Available on https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront. net/74588340/0837-2109104955-libre.pdf?1636744887=&response-

content-disposition=inline%3B+filename%3DWhy_Penalize_Marital_Rape.pdf&Ex visited on 29 May, 2022.
7 Available on https://www.lawteacher.net/free-law-essays/family-lawmarital-rape.php?vref=1 visited on 29 May, 2022.
8 Available on https://theprint.in/pageturner/excerpt/how-phoolan-devis-fortune-changed-during-the-prime-of-mandal-kamandal-politics-in-up/881665/ visited on 29 May, 2022.
9 Available on 2022 LiveLaw (AB) 265 https://www.livelaw.in/news-updates/serious-allegations-committing-unnatural-sex-wife-sans-consent-allahabad-hc-denies-anticipatory-bail-200336 29 May, 2022.
10 Dr. Mukesh Garg and Dr. Nareshlata Singla, MARITAL RAPE UNDER INDIAN LAW : A STUDY Vol.01 Issue-02(June 2013) IJMSS Available on https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55807681/Paper-5-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1653917833&Signature=FjP~fkAIR-jNZ9CsKPQ0qQApnskMVdeLedSKFHW-jH1Km CGomSqHdW9S visited on 30 May, 2022.
11. Dr. Mukesh Garg and Dr. Nareshlata Singla, MARITAL RAPE UNDER INDIAN LAW: A STUDY Vol.01 Issue-02(June, 2013) IJMSS Available on https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55807681/Paper-5-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1653917833&Signature=FjP~fkAIR-jNZ9CsKPQ0qQApnskMVdeLedSKFHW-jH1KmC GomSqHdW9S visited on 30 May, 2022.
12. Dr. Mukesh Garg and Dr. Nareshlata Singla, MARITAL RAPE UNDER INDIAN LAW: A STUDY Vol.01 Issue-02(June 2013) IJMSS Available on https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55807681/Paper-5-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1653917833&Signature=FjP~fkAIR-jNZ9CsKPQ0qQApnskMVdeLedSKFHW-jH1KmCGomSqHdW9S visited on 30 May, 2022.
13. Shalu Nigam, The Social and Legal Paradox Relating to Marital Rape in India: Addressing Structural Inequalities Available on https://papers.ssrn.com/so l3/papers.cfm?abstract_id=2613447 visited on 30 May, 2022. 5Available on http://14.139.58.147:8080/jspui/bitstream/123456789/5453/1/Smriti%20Sharma%2065.pdf visited on 30 May, 2022.
16. AIR 1978 SC 597.
17. 1981 AIR 746, 1981 SCR (2) 516.
18. AIR 2000 S.C. 988
19. 1996 AIR 922, 1996 SCC (1) 490
20. AIR 1991 SC 207
21. (2009) 9 SCC 1.
22. (2010) 7 SCC 263.
23. Available on https://journal.subharti.org/pdf/aug-2019/Article-7.pdf visited on 30 May, 2022.
24 . LiveLaw (Del) 433 Available on https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/delhi-high-court-delivers-split-verdict-on-marital-rape/article65403832.ece visited on 30 May, 2022.

फोन : 011-27491549
मोबाइल : 09899651272
09899651872

सदस्यता फॉर्म

विधि भारती परिषद्

बीएच-48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088

महिला विधि भारती पत्रिका यू.जी.सी. की सूची में पहले शामिल थी।
क्रमांक 156, पत्रिका संख्या 48462

कृपया मुझे विधि भारती परिषद् का सदस्य बनाने की कृपा करें। मेरा चैक/बैंक ड्रॉफ़्ट संलग्न है --

1.	वार्षिक सदस्य शुल्क	500/-- रुपए
2.	आजीवन सदस्य शुल्क	5,000/-- रुपए
3.	संस्थागत वार्षिक सदस्य शुल्क	500/-- रुपए
4.	संस्थागत आजीवन सदस्य शुल्क	20,000/-- रुपए

नाम : ....

शैक्षिक योग्यता : ....

व्यवसाय : ....

कोई प्रकाशित कृतियाँ : ....

स्थाई पता : ....

फोन (कार्यालय) : .... **(घर) :** ....

मोबाइल : .... **ई-मेल :** ....

नोट : विधि भारती परिषद् की सदस्यता के लिए शुल्क परिषद् के बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है। कृपया शुल्क के साथ बैंक सेवा चार्ज 100/-- रुपए जमा कराएँ।

Vidhi Bharati Parishad : SBI SB Account No. 10115361055
IFSC Code : SBIN0003702

विधि भारती परिषद्

वार्षिक सम्मान समारोह

विधि भारती सम्मान

राष्ट्रीय हिंदी विधि पुस्तक पुरस्कार

राष्ट्र भारती सम्मान

एवं

रेमन मैग्सेसे अवार्डीज पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड, लंदन में सम्मिलित अंतरराष्ट्रीय काव्य संग्रह 'काव्य सलिला' का लोकार्पण और प्रतिभागियों का सम्मान।

हिंदी भवन, नई दिल्ली,

23 जुलाई, 2022

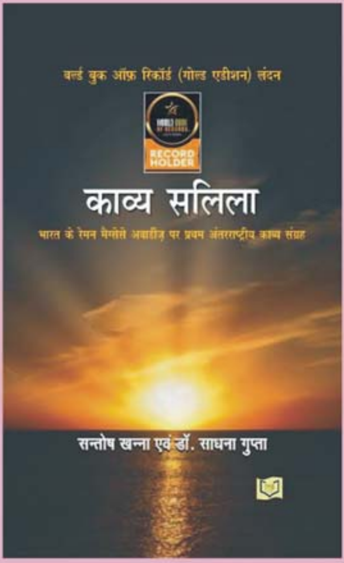

R.N.I. 61909/95 ISSN : 0976-0024

विधि भारती परिषद् के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

1. अनुवाद के नये परिप्रेक्ष्य, लेखक : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 500/- रुपए
2. हिंदी और भारतीय साहित्य में महिला सरोकार, सं. : सन्तोष खन्ना, 2016, मूल्य : 450/- रुपए
3. सामाजिक-विधिक सरोकारों की संस्कृति, लेखिका : सन्तोष खन्ना, 2012, मूल्य : 77/- रुपए
4. इतिहास बनता समय, लेखिका : सन्तोष खन्ना, 2012, मूल्य : 300/- रुपए
5. 'क्या पाया?क्या खोया?' (कहानी-संग्रह), डॉ. उषा देव, मूल्य : 200/- रुपए
6. रोशनी, (उपन्यास), लेखिका : सन्तोष खन्ना, 2013, मूल्य : 410/- रुपए
7. 'संग्राम शेष है' (कहानी-संग्रह), डॉ. उषा देव, मूल्य : 250/- रुपए
8. 21वीं शती में नारी : क़ानून और सरोकार, मूल्य : 350/- रुपए
9. 'क्या मैं ग़लत थी?' (कहानी-संग्रह), डॉ. उषा देव, मूल्य : 200/- रुपए
10. 21वीं शती में मानव अधिकार : दशा और दिशा, मूल्य : 250/- रुपए
11. भारत का संविधान : अनुचिंतन के नये क्षितिज, मूल्य : 250/- रुपए (उपलब्ध नहीं है)
12. भारतीय क़ानूनों का समाजशास्त्र, सन्तोष खन्ना, मूल्य : 500/- रुपए (विधि, न्याय मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत)
13. Dimensions of Environmental Law, Ed. Santosh Khanna, Price : 400/–Rs.
14. Reappraisal of the Constitution, Ed. Santosh Khanna, Price : 350/-Rs.
15. Human Rights Today, Ed. Santosh Khanna, Price : 500/–Rs.
16. The Consumer Protection Law and the Rights of Consumers
Ed. Santosh Khanna, Price : 400/–Rs.
17. स्मृतियाँ (कहानी-संग्रह) लेखक : अख़्तरुल हनीफ, विधि भारती परिषद्, मूल्य : 100/-रुपए
18. उपभोक्ता संरक्षण क़ानून और न्याय, मूल्य : 250/- रुपए
19. 'साक्षी' (कविता-संग्रह), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 60/- रुपए
20. 'भावी कविता' (कविता-संग्रह), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 120/- रुपए
21. 'संत जोन', (नाट्यानुवाद), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 245/- रुपए
22. पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण क़ानून, सं. सन्तोष खन्ना, मूल्य : 200/- रुपए
23. 'तुम कहो तो!' (मौलिक नाटक) नाटककार : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 125/- रुपए
24. 'कजरी' (कथा-संग्रह) लेखिका : डॉ. उषा देव, मूल्य : 175/- रुपए
25. 'द्रौपदी ज़िंदा है' (कथा-संग्रह) लेखिका : डॉ. उषा देव, मूल्य : 150/- रुपए
26. 'खुशी के पल' (कथा-संग्रह) डॉ. सरस्वती बाली, मूल्य : 150/- रुपए (हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कृत)
27. सूचना का अधिकार अधिनियम : कार्यान्वयन और चुनौतियाँ, सं. सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
28. 'अब की लड़का नहीं' (कहानी-संग्रह) लेखिका : डॉ. उषा देव, मूल्य : 250/- रुपए
29. 'आज का दुर्वासा!' (कहानी-संग्रह), लेखिका : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
30. 'सन्धि-पत्र' (कहानी-संग्रह), लेखिका : डॉ. उषा देव, 2011, मूल्य : 300/- रुपए
31. 'भारत की संसद और सामाजिक सरोकार', सं. सन्तोष खन्ना, 2011, मूल्य : 350/- रुपए
32. 'सब सुंदर है!' (कहानी-संग्रह), लेखिका : डॉ. उषा देव, 2012, मूल्य : 300/- रुपए
33. Birbhadra Karkidholi : The Flight of a Skylark, Ed. Prof. Om Raz, 2017, 300/-
34. 'समय का सच' (कविता-संग्रह), सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
35. भारत में चुनाव, हिंदी की भूमिका और चुनाव सुधार, सं. सन्तोष खन्ना, मूल्य : 250/- रुपए
36. सेतु के आर-पार, (नाटक) नाटककार : सन्तोष खन्ना, मूल्य : 300/- रुपए
37. भारत का संविधान : नए परिप्रेक्ष्य, 2020, मूल्य : 500/- रुपए।
38. भारत का संविधान, संस्कृति और क़ानून, 2021, मूल्य : 100/- रुपए

पुस्तकें मिलने का पता : विधि भारती परिषद

बी.एच/48 (पूर्वी), शालीमार बाग, दिल्ली-110088

टेलीफोन : 011-45579335, **मोबाइल :** 9899651872, 9899651272

Published & Printed by Santosh Khanna On Behalf of Vidhi Bharati Parishad, BH/48, (Poorvi) Shalimar Bagh, Delhi-88, Mobile : 09899651872, 09899651272 & Printed at Archana Printers, 1/1955, Street No. 22-A, East Ram Nagar, Shahadra, Delhi-32, Mobile : 9811357243